



विषय	पृष्ठ संख्या
हमारा आगे का काम [ भूमिका ]	
प्रास्ताविक	१
कताभी मंडल	२
संघ के सहयोगी व स्वावलंबी सदस्य	७
वस्त्र-स्वावलंबन	८
खादी में क्षेत्र-स्वावलंबन	१०
खादी सघन क्षेत्र और संघ के काम में बदल	११
केरल	११
तामिलनाडु	१२
कर्नाटक	१४
आन्ध्र	१५
महाराष्ट्र	१५
पंजाब	१५
खादी शिविर	१६
चरखा जयंती	१६
सर्वोदय पक्ष	१७
सूतांजलि	१८
खादी विद्यालय और शिक्षा समिति	१९
कपास विभाग	२२
खादी सरंजाम के प्रयोग	२३
वांस चरखा	२३
धुनाभी मोढिया	२५
विभिन्न चरखे	२६
करघा	२७
प्रक्रियाओं घटाना	२७
कमर करघा	२८
सरंजाम सम्मेलन	२९
सरंजाम उत्पत्ति-बिक्री	२९
सरंजाम लोहा सामान संग्रह	३०

विषय	पृष्ठ संख्या
पोत सुधार	३०
खादी स्पर्धाओं	३१
खादी उत्पात्ति और विक्री	३२
शूनी तथा रेशमी खादी	३४
सूतरात	३५
चरखा संघ की प्रमाणित संस्थाओं	३७
रुथी संग्रह योजना	४१
हाथ ओटाशी	४२
पूँजी रिक्त हो तो ग्रामोद्योगों में मदद	४३
जीवनवेतन	४३
कताशी व धुनाशी दर	४४
घुनाशी दर	४५
कामगारों की संख्या	४६
कामगारों में चाँटी गयी मजदूरी	४७
संघ के कार्यकर्ता	४७
ग्राम संख्या	४९
आज तक का कुल खादी काम	४९
ट्रस्टी मंडल और चरखा संघ का तंत्र	४९
ट्रस्टी मंडल	५०
आजीवन ट्रस्टी	५०
चालाना ट्रस्टी	५०
समाप्ती अवधि	५०
अुपसमितियाँ	५१
प्रान्तीय डेजन्ट ( प्रतिनिधि )	५१
अध्यक्ष	५१
मंत्री तथा सहायक मंत्री	५१
प्रबन्ध सहायक	५२
शाखा के विभाग	५२
संघ का प्रतिनिधित्व	५४
राष्ट्रीय झंडा	५४
प्रकाशन	५५

विषय	पृष्ठ संख्या
ग्राम सेवक	५५
सर्व सेवा संघ से संबंध	५६
गांधी स्मारक निधि	५९
मद्रास सरकार और चरखा संघ	५९
लाभिसेन्स	६२
सेवापुरी प्रस्ताव	६३
भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना	६५
अुपसंहार	७५
तालिकाओं और परिशिष्ट	७७
तालिकाओं	
१ कताओी मंडलों की संख्या	७९
२ प्रादेशिक कताओी मंडल सम्मेलन	८०
३ वस्त्रस्वावलंबन खादी के तुलनात्मक अंक	८१
४ सहयोगी और स्वावलंबी सदस्यों की संख्या	८२
५ खादी शिविर संख्या और सदस्यों की संख्या	८२
६ अ. भा. च. सं. खादी शिक्षा समिति की परीक्षाओं	८३
७ अकंबरनाथन् के ओटोमेटिक चरखे का जॉच-अहवाल	८४
८ खादी अुत्पत्ति के तुलनात्मक अंक (मूल्य में)	८५
९ " " " " (वर्गगजों में)	८६
१० " " " " (वजन पौंडों में)	८७
११ फुटकर खादी विक्री के तुलनात्मक अंक (मूल्य में)	८८
१२ अेजंटों द्वारा खादी विक्री के तुलनात्मक अंक (मूल्य में)	८९
१३ सूत मजदूरी चार्ट (अंक वजन पद्धति) नागविदर्भ	९०
१४ " " " (गुंडी खरीद पद्धति) तामिलनाडु	९१
१५ कुल कामगारों की संख्या	९२
१६ कामगारों को दी गयी मजदूरी (रुपयों में)	९३
१७ चरखा संघ के कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन के अनुसार विभाजन	९४
१८ पी कार्यकर्ता प्रति-दिन की अुत्पत्ति-विक्री	९५
१९ कार्यक्षेत्र के ग्रामों की प्रान्तवार तादाद	९६
२० चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं की कुल खादी- अुत्पत्ति तथा विक्री	९७

विषय	पृष्ठ संख्या
२१ चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा बँदी गयी मजदूरी	९८
२२ खादी स्पर्धाएँ	९९

**परिशिष्ट:-**

[ १ ] चरखा संघ के कुछ महत्त्व के प्रस्ताव	१०१
(१) पाठशालाओं के लिये वांस चरखा	१०१
(२) संज्ञाम कार्यालयों में वांस चरखा	१०१
(३) चरखा संशोधन संबंधी प्रस्ताव	१०१
(४) प्रमाणितों को सूतघात से बरी करने का प्रस्ताव	१०२
(५) शरीरश्रम करने वास्तु प्रस्ताव	१०२
[ २ ] सिष्पिपारै शिविर के निर्णय	१०४
[ ३ ] क्रियात्मक अभ्यासक्रमों की मोटी कल्पना दर्शक	
	विवरण पत्रक १०९
[ ४ ] प्रमाणित संस्थाओं को पूँजी की सहायता की योजना	११०
[ ५ ] प्रमाणितों के लिये स्त्री-संग्रह योजना	११२
[ ६ ] शाखाओं के विभाग करने के संबंध में संघ की नीति	११३

## हमारा आगे का काम

चरखा संघ के इतिहास में पिछले तीन वर्ष अलग पड जाते है । जिसका खयाल यह अहवाल पढ कर आ सकेगा । १९४६ की चरखा जयन्तीके वक्त गांधीजी ने अपने संदेश में कहा था कि खादी का अेक युग समाप्त हुआ है; अब खादी को यह बताना है कि गरीब अपने पैरोंपर खडे रह सकें । चरखा जयन्ती के निमित्त गांधीजी का यह आखिरी संदेश था । खादी के बदलते युग के लिये अुन्होंने चरखा संघ के और देश के सामने अपने कुछ सुझाव भी रखे थे । अहवाल पढने से पता लगेगा कि तब से अब तक खादी काम में चरखा संघ ने क्या क्या कोशिशें की हैं; अिन तीन वर्षों में जो काम हो पाया है और जो अनुभव मिले हैं अुस पर से हमारे आगे के काम का विचार भी हमें कर लेना चाहिये । जिस तरह से खादी काम की शाखा-अुपशाखाओं का विचार और कार्यक्रम अबतक हम करते आये हैं, अुस तरह से अब यह भी सोच लेना चाहिये कि विभिन्न परिस्थिति और अलग अलग आर्थिक सतह के क्षेत्रों में खादी का कार्यक्रम क्या हो । जिसका विचार करते हमारी दृष्टि साफ रहे जिस लिये गांधीजी के खादी काम के असली लक्ष्य के बारे में कुछ विचार यहां उद्घृत करना ठीक होगा, जो कि १९३४ से चरखा संघके अहवाल में छपे हैं:-

“ शहरों की खादी की आवश्यकता की पूर्ति करना चरखा संघ का काम है यह जानते हुवे भी गांधीजी ने अप्रैल के ट्रस्टी मंडल की सभा में जिस बातपर जोर दिया है कि खादी-आंदोलन का असली मकसद शहरों में खादी बेचना और अुस के जरिये राहत देना ही नहीं है, बल्कि अुसके जरिये देहाती भाअियों तथा कारीगरों को वस्त्रस्वावलंबन की ओर पुर:सर करना तथा अुनका जीवन सुसंस्कृत, समृद्ध अेवं स्वयंपूर्ण बनाना है ।

“ जिस विचार के अनुसार चरखा संघ की नीति तथा कार्य में मूलभूत फर्क करना अत्यावश्यक हुआ है । हस्त-व्यवसाय का अुत्पादन बेचने के लिये नहीं बरन् निजी अिस्तेमाल के लिये ही हो यह बात जिस में से फलित होती है । जिसका अमल करने की दृष्टि से खादी कामगारों के लिये खुद बनाअी हुअी खादी का अिस्तेमाल करना आवश्यक है । अुनके अिस्तेमाल के अुपरांत बची हुअी खादी अुस देहात के अन्य लोगों में खपनी चाहिये । देहात की आवश्यकता-पूर्ति के बाद बची

हुयी खादी अुसी तालुके में वा अुसी प्रांत में भेजी जा सकती है। प्रान्त सब से बडी अिक्रायी माना जाय कि जहां अिस प्रकार बनी हुयी खादी का वितरण किया जा सकता है। खादी के अिस्तेमाल में अिस तरह क्रमिक स्वावलंबन का विकास किया जाय। समाज के अेक घटक के नाते हर कुटुंब को अपने बख की और हर प्रान्त को अपने कपडे की जरूरत खुद ही पूरी करनी चाहिये। अिस अुद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से अिस प्रकार कदम अुठाने चाहिये कि जिस से देहाती भाअियों के जीवन पर अच्छी छाप पडे और परिणामतः अुनका चारित्र्य, बुद्धि और कार्यकुशलता बडे। खादी कार्यकर्ताओं को देहाती भाअियों के जीवन से समरस होना चाहिये और अुनका जीवन सर्वांगीण बनाने के लिये प्रयत्न करने चाहिये।”

यह दृष्टि सामने रख कर आज की हालत में अुपर लिखे अुनुसार काम करना हो तो मोटे तौर पर देश में तीन तरह के क्षेत्र पाये जाते हैं:-

१. परंपरागत कतायी की जाती है अैसे अकाल-पीडित क्षेत्रों में तथा आर्थिक दृष्टि से निचले दर्जे के क्षेत्रों में आज भी शहरों में बेचने के लिये खादी उत्पादित की जाती है। कुछ परिमाण में कातने वाले तथा बुनने वाले आज भी खादी अिस्तेमाल करने लगे हैं। पर यह शानपूर्वक करने की शक्ति अुनमें आयी नहीं है। तथा अुनके मुख्य अुद्योग यानी खेती को जब तक उन्नतावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक अुनका जीवन आज से ज्यादा समृद्ध तथा संपन्न कदापि नहीं हो सकता। अतः अिस क्षेत्र में खादी के साथ-साथ खेती तथा अन्य नैसर्गिक साधनों का विकास कर के अुन की आर्थिक स्थिति सुधारने का विचार किया गया तो धीरे-धीरे हम अुस अुद्देश्य तक पहुँच सकेंगे। यह जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक आज का काम है अुसी स्थिति में हमें चालू रखना पडेगा।

२. जिन प्रदेशों में मध्यम वर्गीय किसान अपना खेती का काम होशियारी से कर रहा है वहाँ वह सुशिक्षित तथा सुधरा हुआ दिखायी पडेगा। खेती के अुद्योग पर ही जिनका आर्थिक जीवन कुछ अंश में स्थिर हो गया है अैसे परिवारों ने सामूहिक जीवन की तथा ग्राम-स्वावलंबन की दृष्टि अपनायी तो बख स्वावलंबन का काम बढाने के लिये अैसे क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा अुनुकूल हैं अैसा मानने में कोअी हर्ज नहीं है। अिस प्रकार के कुछ क्षेत्रों में आज भी हम बख स्वावलंबन का कार्य कर रहे हैं। पर अिस कार्य में भी हम अब तक सामूहिक जीवन की कल्पना नहीं पैदा कर सके हैं; हमें अिस दिशा में कुछ प्रयत्न करना चाहिये।

३. भारत में जहां-जहां आदिवासी लोग बसे हुए हैं तथा जो जो क्षेत्र पिछडा हुआ है, जहां सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता है ऐसे सभी प्रदेशों में खादी काम करना हो तो वहां की तालीम को हमें अपने हाथ में लेना होगा। परिश्रम पर चलने वाले “शैक्षणिक परिश्रमालय” जैसी कुछ योजनाओं बनानी होंगी। उस क्षेत्र की नैसर्गिक संपत्ति का, खेती आदि का उपयुक्त रीति से किस प्रकार अस्तिमाल किया जाय वह हमें लोगों को सिखाना होगा। तथा अन्न, वस्त्र और मूलभूत आवश्यकताओं के लिये हमें “स्वावलंबी बस्तियों” के रूप में गाँवों की रचना करनी होगी, जिस दृष्टि से काम करना पड़ेगा।

जहां कहीं हमारा खादीकाम चल रहा है या आगे चलेगा उन क्षेत्रों की अिन तीन प्रकार से जांच करके वहां के लिये उपयुक्त खादी कार्य का अधिक सुनिश्चित आयोजन हम अगले साल में कर सकें तो जिस व्यापक और विविध दिशा में हमने काम शुरू किया है वह ज्यादा कारगर और फलदायी होगा। जैसा भी संभव है कि कुछ क्षेत्रों में अपूर लिखे तीनों प्रकारों से मिला-जुला आयोजन भी हमें करना पड़े। लेकिन यहां तो संक्षेप में इसका अुल्लेख असलिये किया जा रहा है कि उस दृष्टि से विचार करने की ओर और हमारे आयोजनों में जिस दृष्टि का ख्याल रखने की ओर ध्यान आकर्षित हो। अधिक तफसील का विचार हमें आगे करना होगा।

यह सब करते वक्त स्थानिक लोगों की कर्तृत्व-शक्ति जागृत होकर वे कार्यप्रवण बने तथा अपने गाँव का काम अपने को ही करना है जिस प्रकार की वृत्ति गाँव में बढे जैसा प्रयत्न किया जाना चाहिये। जैसा हुआ तो ही प्रथम वैचारिक क्रांति कर के अेक नयी अर्थ-व्यवस्था हम आज के चरखा संघ के काम में से मुक्त के सामने रख सकेंगे व मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। जैसा करने पर ही चरखे द्वारा क्रांति करने की साधना हमारे हाथों से हो सकेगी। ये सब प्रवृत्तियां चलते वक्त पूज्य गांधीजी ने कहा था उस के अनुसार अहिंसक आर्थिक समाज रचना का चरखा प्रतीक है और सब ग्रामोद्योगों को सूर्य-मंडल के ग्रहों के नाते स्थान है, यह बात भी हमें हरदम अपने सामने रखनी होगी।

चरखा संघ के कार्यकर्ताओं से, खादी काम करने वाले अन्य कार्यकर्ताओं से और सभी खादीप्रेमियों से अनुरोध है कि वे जिस अहवाल को अच्छी तरह पढ़ें और आगे के काम के बारे में अधिक विचार करें।





# अखिल भारत चरखा संघ

का

## तीन साल का काम

१ जुलाई १९४९ से ३० जून १९५२ तक

### प्रास्ताविक

अखिल भारत चरखा संघ का सालाना अहवाल हर साल नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। लेकिन किन्हीं खास दिक्कतों के कारण पिछले दो वर्ष का अहवाल प्रकट करने में अितनी देरी हुई कि यह अहवाल छपते छपते अब तीसरा वर्ष भी समाप्त हो जायगा। इसलिये दो वर्ष के अहवाल के साथ इस वर्ष की भी खास खास घटनाओं शामिल कर के तीन वर्ष के संघ के काम की जानकारी इस विवरण में देने का विचार किया गया है। आँकड़े केवल दो साल के ही दिये जा सके हैं।

अिन तीन वर्षों में चरखा संघ ने अपनी प्रवृत्ति खादीतत्त्व के प्रचार के काम में विशेष रूप से लगाने की कोशिश की है। सारा कार्य केवल चरखा संघ की शाखाओं और केन्द्रों के मार्फत संचालित करने के बदले स्थानिक जनशक्ति को इस दिशा में अुठाने की और अुसके अनुकूल योजनायें चलाने की कोशिश संघ करता रहा है। आज यह हिसाब लगा सकना कठिन है कि इस कोशिश का असर कहां कहां पहुँचा है। खादी को राष्ट्रीय पोशाक के कपडे के रूपमें आज तक लोगों ने पहचाना। अहिंसक समाज रचना के और समाज को शोषण मुक्त करने के मार्ग और तत्त्व के रूप में खादी-विचार आज बहुतेरों को नया-सा लगता है। कहीं कहीं पुराने ढंग का खादीकाम कम हुआ भी जान पडता है। चरखा संघ ने भी अपना कुछ पुराना काम नयी दिशा में आगे बढ़ाने के हेतु से समेटने की कोशिश की है। यह नया काम आज नयी बोवाधी के रूप में हो रहा है। इसका सही हिसाब और नतीजा तो भविष्य ही बतलावेगा। अभी इस विवरण में प्रचार आदि कार्यक्रमों का बयान हम अधूरा ही दे सकेंगे, क्यों कि कभी छोटी छोटी मंडलियों से हमें काम का ठीक विवरण नहीं मिल पाया है।

पाठकों से प्रार्थना है कि केवल मजदूरी के बँटवारे के अंकों और खादी की अल्पत्ति और विक्री के अंकों पर ही से खादीकाम का मूल्य न आँक कर गांधीजी की ग्राम-राज्य की कल्पना की दृष्टि से खादीक्षेत्र में शुरु की गयी नयी प्रवृत्तियों के विवरण पर विशेष गौर करें। जिस तीन वर्ष के अहवाल-काल में नीचे लिखी बातें संघ का प्रधान लक्ष्य रहीं :—

- (१) ग्राम-स्वावलंबन का विचार देश में फैले,
- (२) ग्राम-जन अपने नेतृत्व व सहकार से अपना काम चलवें,
- (३) गाँवों का आर्थिक नियोजन करें और अंतःसम्बन्धी समस्याओं को हल कर अपने गाँव की आयात-निर्यात की नीति ठहरावें,
- (४) अन्न-वस्त्र की प्राथमिक आवश्यकता के लिये गाँवों का पैसा बचाने का उपाय जिसलिये कारखानों की बनी बेशी चीजों का त्याग करें,
- (५) खादी-कारीगरों में मिल-बख्त-बहिष्कार और खादी का अतिक्रमण बंद,
- (६) खादी-ग्राहकों में खुद कताअधी का प्रचार हो,
- (७) वस्त्र-स्वावलंबन के लिये बुनाअधी और खादी की सभी प्रक्रियाएँ स्थानिक हों ऐसी तालीम दी जाय,
- (८) सब जगह पैदा हो सके और कपडा मजबूत व टिकाभू रहे ऐसे कपड के प्रयोग किये जायँ,
- (९) देहाती कारीगरों से बन सकें और दुबस्त किये जा सकें, तथा स्थानिक कच्चे माल द्वारा प्रस्तुत किये जा सकें ऐसे सरंजाम के प्रयोग किये जायँ,
- (१०) खादी उत्पत्ति-विक्री में केवल-स्वावलंबन हो, तथा
- (११) खादी केन्द्रों व खादी कार्यकर्ताओं में समग्र ग्रामोत्थान की दृष्टि लयी जाय और उसके लिये जरूरी अमल करने में प्रोत्साहन दिया जाय।

## कताअधी मंडल

जिन नयी प्रवृत्तियों में कताअधी-मंडल-योजना सब से महत्त्व की रही। चरखा संघ ने कताअधी-मंडल-योजना १९४८ में शुरु की। “हिन्दुस्तान देहातों में बसा हुआ है। देहातों के अर्थान में ही देश का अर्थान है। हिंसा और शोषण का रास्ता छोड़ना है तो स्वावलंबी, स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण बन कर ही देहातों का अर्थान हो सकता है। चरखा जिसका प्रतीक है।” जिस तरह के गांधीजी के विचार

अनुके अनेक लेखों व भाषणों में, खास कर खादी सम्बन्धी लेखों व भाषणों में भरे हुये पाये जा सकते हैं। फिर भी चरखा आन्दोलन का आरंभ स्वयंपूर्ति की योजनानुसार नहीं, बल्कि बाह्य आधार दे कर हुआ और चला। चरखा संघ का पहले २५ साल का कार्यक्रम भी जिस परतंत्र देश में जैसा भी बन पड़े, उस प्रकार से चरखे को जिन्दा रखने का रहा। खादी-विचार में हर गाँव की जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में स्वयंपूर्णता लाने की कल्पना होते हुये भी उस दिशा में सर्वोत्तम काम नहीं हो सका। किसी गाँव में कपास पैदा होता रहा तो किसी में धुनायी, किसी में कतायी या किसी में केवल बुनायी होती रही। चरखा संघ के केन्द्रों में भी इसी “खंडित” पद्धति से काम पनपा। आज भी संघ में ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं। साल भर में लाखों गुंडियाँ सूत कातने वाले सैकड़ों देहातों का सारा सूत बुनायी के लिये बहुत दूर के किसी क्षेत्र में भेजना पड़ता है। फिर यह सारा काम कहीं दूर-दूर कार्यकर्ता भेज कर किसी दूर के केन्द्र व केन्द्र-प्रतिनिधि की मार्फत कृत्रिम रूप से चलाना पड़ता है। यह सही है कि मिलों की स्पर्धा और अनुके बारे में राज्य की कृपादृष्टि ने खादी को अतना कुचल दिया है कि अभी कृत्रिम प्रयत्नों से भी उसे जिन्दा रखना और जहाँ जो अंग विकसित हो सके उसे पनपाना एक आवश्यक कार्यक्रम माना गया है। लेकिन इसे स्वयंपूर्णता का तरीका नहीं कहा जा सकता। वस्त्र की स्वयंपूर्णता के लिये गाँव-गाँव में कपास पैदा हो और घर-घर सूत कात कर खुद अपने हाथों से या अपने ही गाँव के पड़ोसी बुनकर से बुनायी हो, यह जरूरी है और साथ ही जिस कार्यक्रम का संचालन भी गाँव के लोग खुद करें, समझ-बूझ कर करें, समग्र ग्रामोत्थान की दृष्टि से करें, और सस्तेपन के कारण केन्द्रित मिल-अधोगों से बनी चीजों का आक्रमण अपने गाँव में रोकने का निश्चय करें, ऐसा कोयी संगठन होना जरूरी था। यह लक्ष्य रख कर और कार्यकर्ता भेज कर खुद चरखा संघ के अपने खादीकेन्द्र खोलने व चलाने के बदले स्थानिक कतायी-मंडलों की योजना चरखा संघ की ओर से सोची गयी। उसके अनुसार पिछले तीन सालों में संघ ने कतायी मंडलों का संगठन किया और उसकी पूर्ति में खादी प्रेमियों के सम्मेलन, खादी के मूल उद्देश्य को समझाने वाले साहित्य का प्रकाशन आदि कार्य किया। सर्वोदय विचार-धारा के अनुसार काम करने की अिच्छा रखनेवाले बिलखे हुये कार्यकर्ताओं का संगठन करना भी कतायी-मंडलों का अुद्देश्य रहा है।

शुरू में जिस संगठन में आज के वायुमंडल के पकपामिनिवेश की छाया कहीं कहीं दीख पड़ी। यह संगठन कोयी सत्ता हस्तगत करने के लिये नहीं बल्कि शुद्ध रचना-कार्य के लिये है यह समझाने की सावधानी रखने में कुछ कठिनायी भी

मालूम पड़ी। कर्मी कताभी-मंडलों की मान्यता किसी कारण रोकनी भी पड़ी। स्वराज्य आ गया है इसलिये सब काम राज्यसत्ता से होगा या होना चाहिये अभी भावना जहाँ तहाँ फैल चुकी है। राज्य-तंत्र अपने हाथ करना यही आव की समस्याओं का हल है ऐसी विचारधारा सब को घेरने लगी है। ऐसी हालत में पकराभिनिवेश छोड़ कर और सत्ता से नहीं बल्कि शुद्ध सेवा-भावना से ग्रामोत्थान के मार्ग में लगने की ओर लोगों का व सेवकों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी था। चरखा संघ ने कताभी-मंडलों के जरिये इस विचार का प्रसार करने, ग्रामोत्थान की दृष्टि को बढ़ाने व बख-स्वावलंबन के कार्यक्रम को चालना देने की अिन वर्षों में कोशिश की है। इस प्रचार ने देश में अेक नयी दृष्टि दी है। जहाँ अेक ओर “स्वराज्य के बाद खादी क्यों?” अैसा सवाल अुठने लगा था वहाँ संघ के प्रयत्न से “मिल-वस्त्र-त्याग” की आवश्यकता का विचार भी फैलने लगा है।

दो सौ वर्षों से गुलामी में रहे इस देश के लाखों देहातों में अपने ही नेतृत्व व अपने ही आयोजन से स्वयंपूर्णता का कार्यक्रम जारी होने की स्थिति लाना कोभी आसान काम नहीं है। कताभी-मंडलों का कार्यक्रम भी अभी धीरे-धीरे ही फैल रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में कताभी-मंडल-संगठन का काम जमाने के लिये छोटी से छोटी अिकाभी रखी गयी है। अहिंसा तथा चरखे पर विश्वास रखने वाले ५ खादीधारी व्यक्ति कताभी-मंडल खडा कर सकते हैं। आज कभी जगह यह भी पाया जाता है कि अेक देहात में अैसे पांच व्यक्ति मिलना कठिन है। कताभी-मंडलों के लिये संघ ने जो नियम बनाये हैं अुन सब की पूर्ति न कर सकने वाले लेकिन कताभी मंडल कार्य को मानने वाले भी अिच्छा हो तो अेक मंडल खडा कर सकते हैं, जो अुग्मीदारवार-कताभी-मंडल के रूप में माना जाता है। अैसे कताभी-मंडल धीरे-धीरे नियम पूर्ति की तैयारी हो जाने पर मान्यता-प्राप्त कताभी-मंडल में परिवर्तित हो सकते हैं। कताभी-मंडल-संगठन को कडे नियमों में अंकडने के बदले कुछ ढीला-सा रखना अुचित माना है। कताभी-मंडल-संगठन के नियम ये हैं।

- (१) कताभी मंडल की स्थापना के लिये सहयोगी या बख-स्वावलंबी सदस्य पाँच रहें; लेकिन वे अलग अलग परिवार के हों।
- (२) मंडल का सदस्य मिलसूत या मिलकपडे का व्यापारी न हो। अैसे ही वह शराब का व्यापारी न हो।
- (३) मंडल के बख-स्वावलंबी सदस्यों के लिये सालाना अंदा एक गुंठी रहेगा।
- (४) हर हफ्ते कम से कम मे अेक बार कताभी मंडल के सदस्य सामूहिक कताभी करें और आपसी विचार-विनिमय करें।

कताई मंडलों के लिये नीचे लिखा कार्यक्रम दिया गया है—

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| १ स्वावलंबी कताई | ४ घरेलू बुनायी    |
| २ सफाई           | ५ ग्राम-स्वावलंबन |
| ३ आपसी सहकार     |                   |

ऐसे कतायी मंडलों की संख्या विवरण काल में नीचे लिखे अनुसार रही:—

वर्ष	मान्यता-प्राप्त	सुम्भीदवार
१९४९-५०	७३९	३५७
१९५०-५१	७६७	४४०
१९५१-५२ (अप्रैल तक)	८१९	५४९

प्रान्तवार कतायी मंडलों की संख्या तालिका १ में दी गयी है। उसे देख कर यह भी पता चलेगा कि करीब सारे देश में कतायी मंडल आन्दोलन चल पडा है। अनेक जाद-प्रवाद से बचते हुअे आज का यह संगठन जम पाया है। कतायी मंडल संगठन का ढांचा ही ऐसा बना है कि स्वाभाविक तया ही कतायी मंडल के प्रकार और उनकी प्रवृत्तियों में अनेक भेद पाये जा सकते हैं। हरअेक कतायी मंडल मूल अुद्देश्य को ध्यान में रखते हुअे अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अुस ओर बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। अुनसे सम्पर्क सांघने के लिये संघ की ओर से प्रान्तीय या प्रादेशिक कतायी मंडल सम्मेलनों का आयोजन विवरण-काल में करीब सभी प्रान्तों में कुल बारह जगहों पर हुआ। अिन सम्मेलनों के स्थान आदि की जानकारी तालिका २ में दी गयी है। सम्मेलनों के उपरान्त विविध प्रकार के शिबिर, चरखा संघ के कतायी मंडल विभाग के कार्यकर्ताओं का दौरा, पत्रव्यवहार और खास कतायी-मंडल-पत्रिका का प्रकाशन संघ कर रहा है। अिन सारे कार्यक्रमों में संघ का खर्चा अहवाल-काल में प्रथम वर्ष १७ हजार और दूसरे वर्ष ५१ हजार का हुआ है। वह अब अधिक बढ़ रहा है। संभव है वह शीघ्र ही सालाना १ लाख रुपये तक पहुँचेगा। अिसमें शाखाओं द्वारा किया गया खर्च शामिल नहीं है। केन्द्र का ही यह खर्च हुआ है। वस्त्र तथा अुसके साथ जीवन की मुख्य जरूरतों के बारे में स्वावलंबन की वैचारिक भूमिका तैयार करना खादी आन्दोलन की आज की विशेष आवश्यकता है। देश भर में फैले हुअे कतायी मंडल अिसमें महत्त्वपूर्ण भाग ले रहे हैं। अब चरखा संघ ने अूपर लिखे समा-सम्मेलन शिबिर-पत्रिका आदि के अुपरान्त अिस काम के लिये कताई-मंडल प्रसारक भी नियुक्त करना शुरू किया है। ये प्रसारक केवल प्रचारक ही न रह कर अपने

आसपास कुछ ठोस काम करें यह भी खयाल अब दिया जा रहा है। इसके लिये कताबी-मंडल-सवन-क्षेत्र योजनाओं जारी हो रही हैं।

वैसे ये सभी कताबी मंडल अपने-अपने स्थान पर वस्त्र-स्वावलंबन का कार्य अपनी शक्ति के अनुसार करते ही रहते हैं। लेकिन अजुनका यह कार्य अेकाकी हो जाने से अुतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, यह सोच कर कताबी-मंडल-सवन-क्षेत्र की कल्पना की गयी। इसके लिये कम से कम ३०-४० देहातों की अिकाओं मानी गयी। देहातों की अन्न तथा वस्त्र की पूर्ति आज मुख्यतया मिलेत्वादित वस्तुओं से की जाती है, अुसके बदले यदि यह पूर्ति चरखा तथा ग्रामोद्योगों के जरिये कताबी मंडलों के मार्फत कर सकें तो वह कार्य अतराफ के १००-२०० देहातों के लिये मांगदर्शक हो सकेगा। अिस कल्पना को प्रत्यक्ष में लाने के लिये भारत में अलग अलग राज्यों में कुछ सवन क्षेत्र चुने गये हैं। अिस प्रकार विहार में ५, उत्तर प्रदेश में १ और दक्षिण कर्नाटक में १ अैसे सात कताबी मंडल सवन क्षेत्र तयार करने की कोशिश हो रही है। हर जगह की परिस्थिति अलग है। वस्त्रपूर्ति के लिये कताबी मंडलों द्वारा सूत उत्पत्ति के अुपरान्त बुनायी भी स्थानिक कर लेने की अिन क्षेत्रों में खास कोशिश की जा रही है। बुनायी की यह समस्या हल किये बिना कताबी मंडलों का वस्त्रपूर्ति का काम आगे बढ़ना कठिन है।

बुनायी की यह कठिनायी देख कर ही घरेलू बुनायी का प्रचार भी चरखा संघ ने हाथ में लिया है। विवरण-काल के शुरु में महाराष्ट्र (मूल) व गुजरात (वारडोली) में पाँच सप्ताह के दुबदा बुनायी वर्ग चला कर अिस काम का आरंभ किया गया, अिनमें ९२ भायी-बहनों ने तालीम ली, जो भारत के करीब सभी प्रान्तों से आये थे। अिसके अलावा प्रान्तीय स्वरूप के अुत्कल में ३ और तिरपुर में १ अैसे चार बुनायी वर्ग हुअे। कताबी-मंडल के करीब ४०-४५ सदस्यों ने दुबदा-बुनायी सीख ली और वे आज अपने कपडे खुद अपने हाथों से बुनने लगे हैं। पूना व अुतुवा (बंगाल) के कताबी मंडलों ने अपना पूरा सूत अपने यहीं बुनने का निर्धार किया है। आज यह आरंभ बहुत अोटो-सा है। मगर वस्त्र-स्वावलंबन के निर्धार के साथ बुनायी का आधार अनिवार्य है। यह काम बहुत बढ़ाना होगा, अिसी खयाल से चरखा संघ तैयारी कर रहा है। अिस काम के लिये भी कताबी मंडलों के जरिये काफी प्रगति होने की आशा संघ रखता है।

थोडे में संघ की यह कल्पना है कि खादी का मूल हेतु सिद्ध करने का कार्यक्रम चलाने वाली स्थानिक मंडलियाँ कताबी-मंडल के रूप में जगह जगह बनें और अुनमें चरखा संघ का पूरा कार्यक्रम अंतर्भूत हो। साथ ही वस्त्र-पूर्ति का अेक

ही कार्यक्रम न रख कर सफाई और खाद-सम्पत्ति, परस्पर सहकार, ग्रामोद्योग स्वीकार व मिल-वस्तु-बहिष्कार का कार्यक्रम भी वे चलावें।

## संघ के सहयोगी व स्वावलंबी सदस्य

चरखा संघ ने खादी काम का स्थान या लक्ष्य महज कुछ बेकारों को रोजी दिलाने का ही नहीं माना है। जिसमें सत्ता का, आयोजन का, नेतृत्व का केन्द्रीकरण न हो, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो और अुसके लिये स्वावलंबन तथा स्वयंपूर्णता के आधार पर सहकार के साथ सुसंगठन हो ऐसी समाज-रचना का खादी अेक अनिवार्य अंग माना गया है और इसी दृष्टि से संघ का काम चलाया जाता है। इसलिये संघ ने कुछ मूलभूत तत्वों को और सिद्धान्तों को अपने कार्यक्रम में आग्रहपूर्वक स्थान दिया है। नयी समाज-रचना के लिये अुन मूल्यों को छोडना संघ ठीक नहीं समझता है। संघ की सदस्यता भी अिन्हीं मूल्यों के आधार पर तय की गयी है। किसी तरह कि सत्ता, अधिकार या आर्थिक लाभ पाने के लिये संघ की सदस्यता में कोअी गुंजाअिश् नहीं रखी गयी है। लेकिन अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में समाज में जिस तरह के स्वावलंबन और स्वयंपूर्णता की जरूरत संघ मानता है, अुसमें विश्वास रख कर अपना हिस्सा देाने के लिये अमल करने वाले को संघ अपना सदस्य मानता है। अिसके लिये नियमित रूप से साल भर में २० से २५ गज कपडे का सूत कातने वाले व्यक्ति को संघ ने अपना स्वावलंबी सदस्य माना है। देश के कपडे की औसत आवश्यकता प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २० से २५ वर्गगज की मानी जा सकती है। हररोज १६० तार याने ५ गुंडी सूत काता जाय तो साल भर में औसत आवश्यकता जितना सूत कातता है। निष्ठापूर्वक, नियमित रूप से जो अितनी कताअी कर के अपना राष्ट्रीय हिस्सा अदा करता है, वह संघ का स्वावलंबी सदस्य माना गया है। अिसमें संघ से देने-लेने की कोअी बात नहीं है। मानी हुअी बात है कि वह सदस्य विकेन्द्रित स्वावलंबन व स्वयंपूर्णता में माननेवाला होगा। अिसलिये खादी के सिवा दूसरा कोअी कपडा काम में नहीं लेगा। मिल-वस्त्र या मिल-सूत के वस्त्र का पूर्ण बहिष्कार करेगा।

दूसरी सदस्यता संघ ने “श्रम-दान” की मानी है। समाज-रचना में जरूरी सहकार पर आधारित आदान-प्रदान के लिये पैसे का जरिया हुंदा गया। पैसा अेक अच्छा साधन बना। मगर अपने आप में स्वभावतः भलाअी करने का गुण पैसे के साधन में नहीं है। अिसलिये वह सहकार की जगह शोषण का साधन बन गया और धीरे धीरे अर्थसत्ता अितनी बढ गयी कि अब अुससे कैसे छुटकारा पाया जाय अिसके मार्ग हुंढे जाने लगे हैं। आजकल जिस परिश्रम



से पैसा पैदा होता है उस परिश्रम पर हावी हो कर पैसे ने उसे कुचल दिया है और सर्वत्र पैसे की प्रतिष्ठा फैली हुई है। पैसे की गुलामी आज की समाज-रचना में दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है। उसको बदल कर समाज में श्रम की प्रतिष्ठा करना यह विचार भी उसके विरोध में फैलने लगा है। सूत कतायी का श्रम सब से ज्यादा सार्वजनिक होने लायक सुलभ व आवश्यक है ऐसा देख कर गान्धीजी ने श्रम-दान के लिये सूतदान व सूत-चंदे का तरीका चलाया। कोशिश तो उनकी यही रही कि कांग्रेस जैसी देश की मुख्य संस्था भी अिससे अपनावे। पर शायद वे श्रमयुग के आगे थे। उनके बड़े-बड़े मुख्य साथियों ने भी अिस चीज को नहीं अपनाया। पर अब तो साफ ही दीख रहा है कि या तो खेच्छा से श्रमयुग में शरीक होना या रक्तक्रांति के शिकार बनना, यह दो ही मार्ग बचे हैं। गान्धीजी तो अपने आखिर के दो वर्षों में यही कहने लगे थे कि चरखा-संघ का सारा काम श्रम और श्रमचन्दे पर चलना चाहिये। अब पैसे के दान का संघ को अिन्कार करना चाहिये। यह शक्ति श्रमदान के सदस्यत्व में भरी हुई है। और अिसलिये शुरू से ही अिस तरह के सदस्यत्व का आग्रह संघ में रखा गया है। जो खादीधारी अपने कते सूत की ६ गुंडी सालाना चन्दा संघ को देता है वह संघ का सहयोगी सदस्य बनता है।

ऐसे सदस्यों की संख्या १९५०-५१ में वस्त्र-स्वावलंबी की २२,७२६ तथा सहयोगी की ५,९९४ रही। प्रान्तवार संख्या तालिका ४ में मिलेगी। सहयोगी और स्वावलंबी सदस्यों में जो दर्ज होना चाहें उनके लिये आवदेनपत्र संघ के किसी भी केन्द्र से मिल सकेंगे।

## वस्त्र-स्वावलंबन

चरखा संघ के सामने वस्त्र-स्वावलंबन का लक्ष्य बहुत वर्षों से रहा, पर उस कार्यक्रम पर विशेष जोर देने का काम १९४४ के बाद ही शुरू हुआ। दरमियान में खादी बनाने की कला जिन्दा करने का और उसके जरिये कुछ दीन-दुखियों को रोटी देने का काम ही संघ अधिक कर सका। १९४४ के बाद भी वस्त्र-स्वावलंबन की ओर अपना काम मोड़ने में संघ को काफी अर्वा ला गया, क्योंकि खादी को मानने वालों में भी राहत-भावना ही पिछले वर्षों में विशेष विकसित हुई थी। संघ के कार्यकर्ता उसी दृष्टि से तैयार हुअे और संघ का तंत्र भी उसी भावनानुसंग बनपा या। धीरे धीरे अिसमें बदल होता गया और वस्त्र-स्वावलंबन का काम बढ़ता गया। नीचे के अंकों से पता चलेगा कि बावजूद खादी के लिये बहुत प्रतिकूल जमाना होते हुअे, अहवाल-काल में वस्त्र-स्वावलंबन बढ़ा है।

१९४८-४९	३,६२,८००	वर्गगज.
१९४९-५०	५,४८,०२६	वर्गगज.
१९५०-५१	६,४८,७६२	वर्गगज.

राहत की याने मजदूरी दे कर बनवायी गयी खादी के मुकाबले में ये आँकड़े बहुत कम हैं। फिर भी यह याद रखना चाहिये कि मजदूरी की खादी बनवाने में जितनी धनशक्ति और तंत्रशक्ति लगायी गयी है अतनी अब तक स्वावलंबन के काम में नहीं लगायी जा सकी है। मजदूरी की खादी पैसे के बल पर बढ़ सकती है, जब कि स्वावलंबन की खादी विचार के बल पर ही फैल सकती है। यह विचार फैलाने का काम गान्धीजी के जाने के बाद किसी बड़े प्रभावी नेता ने हाथ में नहीं लिया। संघ को अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति से ही यह काम भी करना पडा। जब तक गान्धीजी थे तब तक संघ को जिस विचार-प्रसार के लिये कार्यकर्ता तैयार करने की जरूरत महसूस नहीं हुयी। जिस कारण जिस दिशा में संघ की कमजोरी बनी रही। लेकिन अब कार्यकर्ताओं में, खादी-प्रेमियों में और खादीकेन्द्रों में वस्त्रस्वावलंबन का विचार अपना प्राधान्य ले रहा है। आज तक संघ की शाखाओं में मजदूरी की खादी बढ़ाने की ही योजनाओं सोची जाती थीं, उसकी जगह अब वस्त्रस्वावलंबन बढ़ाने की योजनाओं सोची जा रही हैं। पिछले वर्ष अप्रैल १९५१ की चरखा संघ की शाखाओं के मन्त्रियों और विभाग-संचालकों की सभा में निर्णय किया गया कि १९५१-५२ के वर्ष में २५ लाख वर्गगज तक वस्त्र-स्वावलंबन खादी बने औसी कोशिश की जाय। यह निर्णय बतलाता है कि जिस दिशा में कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ रहा है। संभव है जिस साल उस निर्णय जितनी पूरी सफलता न मिले। परन्तु हमारे पास अब तक आयी हुयी जानकारी से मालूम पडता है कि वस्त्र-स्वावलंबन की दिशा में प्रगति हो रही है। यह भी दीखता है की कभी नयी जगह वस्त्रस्वावलंबन का काम शुरू हो रहा है, मगर उस काम के आँकड़े हमें मिल ही नहीं रहे हैं। मजदूरी से बनवायी गयी खादी के काम की अपेक्षा वस्त्र-स्वावलंबन के काम के आँकड़े मिलना कठिन भी है। क्योंकि यह बहुत ही विकेन्द्रित पद्धति से ही बन सकता है। जो आँकड़े मिलते हैं उनमें भी कभी प्रकार हैं। कुछ तो सूत-बदल (याने सूत के बदले में खादी लेने) के होते हैं, कुछ कारीगरों की अपनी खादी के रहते हैं, कुछ खादी का संकल्प न किये हुये लोगों के भी रहते हैं, कुछ पाठशालाओं के रहते हैं। कभी वार हमें प्रकार के तफसील की जानकारी भी नहीं मिलती। कभी वार आँकड़े दोहराये जाने की आशंका भी रहती है। व्यापक काम में यह कुछ अनिवार्य-सा लगता है। अतः वस्त्र-स्वावलंबन के काम का नाप कुछ अन्दाज से और केवल

वर्गगजों की संख्या से नहीं बल्कि वैसे केंद्रों और देहातों की संख्या पर से भी लगाना होगा।

बख्त-स्वावलंबन का सब से ज्यादा काम गुजरात में हुआ है। तालिका ३ से थिसका पता चलेगा। गुजरात में ज्यादा होने का कारण यह है कि गरीबी के कारण रोजी कमाने के लिये कातने लायक हालत शुरू से ही उस प्रान्त में नहीं थी। मगर सावरमती आश्रम, वारडोली का आन्दोलन, दांडी का नमक सत्याग्रह आदि के कारण कभी छोटी-मोटी संस्थाओं वहां निकलीं जिन्होंने स्वावलंबन दृष्टि से ही खादी काम किया। अब दो वर्ष से बख्त-स्वावलंबन के काम में वस्त्रभी सरकार भी काफी सस्वीडी दे रही है।

### खादी में क्षेत्रस्वावलंबन

यह भी अनुभव आ रहा है कि अगर बख्त-स्वावलंबन बढ़ाना हो तो मजदूरी के खादी काम में भी क्षेत्र-स्वावलंबन लाना होगा। आज वह न होने से संघ की, कताबी मंडलों की और खादी-प्रेमियों की कोशिश के बावजूद बख्त-स्वावलंबन का काम रुकता है। सूत हो तो बुनाथी नहीं होती। कातने वाले हों तो पूनी नहीं होती। कहीं रुथी की दिक्कत, तो कहीं सरंजाम की, तो कहीं रंगाथी की। चरखा संघ के खादी उत्पात्ति केन्द्र भी अब तक ऐसे नहीं बने कि हर देहात में ये सारे काम होते हों। अगर खादी उत्पात्ति का काम बख्तस्वावलंबन की पूर्ति रूप और सहायक के रूप में करना हो तो कपास से या रुथी से धुले व रंगे तैयार कपडे तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाओं हर देहात में या चंद देहातों के क्षेत्र में जमानी होंगी। अतः अहवाल के वर्ष में इस दिशा में भी प्रयत्न करना चरखा संघ ने शुरू किया है। तामिलनाड जैसी बड़ी शाखा में इस बारे में विशेष प्रयत्न किया गया है। वहां कभी नयी जगहों पर बुनाथी, रंगाथी व सरंजाम बनाने का काम शुरू किया गया है, किसी अेक जगह में केन्द्रित पद्धति से होने वाला कार्य कम कर दिया गया है।

याद रहे कि क्षेत्र-स्वावलंबन की बात भी नयी नहीं है। चरखा संघ के १९३३ और १९३४ के अहवालों में क्षेत्र-स्वावलंबन के बारे में ट्रस्टी-मंडल की विचारधारा और प्रस्ताव देखने से पता चलेगा कि उस वक्त भी चरखा संघ क्षेत्र-स्वावलंबन की ओर ध्यान देना चाहता था और वैसी कुछ कोशिशें भी हुईं। मगर चरखा संघ के खादी उत्पात्ति और बिक्री के काम की नींव इस तरह की थी कि उसकी क्षमता निभाते और बढ़ाते हुअे क्षेत्र-स्वावलंबन की बात बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। बिक्री की दृष्टि से तो क्षेत्र-

स्वावलंबन अुस वक्त भी कठिन था और आज भी कठिन है, क्योंकि देहाती जनता महँगी खादी पैसे देकर खरीदती रहे इतनी भावना अभी हमारे देश में नहीं आयी है। लेकिन अगर क्षेत्र-स्वावलंबन की बात पर अुस वक्त जोर दिया जाता तो आज शायद खादी केन्द्रों का स्वरूप ज्यादा पूर्ण हो जाता और मजदूरी की या स्वावलंबन की, दोनों तरह की खादी तैयार करने की और वह कम खर्च और कम परिश्रम में तैयार करने की शक्ति अुन केन्द्रों में आ जाती। अब इस ओर अधिक ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। इसका आरंभ भी कार्यकर्ताओं की तालीम से ही संभव है। कार्यकर्ताओं को क्षेत्र-स्वावलंबन का महत्त्व समझ में आ जाय और अुसे सिद्ध करने के लिये शास्त्रीय ज्ञान भी अुनके पास हो तभी यह हो सकता है। शिबिर और विद्यालयों के द्वारा यह काम संघ कर रहा है। साथ ही संघ ने अपनी बड़ी-बड़ी शाखाओं के भी कुछ छोटे विभाग किये हैं और अुनको खादीकाम में विभाग-स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। विभाग संबंधी अधिक जानकारी आगे स्वतंत्र रूप से दी गयी है।

## खादी सघन क्षेत्र और संघ के काम में बदल

वस्त्र-स्वावलंबन, खादी में क्षेत्र-स्वावलंबन, ग्रामों में अपनी आयात-निर्यात के आयोजन की कल्पना, ग्रामों में सहयोग पद्धति का अमल, यह सब कार्य चरखा संघ के सभी केन्द्रों में एकदम से जारी हो सके ऐसी हालत नहीं थी। क्योंकि संघ के कच्ची केन्द्र खादी-अुत्पादन और बिक्री की दृष्टि से ही आज तक संगठित हुअे थे और, कार्यकर्ताओं को भी उसी काम की तालीम मिली थी। अतः संघ ने व्यापारी खादी के बदले वस्त्र-स्वावलंबन आदि की दिशा में बढ़ना चाहा तब यह जरूरी हो गया कि सार्वत्रिक रूप से इसका प्रचार किया जाय और कार्यकर्ताओं की तालीम करने के साथ साथ हर प्रान्त या शाखाओं में कुछ खास क्षेत्र चुन कर वहाँ इस दृष्टि से ज्यादा शक्ति लगायी जाय। कार्यकर्ता की शक्ति व रुचि के अनुसार हर जगह के ऐसे क्षेत्रों का कार्यक्रम अलग अलग रहना स्वाभाविक था। फिर भी हर शाखा ऐसा कम से कम एक क्षेत्र या कार्यक्रम ले ऐसी कोशिश विवरण-काल में संघ की रही। अुस सम्बन्धी कुछ जानकारी यहाँ दी जाती है:—

**केरल:**—शुरु में सघन क्षेत्र न लेते हुअे इस शाखा ने अपने अेक अेक छोटे अुत्पत्ति केन्द्र को या अुप केन्द्रों को वस्त्र-स्वावलंबनी केन्द्र में बदलना शुरु किया। मुख्य बदल यह रहा कि सूत कताधी के लिये पैसे में मजदूरी देना त्रिलकुल बन्द किया गया। अुसके बदले खादी का कपडा, रुथी, सरंजाम आदि वस्तुअें देना शुरु किया गया कि जिससे कातनेवाला और अुसका परिवार मिल-बस्त्र छोड कर संपूर्ण खादीधारी बन

सकें। जो अैसे पूर्ण खादीधारी परिवार बनें अुनका वचत सूत खरीदने की गुंजाबिध रखी गयी। १९४९-५० में अैसे तीन केन्द्र शाखा ने चलाये और वहाँ का अनुभव अच्छा आया। अिसलिये १९५०-५१ में यह संख्या ८ तक बढ़ायी गयी। आज शाखा में कुल ११ केन्द्र चल रहे हैं। अुनमें से कुछ केन्द्रों के वस्त्र-स्वावलंबन के काम के आँकड़े नीचे दिये जाते हैं:—

केन्द्र	तत्रदीली का समय	कत्तिन संख्या १९५० जुलाजी से १५ अप्रैल १९५१ तक					
		से तत्रदीली तक पाए गए	के तत्रदीली के बाद	कृती गुंडी	बुती गुंडी गयी	तत्रदीली कपड़े के लिये गुंडी तत्रदीली गयी	संज्ञाम लिये के आदि
ओत्तपालम्	२-१०-४८	२२४	२२६	३३,६२५	५,०२९	१४,८९३	१,१६१
कुम्भतुरा	१-७-४९	२००	४००	१३,४६२	८५९	९,३६८	.....
मांजेरी	२-१०-५०	९२	५०	५,६२९	४,२७८	८३९	५१२
कुलशेखरम्	१-१-५१	.....	२७	२,१२४	२३०	१,५१२	३८२
पोन्नानी	.....	२५०	१३०	७,९१९	२,९२३	४,१६०	२०४

इन अंकों पर से पाया जायगा कि वस्त्र-स्वावलंबन का आग्रह रखने पर भी कातने वालों की संख्या कहीं कहीं बढ़ी है, घटी नहीं है। खास कर कुम्भतुरा केन्द्र में वह दुगुनी हुई है। यह बतलाता है कि अगर कार्यकर्ता उत्साही हो, सूझ के साथ काम कर सके और लोगों में सम्पर्क बढ़ा सके तो वस्त्र-स्वावलंबन के काम को भी बढ़ावा मिल सकता है।

**तामिलनाडु:**—अिस शाखा में दो तरह से काम हुआ। १९५० के नवंबर में और १९५१ के मधी में कार्यकर्ताओं के दो विशेष शिविर लिये गये; जिनमें शाखा के खादीकाम में नये कार्यक्रम अंतर्भूत करने का तय हुआ। अैसी कुछ बातें कार्यकर्ताओं ने तय कीं कि जो हर खादी केन्द्र में क्रमशः जारी करना नयी दृष्टि से अुन्हें जरूरी लगा। सारी बातें सभी केन्द्रों में अंक ही साथ जारी होना कठिन था। अतः यह खयाल रखा गया कि अुरुमें से अिस मद में जो केन्द्र प्रथम आगे बढ़ सकें, अटे। वे बातें केवल मार्गदर्शन के तौर पर और संघ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के

लिखे प्रेरणा रूप थीं। अनुका का तफसील परिशिष्ट - २ में दिया गया है। अनु बातों को अमल में लाने के लिये शाखा में से २० कार्यकर्ता चुन कर सुधार टोली का आयोजन करने का भी उस मधी १९५१ के शिविर में ठहराया गया। उसके अनुसार जो काम हुआ वह १९५१ के जुलाही से शुरू हुआ। खास कर के अब तक शाखा में ५०० से ऊपर जैसे कस्तिन-परिवार हो गये हैं जिन्होंने मिलकपडा न लेने का और खादी का ही अिस्तेमाल करने का संकल्प किया है। अनुमै से कठियों ने अपने परिवार की जरूरत की खादी बना ली है और अब अनुका वचत (सरप्लस) सूत शाखा खरीदती है। सरंजाम, बुनाही, रंगाही आदि का काम विकेन्द्रित करने की दृष्टि से शुरू हो गया है। यह योजना शाखा में व्यापक परिवर्तन की हुयी।

दूसरी तरह का काम शाखा के मूलनूर केन्द्र को सघन क्षेत्र का रूप दे कर हुआ। मूलनूर केन्द्र, शाखा के प्रधान केन्द्र तिरुपुर से ४२ मील के फासले पर है। यहाँ पर १९५० नवंबर के दो सप्ताह के शिविर में आये हुये कार्यकर्ताओं में से १० कार्यकर्ताओं ने उस क्षेत्र के करीब ५० देहातों से सम्पर्क बढ़ा कर नयी दृष्टि से काम करने की तैयारी बतलायी। सब से पहला काम अनुन्होंने कारीगरों के परिवारों को खादीधारी बनाने का और मिल-वस्त्र-बहिष्कार की आवश्यकता उन्हें समझाने का किया। अनुहीं दिनों कपडे का आकस्मिक अकाल रहा। अतः कारीगर भी हमारी योजना के विशेष अनुकूल रहे। उस क्षेत्र के कारीगरों के पूर्ण खादीधारी बनने तक अनुका सूत पैसे दे कर न खरीदने का हमारा आग्रह रहते हुये १९५१ के जनवरी से ३० जून तक के ६ मास में यहाँ कताही का काम बढ़ा और कारीगरों की खादी खरीदी भी बढ़ी। १९४९-५० के दूसरे ६ मास में मुलनूर क्षेत्र में १,७१,७०९ गुंडी सूत कता था उसकी जगह १९५०-५१ के दूसरे ६ मास में २,५६,७७५ गुंडी सूत कता, जिसमें १,१०,३९९ गुंडी की खादी केवल कस्तिनों ने ली और बाकी में से भी अधिकतर हिस्से का रुयी, सरंजाम आदि लिया गया। मूलनूर क्षेत्र में वार्षिक करीब चार से पांच लाख गुंडी सूत कतता है। मगर वहाँ बुनाही नहीं होती। बुनाही वहीं हो बैसा प्रयत्न शुरू हुआ है और कातनेवालों में तथा ग्राम के कुछ नवयुवकों में अब तक कुल १४ करघे शुरू हुये हैं। खड्डा पाखाना, मिश्र खाद, ग्राम सफाही आदि के कार्यक्रम भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता चला रहे हैं।

कस्तिनों को खुद खादी अिस्तेमाल करने की ओर आकर्षित करने के लिये तामिलनाडु शाखा के कुछ केन्द्रों में एक खास पद्धति चलायी गयी। वहां कस्तिनें

घाट गन्नी साड़ी पहनती हैं। गुंडी में धुनकी कीमत ७०-८० गुंडी जितनी होती है। धिसके लिये १५-२० कत्तिनों की ऐसी डोलियां बनायीं गयीं, जिनमें हर एक कत्तिन अपने हिस्से की गुंडी हर सप्ताह जमा करे कि जिससे कुल डोली की गुंडी मिला कर किसी एक कत्तिन को धुनके दाम में अेक साड़ी प्राप्त हो सके। धिस तरह बारी बारी से धुन धुन डोली की हर एक कत्तिन को अेक अेक साड़ी मिलने के कारण यह पदति वहां की कत्तिनों में काफी प्रिय हुआ है और धुन प्रकार मिलनेवाली साडियां वे खुशी से पहनने लगी हैं।

**कर्नाटक:**— सारे कर्नाटक प्रान्त में बुनाथी के लिये अेक बड़ा और अेक मध्यम दर्जे का अेसे केवल दो बुनाथी केन्द्र हैं। कताथी कथी जगह होती है। लेकिन बुनाथी के लिये सारा सूत धिन दो केन्द्रों में भेजना पडता है। कताथी साल में केवल ६ मास होती है और वर्षा के दिनों में दूर दूर देहातों का सूत वहीं संग्रहित करना पडता है। अतः धिस शाखा में पूँजी की दृष्टि से और धुत्पादन-खर्च की दृष्टि से भी काम कभी कार्यक्रम नहीं हो सका। व्यापारी खादी काम में भी सदा बहुत नुकसान आता रहा। धिसलिये धिस शाखा की अेक महत्त्व की समस्या थी कि सूत जहाँ कतता हो अुत्ती क्षेत्र में वह बुना भी जाय। धिस बुनाथी के पहलू को विशेष प्राधान्य दे कर धिस शाखा के कलादगी (बीजापुर) क्षेत्र में सवन क्षेत्र की योजना बनायी गयी। वहाँ ग्रामसम्पर्क का कुछ काम भी हुआ। कार्यकर्ताओं के प्रचार से कत्तिनों में खादी का धिस्तेमाल थोडा बढा। जो पहले अपने लिये ३० गज खादी तैयार कर ले अुसी कत्तिन से बाद में सूत खरीदने का नियम वहाँ बनाया गया। मगर आशा रखी थी धुन के अनुसार सवन क्षेत्र की दृष्टि से वहाँ काम न हो सका। खास कारण यह रहा कि शाखा के मंत्री बीमारी और अन्य कारणों से इस काम में जल्दी ध्यान नहीं दे पाये। और कार्यकर्ताओं में वैसा दूस्तरा कोथी मार्गदर्शक नहीं निकला।

धिस तरह सवन क्षेत्र की योजना धिस शाखा में ज्यादा सफल नहीं हुआ तथापि शाखा का एक दूस्तरा छोटसा-विभाग—कल्हाल विभाग—नयी दृष्टि से काम पनपाता गया और अब भी वहाँ अच्छी प्रगति हो रही है। बख-स्वावलंबन के साथ क्षेत्र स्वावलंबन, अपने ही क्षेत्र के गांव के कार्यकर्ता तैयार करना, अपने ही वहाँ बुनाथी खडी करना और साथ सारे महत्त्व के ग्राम पहलुओं को समझ कर यथायक्ति धुनके हल के लिये प्रयत्न करना या ग्राम-जनों का संगठन करना ये सभी प्रवृत्तियाँ वहाँ चलती हैं। कल्हाल गांव में कुछ जागृति आ रही है। व्यसन-मुक्ति, आटे की मिल-बक्की गांव में न लाना, बिना कचरे का कपास खेत में से चुनना, आदि छोटे छोटे कथी कार्यक्रम ग्राम-जनों ने संगठित किये हैं।

**आन्ध्र :**—सघन कषेत्र की दृष्टि से कोअी योजना नहीं की गयी । मगर अिस शाखा के तेनाली विभाग को एक स्वतंत्र विभाग कर दिया गया । वहाँ के संचालक ग्राम-समस्याओं में कअी वर्षों से दिलचस्पी लेते आ रहे हैं । ग्राम-जनों में सहकार-पद्धति से काम करने की शक्ति व वृत्ति पैदा करना, ग्राम के मल-मूत्र व कूडे के खाद का उत्पादन करने की रुचि पैदा करना, यंत्रोत्पादित “फर्टिलाइजर्स” के साथ इस ग्रामखाद के तुलनात्मक प्रयोग आदि कार्यक्रम वस्त्र-स्वावलंबन के कार्यक्रम के साथ साथ अुस विभाग में चलाये जा रहे हैं ।

**महाराष्ट्र :**—अिस शाखा के चान्दा विभाग में वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से विशेष प्रचार करने का सोचा गया और विवरण-काल में खास प्रचारक नियुक्त किये गये । फलस्वरूप करीब मान्यताप्राप्त १० और अुम्मीदवार ६ मिल कर १६ कताअी मंडल बने । अिस विभाग में पेशेवर कातनेवाले व्यक्तियों के सिवाय खुद के वस्त्र के लिये कातने वाले २५० व्यक्ति अहवाल-काल में तैयार हुअे । अिसी प्रकार अिस विभाग के ३०० जनसंख्या वाले छोटे-से चित्तौड़गाँव गाँव में अेक प्रायमरी मराठी स्कूल चलाया गया । वहाँ के विद्यार्थीगण अपनी अपनी कताअी के काम के पैसे में से स्कूल की फीस देने लगे और खुद के कपडे के लिये भी अुसका अुपयोग करने लगे । स्कूल के मास्टर ने अपनी फुरसत के समय में से विद्यार्थियों के कुछ सूत की बुनाअी कर अुसका कपडा तैयार कर दिया ।

मूल केन्द्र में अेक वसतिगृह विद्यार्थियों के लिये खादी-भवन नाम से चलाया गया । देहात के लडके उत्तम नागरिक बनें, अुनकी सर्वांगीण उन्नति हो अिस दृष्टि से वहाँ अत्न किये गये । अिर्दगिर्द के करीब ३५-४० लडके संघ के सान्निध्य में रहे । मल-मूत्र सफाअी, कताअी व प्रार्थना के कार्यक्रम में वे नित्य-नियमानुसार भाग लेते रहे । जातिभेद भूल कर वे सब विद्यार्थी भाअीचारे के साथ रहने लगे ।

**पंजाब शाखा :**—खास सघन कषेत्र या वस्त्र-स्वावलंबन केन्द्र का कोअी आयोजन यहाँ नहीं किया गया । लेकिन वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से अन्य प्रचार के साथ कत्तिनों को बुनाअी सिखलाने का विचार किया गया । शाखा में पहले करीब ७ कताअी-परिश्रमालय (स्कूल) चलाये जाते थे, वह संख्या विवरण-काल में १७ तक बढ़ायी गयी । अुनमें अेक दो जगह बुनाअी दाखिल करने की कोशिश की गयी और ३६ बहनों ने बुनाअी सीखी । हरेक कत्तिन को सालभर में अपने लिये २४ वर्गगज कपडा बना लेना चाहिये अुससे ज्यादा सूत ही खरीद किया जायगा अेसा नियम बनाया गया ।

अिस प्रान्त में कअी जगह त्रिजली से चलनेवाले यन्त्रों पर धुनाअी कर के पूनियां बेचने का व्यापार चल निकला है । हमारी कत्तिनें भी अैसी पूनियां खरीद



करने लगी थीं लेकिन खादी काम के लिये वह तरीका हानिकर होने से शाखा ने थुस तरह की पूनी का सूत खरीदना बंद किया और हाथ से धुनी हुई पूनियों का ही सूत खरीदने का खास प्रबंध किया। जिसके लिये खास धुनावी परिश्रमालय चलाने की और उसमें वनी पूनियां कस्तिनों को मुहैया करने की योजना की।

## खादी शिविर

चरखा संघ के पच्चीस साल के इतिहास में यह अेक नया आयोजन व कार्यक्रम रहा। १९४९ के जुलाबी मास में जिस काम के लिये संघ ने अेक शिविर समिति नियुक्त की। शिविर में श्रीयुत् कनुभाबी गांधी की सहायता भी अहवाल काल में संघ को मिली। अुनके साथ संघ के अन्य कुछ कार्यकर्ता दिये गये। वह टोली बराबर भ्रमण करती रही और कर्नाटक, आन्ध्र, तामिलनाड, केरल, गुजरात, ओरिसा, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में कहीं अेक तो कहीं अधिक अैसे कुल २५ शिविर चलाये गये।

अिन शिविरों का असर चरखा संघ के कार्यकर्ता पर, खादी-प्रेमियों पर और आम-जनता पर भी अच्छा पडा। खादी के प्रति लोगों को आकर्षित करना, खादी की मूल दृष्टि से अुन्हें परिचित करना, वस्त्र-स्वावलंबन की ओर प्रेरित करना और खादी-प्रक्रियाओं सिखलाना ये काम शिविरों में किये गये। साथ साथ ग्राम-सफाअी, कूडे व मैले का खाद बनाना और ग्रामोद्योगी पदार्थों के अित्तेमाल का प्रचार भी अिन शिविरों में हुआ। तीन रोज से लेकर सात रोज तक के शिविर चलाये गये।

जगह जगह से शिविर के लिये माँग आने लगी, लेकिन हर जगह पहुँचना अेक ही केन्द्रीय टोली के बस की बात न थी। जिस अनुभव से यह महसूस होने लगा कि अैसी शिविर-टोली हर प्रान्त में बनायी जाय। अलग-अलग के सर्वोदय सम्मेलन के वक्त प्रान्तीय मंत्रियों के साथ जिसकी चर्चा हो कर प्रान्तीय टोलियाँ बनाना निश्चित हुआ। प्रान्त में अैसी टोली बना कर शिविर का कार्य अधिक जोरों से चाल किया गया। अहवाल-काल में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शिविर-टोलियों ने कुल ६६ शिविर किये जिनमें बांस-चरखा-शिक्षण-शिविर अधिक रहे। प्रान्तवार शिविर तथा शिक्षार्थियों की संख्या तालिका ५ में दी गयी हैं।

## चरखा जयंती

यह कार्यक्रम चरखा संघ कभी वर्षों से देशभर में चलते आया है। शुरू में चरखा जयंती के दिनों में अधिक से अधिक खादी बेचने का कार्यक्रम विशेष रूप से

रहा करता था। पर अिधर कुछ वर्षों से खादी विचार का प्रसार और स्वावलंबी कताभी का कार्यक्रम प्रधान मानकर अुसमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगायी जाने लगी है। अिसके लिये प्रार्थना, गांधीजी के साहित्य का वाचन और सूत्रयज्ञ के कार्यक्रम संगठित किये जाते हैं। विवरण साल में अक्तूबर १९५० में ८२ वीं चरखा जयंती थी। अतः २ अक्तूबर १९५० के ८२ दिन पहले से शाखाओं के भिन्न भिन्न केन्द्रों में ८२ दिन का अखंड सूत्रयज्ञ सामूहिक स्वरूप का रखा गया था। सब जगह के कताभी के आँकडे नहीं मिल पाये हैं। कुछ केन्द्रों में कताभी यज्ञ के अलावा जयंती काल में बुनायी का भी आयोजन किया था। लोगों की सूत्रयज्ञ व बुनायी की अभिरुचि देखकर संघ ने दूसरे वर्ष यानी ८३ वीं चरखा जयंती में पूरे वर्ष में ८३ गुंडी कताभी का संकल्प करने का प्रचार किया तथा साथ साथ कम से कम १०० जगह संघ के बुनायी प्रसारक भेज कर "बुनायी सेवा" का आयोजन किया। दफ्तर में जो अंक मिले हैं अुन परसे १३ शाखाओं के १३३ विभिन्न केन्द्रों में यह कार्यक्रम किया गया। सफाी आदि कार्यक्रमों के साथ साथ सूत्रयज्ञ में १०,३५० गुंडियाँ कताभी हुयी, पर ८३ दिन तक जो अखंड सूत्रयज्ञ किया गया अुसमें १,३५,१५९ गुंडियाँ कताभी हुयी। सेवा का कार्यक्रम २२ शाखाओं तथा विभागों के ७६ केंद्रों में चलाया गया जिसमें ४६२ भाईबहनों ने हिस्सा लेकर ३,३२६ वर्ग गज खादी खुद बुनी। हमने अनुभव किया कि ८२ और ८३ दिन के अखंड सूत्रयज्ञों में 'कताभी' तथा ८३ वीं जयंती में 'बुनायी' के लिये खादी प्रेमियों ने बडे उत्साह से भाग लिया। अिन कार्यक्रमों के अलावा प्रार्थना, सफाी, मिश्रखाद के गड्डे बनाना, सभाओं का आयोजन तथा कताभी-प्रतियोगितायें भी कभी केंद्रों में की गयीं। दोनों जयंती अहवाल क्रमशः सर्वोदय तथा कताभी मंडल पत्रिका में प्रकाशित किये गये।

## सर्वोदय पक्ष

चरखा जयंती की तरह ३० जनवरी से १२ फरवरी तक के सर्वोदय पक्ष में भी विशेष कार्यक्रम करने की संघ कोशिश करता है। चरखा जयंती निमित्त खुद के वल्ल-स्वावलंबन, और सर्वोदय पक्ष में समग्र ग्राम-स्वावलंबन के लिये उपर्युक्त कार्यक्रमों पर शक्ति केन्द्रित करने की दृष्टि रखकर संघ साल-ब-साल अुसके अनुरूप काम व प्रचार करता आया है। अिसलिये सर्वोदय पक्ष में कताभी के अपरांत सफाी व ग्रामों में घूमकर प्रचार करने पर विशेष जोर दिया जाता है। अिसके लिये टोलियों के रूप में पैदल यात्रा करने का व रास्ते में गांवों में उपर्युक्त कार्यक्रम करते जाने का सिलसिला पिछले दो वर्ष से शुरू किया गया है। अिन टोलियों को सर्वोदय टोली

नाम दिया गया है। प्रत्यक्ष ३० जनवरी को सुबह सफ़ावी, दोपहर सूत्रयज्ञ व शाम को प्रायना का आयोजन किया जाता है। जिस संबंध में जो आँकड़े मिल सके उनका संकलन नीचे लिखे अनुसार है :—

वर्ष	कितने गाँवों में कार्यक्रम हुआ	सफ़ावी	सूत्रयज्ञ	उपस्थिति
				प्रार्थना
१९५१	१,७६८	११,९०६	१,२५,४०५	१,१७,८९७
१९५२	६५४	९,०८४	१९,७१७	४९,१११

दूसरे वर्ष यानी १९५२ में ३० जनवरी का कार्यक्रम पहले वर्ष जितनी संख्या में नहीं हो पाया। आम चुनावों के कारण ज्यादा लोगों को हम जिस ओर आकर्षित नहीं कर पाये। लेकिन कार्यकर्ताओं ने सर्वोदय टोली का कार्यक्रम काफी अच्छी तरह कार्यान्वित किया। १९५१ में टोली की यह कल्पना नयी थी और बहुत कम जगहों में टोलियाँ घूमती थीं। परंतु १९५२ के सर्वोदय पक्ष में उनकी संख्या और काम के आँकड़े नीचे लिखे अनुसार रहे :—

कुल टोलियाँ निकलीं	३९३
कुल देहातों में भ्रमण किया	४,१९३
कितने लोगों ने कार्यक्रमों में भाग लिया	२,५६,५९२
कितनी सूतांजली मिली	गुंडियाँ ५९,७५६
कुल भूदान मिला	अेकड ६८३

बिना सब कार्यक्रमों को जोड़कर १९५२ के सर्वोदय पक्ष में विनोबा के ही शब्दों में तैयार किया हुआ “भूदान-यज्ञ” पर अेक प्रवचन पढ़ने की व्यवस्था की गयी जिससे भूमिदान-आंदोलन संबंधी विचार लोगों तक पहुंचने में मदद हो। इसके अलावा सूत्रयज्ञ के कार्यक्रमों के बाद सूतांजलि विकट्टी करने का कार्यक्रम भी रखा गया था। घूमती टोलियों ने अपने प्रवास में गांव गांव में यह कार्यक्रम किये और ३० जनवरी को हर केन्द्र में यह कार्यक्रम किये गये।

## सूतांजलि

ता. १२ फरवरी को होनेवाले सर्वोदय मेलों (जो गांधीजी की अस्थियां जहां जहाँ प्रवाहित की गयी थी वहां लगते हैं) के लिये विनोबा ने “अेक गुंडी (६४० तार की लच्छी) समर्पण” का कार्यक्रम सुझाया। उसकी शुरुआत नाग विदर्भ में पवनार के मेले में १९५० में हुयी। उसके लिये उस प्रान्त में कुछ प्रचार भी किया गया। फलस्वरूप पवनार मेले में उस वर्ष करीब छ हजार गुंडी रत चमा हुआ। उसके अुत्साहित होकर दूसरे साल यानी १९५१ में यह कार्यक्रम सारे

देश भर के लिये चाहिए किया गया। वह सफल करने में संघ के देशव्यापी संगठन का काफी उपयोग हुआ। यह भी लिखने में हर्ज नहीं कि संघ के कारण ही यह कार्यक्रम देशव्यापी हो सका।

सूतांजलि समर्पण के पीछे जो विचार है वह विनोबाजी के शब्दों में ही यहां अद्भुत करते हैं।

“जो गुंडी देगा वह हमारे विचारों का वोटर माना जायगा। उसका नाम, पता हमारे दफ्तर में रहेगा। इस तरह यह एक अत्यंत सुव्यस्थित और ठोस कार्यक्रम आप के सामने रख रहा हूं। आज वोटर केवल अठारह करोड़ हैं, और हमारी इस योजना के अनुसार तो पांच वरस का बालक भी हमारा वोटर हो सकता है। वह वोटर खादी वाला ही हो यह जरूरी नहीं है। वह वोटर शराबी हो तो उसकी शराब छुड़वाना मेरा काम है। जिस तरह एक परिवार के लोक अलग-अलग गांव में रहते हैं और खास प्रसंगों पर अकेल मिलते हैं, वैसे ये हमारे सारे गुंडी-दाता कुटुंबी-जन सर्वोदय मेले के अवसर पर परस्पर मिला करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता बीच बीच में उनके गांव में जाकर मिल आया करेंगे। वे खास कर धुन गांवों में जायेंगे जहां एक ही गुंडी देनेवाले लोग रहते हैं, क्यों कि विभीषण की तरह उस गांव में वह अकेला रहेता है।

यह मैं एक अत्यंत व्यापक कार्यक्रम आपको दे रहा हूं। इससे देश में काफी शक्ति निर्माण हो सकती है”

संघ के कारण सूतांजलि का कार्यक्रम तो सफल होने लगा है। परंतु जैसा कि विनोबाजी ने लिखा है सर्वोदय विचार के अिन वोटरों के पास पहुंच कर उनमें जो काम करना चाहिये वह अभी तक नहीं हुआ है।

## खादी विद्यालय और शिक्षा समिति

खादी संबंधी विभिन्न पहलुओं और कारीगरी के जानकार कार्यकर्ता तैयार करने की दृष्टि से कभी वर्षों से संघ खादी विद्यालय चलाता रहा है। सेवाग्राम में संघ का केन्द्रीय विद्यालय रहा और समय समय पर अन्य शाखाओं में भी खादी विद्यालय चले। खादी प्रवृत्ति में जैसे जैसे दृष्टि व्यापक होती गयी और चरखा संघ के कार्यक्रम में भी नये नये पहलुओं पर जोर दिया जाने लगा वैसे वैसे खादी के अभ्यासक्रमों में भी समय समय पर परिवर्तन होते रहे। खादी विद्यालयों की प्रवृत्ति चलाने और उस संबंधी हर पहलू पर विचार करने के लिये सन १९४० में चरखा संघ ने अपनी एक खादी शिक्षा समिति की स्थापना की। समिति के सदस्य

भी समय समय पर बदलते रहे । मौजूदा समिति में ९ सदस्य हैं । संघ के अध्यक्ष श्री. धीरेन्द्र मजूमदार, श्री. खुनाथ श्रीधर घोत्रे, श्री. बलभत्सामी, श्री. नन्दलाल पटेल, श्री. रामदेव ठाकुर, श्री. नटराजन, श्री. नारायण देसाई, श्री. देवेन्द्र गुप्त और चरखा संघ के मन्त्री ।

चरखा संघ के खादी विद्यालयों के अलावा कहीं कहीं स्वतंत्र विद्यालयों में भी संघ का अभ्यासक्रम व संघ की परीक्षाएँ चलायी गयीं । शिक्षा समिति ने अनेक विद्यालयों को मान्यता दी और संघ ने ऐसे मान्यता लेनेवाले विद्यालयों को अधिक सहायता देने की नीति भी बनायी । अभ्यासक्रम की मोटी जानकारी परिशिष्ट ३ में दी गयी है । अभ्यासक्रम, विद्यालय के नियम, विद्यार्थी भरती करने तथा छात्रवृत्ति के नियम, मान्यता के नियम आदि सब की पूरी जानकारी स्वतंत्र पुस्तिका में संघ की ओर से प्रकाशित की गयी है जो ९ आने के डाक टिकट भेजने पर संघ के केन्द्रीय कार्यालय, सेवाग्राम से मिल सकती है । मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सहायता नीचे लिखे अनुसार दी जाती है । यह मदद परीक्षा अुत्तीर्ण करनेवाले विद्यार्थियों के हिसाब पर नीचे लिखे अनुसार दी जाती है:—

प्रत्येक अुत्तीर्ण छात्र के पीछे संघ से दी जानेवाली सहायता

अभ्यासक्रम	
१ खादी प्रवेश	रु. २००
२ बुनायी कार्यकर्ता	” १५०
३ दुबया बुनायी	” १००
४ कतायी कार्यकर्ता	” १००

विवरण काल में चरखा संघ की ओर से मुख्यतः सेवाग्राम का विद्यालय ही चला । १९५०-५१ में करीब डेढ़ वर्ष वारडोली में भी गुजरात शाखा की ओर से विद्यालय चला । पर यह विद्यालय सेवाग्राम के शिक्षक भेजकर ही चलाना पड़ा । पहले अुम्मीद थी की गुजरात शाखा से ही शिक्षक, कार्यकर्ता व संचालक मिल जायेंगे । मगर वह न मिलने से वारडोली का विद्यालय बंद करना पड़ा । कर्नाटक शाखा विद्यालय चलाती रही, मगर वह पूरे नियमों का पालन नहीं कर सकी । जिसलिये अुसे शिक्षा समिति की मान्यता नहीं दी गयी । अिनके अलावा चरखा संघ के मान्यता प्राप्त चितलडुग ( मैसूर ) तथा रायपुर व अकोला ( मध्यप्रदेश ) के तीन स्वतंत्र विद्यालय चले । अिन सब में सीख कर परीक्षा देनेवालों की संख्या नीचे लिखे अनुसार रही ।

नाम	वैटे	१९४९-५०			१९५०-५१		
		अुत्तीर्ण	अनिर्णीत		वैटे	अुत्तीर्ण	अनिर्णीत
१. पाठशाला शिक्षक							
खादी प्रवेश	२५	२४	—	—	—	—	
कताभी	२५	२४	—	२६	२६	—	
दुबटा बुनाभी	२५	२४	—	१२	६	—	
२. खादी प्रवेश	१३	९	१	—	—	—	
३. कताभी कार्यकर्ता	६६	३६	५	३५	२४	५	
४. बुनाभी कार्यकर्ता	२९	२२	२	१९	१६	१	
५. दुबटा बुनाभी	२५	२२	—	६	३	—	
कुल	२०८	१६१	८	६८	६५	६	

विद्यालयवार तफसील तालिका ६ में देखिये।

यह भी अुल्लेख करना ठीक होगा कि बम्बई सरकार ने पाठशालाओं में कताभी दाखिल करने की योजना बनायी अुस सिलसिले में पाठशाला के शिक्षकों में से चुनकर पहले ५० और बाद में २५ अैसे कुल ७५ व्यक्तियों को सेवाग्राम खादी विद्यालय में कताभी व बुनाभी की शिक्षा दिलवायी। फी विद्यार्थी १० रु. मासिक शिक्षा शुल्क के रूप में खर्चा भी बम्बई सरकार ने संघ को दिया।

अभ्यासक्रमों के परिवर्तनों का ज्यादा तफसील यहां देना ठीक नहीं होगा। थोड़े में अुनकी कल्पना अिस प्रकार है:— खादी उत्पादन की कारीगरी और शास्त्र की दृष्टि से मूल खादी अभ्यासक्रम बने थे। अुनमें बल्लस्वावलंन के लिये तथा पाठशाला में खादी कला दाखिल होने के लिये कुछ खास खास फर्क किये गये। मसलन किसी किसी अभ्यासक्रम में धुनाभी के बदले घनुप्य-बुनाभी रखी गयी। दुबटा सूत कातना व अुसकी बुनाभी भी शामिल की गयी। किसान व पेटी चरखे के बदले बॉस चरखे को स्थान दिया गया। ग्रामसेवा की दृष्टि से सफाभी को अभ्यास का विषय माना गया। बॉस चरखे की कताभी के साथ बॉस चरखा बनाने की तालीम भी अभ्यासक्रम में शामिल की गयी, क्यों कि यह अनुभव आया कि बॉस चरखा बनाना बहुत आसान है और हर कोयी आसानी से अुसे बना सकता है। अभ्यासक्रम के निमित्त और स्वतंत्र रूप से सेवाग्राम विद्यालय में विवरण काल में ५३५ भांजी बंधनों ने बॉस चरखा बनाने की तालीम ली। अिसमें तालीमी संघ के विद्यार्थी, कस्तूरबा ट्रस्ट की संचालिकाओं तथा बम्बई सरकार के शिक्षकगण भी काफी संख्या में रहे।

## कपास विभाग

संघ का खादी काम अधिकतर पिछले वर्षों में बाजार से रुथी खरीद कर ही चल्य। मगर देश में कपास की खेती दिन-दिन केन्द्रित होती गयी। कुछ वर्षों के पहले हर प्रान्त में कपास पैदा होता था, हर जगह स्थानिक जातियां होने से थुस रुथी से मजबूत व टिकाऊ कपडा बनता था, लेकिन केन्द्रित पद्धति के कारण कयी प्रान्तों में कपास पैदा होना बंद हो गया। मिलों के लिये लंबे तंतु की रुथी पैदा करने में छोटे तंतुवाली किन्तु मजबूत कपडे के लिये अनुकूल रुथी की जातियां मारी गयीं। धीरे-धीरे यह हालत होती गयी कि कातनेवालों को रुथी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। जो रुथी मिल सकी उसकी खादी बहुत कमजोर बनने लगी। यह सब देखते हुये ट्यूनी मंडल की तारीख २७ जून १९४९ की समा में कपास की समस्या पर विचार किया गया और खादी की दृष्टि से कपास की खेती के संबंध में प्रयोग करने के लिये संघ ने अके कपास समिति नियुक्त की जिसके संयोजक श्री. दादाभाई नाईक चुने गये। समिति को नीचे लिखी दृष्टि से काम करने को सुझाया गया :

१. खादी मजबूत और टिकाऊ बने ऐसा कपास प्राप्त करना।
२. खेत से बिना कचरे का कपास चुनवाने का प्रयत्न करना।
३. हर प्रान्त में कपास पैदा करना।
४. किसान की सुविधा और बचत की दृष्टि से कपास की खेती का तरीका तय करना।
५. वस्त्रखालवन की दृष्टि से घर में चंद पौदे या पेड लगाकर कपास उपजा लेना।

कपास संबंधी सरकारी नीति केवल मिलों के विकास की दृष्टि से तय होती रही है। मौजूदा कपास के सरकारी केन्द्रों में खादी के लिये अपर लिखी दृष्टि से संपूर्ण रूप से प्रयोग हो सकने के बारे में शंका है। जिसलिये संभव हो वहां थुन केन्द्रों की मदद लेकर जरूरत के अनुसार कपास संबंधी स्वतंत्र प्रयोग करने का भी संघ ने तय किया और जिस समिति में सरकारी प्रयोग केन्द्रों के अके निवृत्त विशेषज्ञ श्री. शिवाभाई पटेल को भी लिया गया। अन्होंने हमें कपास के प्रयोग के काम में बहुत सहायता की, उसका साभार अल्लेख खास तौर पर हम यहां करते हैं। समिति ने खो प्रयोग किये थुन में घर आंगन में होने लयक वृक्ष कपास के बारे में ज्यादा जांच की। उसके लिये नरसिंहपुर, सेवाग्राम व त्रिलीमोरा तीनों जगहों में जुदे जुदे कपास के नमूने लेकर बगीचे बनाये गये। प्रयोग में यह अनुभव आया कि वृक्ष-कपास हर

कहीं, हर किसी भी जमीन में और मामूली परिश्रम और देखभाल से हो सकता है। जहां ओस नहीं पड़ती है उस जगह पहले साल माह दिसंबर से माह मभी तक अूपर से पानी देना पड़ता है। जहां ओस पड़ती है वहां जिसकी भी जरूरत नहीं रहती। प्रयोग से यह भी अनुभव आ रहा है कि हर जगह छोटे तथा मध्यम रेशेवाला देशी आरवोरियम वृक्षकपास अच्छी तरह पैदा हो सकता है। जिसका अधिक अनुभव पाने के लिये भारत के जुदे जुदे प्रान्तों में करीब ढाभी सौ लोगों को प्रयोग की दृष्टि से: वृक्षकपास के बीज बांटे गये हैं और जिसमें दिलचस्पी रखकर प्रयोग करनेवालों को अभी भी बीज वितरण करने की व्यवस्था संघ के केन्द्रीय दफ्तर से की गयी है।

अब श्री. दादाभायी नाथीक भूदान के काम में लग जाने से और कपास संबंधी अनुभवी कार्यकर्ता के अभाव में जिस विभाग का काम निश्चित योजनानुसार नहीं चलाया जा सका है। पर कपास का सवाल खादी के लिये बहुत महत्त्व का सवाल है ऐसा दिन पर दिन महसूस हो रहा है और संभव हुआ तो जिस दिशा में अधिक काम करने की संघ की इच्छा है। अभी तो कपास समिति भी संघ ने विसर्जित कर दी है। उस विभाग के अेकाध कार्यकर्ता द्वारा थोडा बहुत काम संघ चला रहा है। विवरण काल में जिस विभाग की ओर से कपास संबंधी दो पुस्तिकायें तैयार की गयी हैं जो चरखा संघ ने प्रकाशित की हैं। एक का नाम है “कपास स्वावलंबन” व दूसरी का नाम है “कपास की समस्या—खादी की दृष्टि से”। उन के दाम क्रमशः दो आना और आठ आना प्रति पुस्तक रखे गये हैं।

## खादी सरंजाम के प्रयोग

जिस काम के लिये चरखा संघ ने अेक सरंजाम समिति नियुक्त की है। जिसमें मौजूदा सदस्य सात हैं। सर्वश्री अ. वा. सहस्रबुद्धे, कृष्णदास गांधी, नंदलाल पटेल, रामाचारी वरखेडी, माधवलाल पटेल, मोहन परीख तथा विष्णुभायी व्यास। सरंजाम समिति के मार्गदर्शन में खादी सरंजाम के प्रयोग पूर्ववत् विवरण साल में भी चलते रहे। संक्षेप में उनकी जानकारी नीचे लिखे अनुसार है:—

**वांस चरखा :** विवरण-काल में वांस चरखे की ओर संघ ने विशेष ध्यान दिया। परीक्षण से पता चला कि वांस चरखा कीमत में सस्ता और बनाने में सुलभ है, अितना ही नहीं परन्तु उस पर कत्ताभी की गति भी बहुत अच्छी आती है। जिस सम्बन्धी प्रयोग की जानकारी नीचे दी जा रही है। सेवाग्राम विद्यालय में



सात माधियों ने किसान चरखे और बांस चरखे पर अपनी कताव्ही का हिसाब निकाला उसके आँकड़े ये हैं ।

क्रमांक	प्रयोग के दिन	बांस-चरखा				किसान चरखा			
		औसत तार १ घंटे में	अंक	कस	समानता	औसत तार १ घंटे में	अंक	कस	समानता
१.	५	३४३	१५॥॥	७०	८२	३००	१४॥॥	६६	८०
२.	५	३२४	१६	७८	७९	३१०	१६।	७१	७९
३.	४	३६८	१४॥	१०२	३	३६३	१३॥॥	८३	७८
४.	२	३८३॥	१३।	८३॥	८१॥॥	३७०	१३	७२॥	७९
५.	६	२८९	१३॥	८१	७९	२८८	१३।	८४	८८
६.	८	३९८	१५॥॥	८५॥	८७	३७८	१५॥॥	७८॥	८५
७.	४	२९१॥	१६॥	७६।	८५॥	२७६	१६।	६८॥	७६

यह गति परेतने सहित है । सर्वों की मिल कर एक घंटे की औसत गति बांस चरखे की ३४२ तथा किसान चरखे की ३२६ तार हुयी ।

अिस पर से पता चलेगा कि किसान चरखे से बांस चरखे पर कातने की गति और सूत की समानता तथा कस भी ज्यादा आया है यह अनुभव लेने के बाद चरखा संघ ने अपने सेवाग्राम विद्यालय में बांस चरखे का अभ्यासक्रम दाखल किया । अब वहां हर विद्यार्थी अपना बांस चरखा बना कर कताव्ही सीखता है । चरखा संघ ने अिस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव कर के यह भी राय जाहिर की कि पाठशालाओं में भी बांस चरखा ही दाखल किया जाय । दूसरा प्रस्ताव संघ ने यह भी किया कि संघ के सरंजाम कार्यालयों में पेटी व किसान चरखे बनाना बन्द कर के या कम कर के बांस चरखे का ही प्रचार व शिक्षण बढ़ाया जाय । दोनों प्रस्ताव परिशिष्ट १ में दिये गये हैं । संघ की हरेक शाखा में बांस चरखा तालीम के लिये खास प्रचारक शिक्षक रखे गये और करीब समी प्रान्तों में अिसके वर्ग चलाये गये । अब तक देश भर में अंदाजन २००० माव्ही-बहनों को बांस चरखे की तालीम दी गयी ।

बांस चरखे में अत्र सादा खडा चरखा, पेटी खडा चरखा, सादा आडा चरखा और पेटी आडा चरखा जैसे सब तरह के नमूने बने हैं। अत्र धिनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है। अत्र तक बांस पका कर चरखे बनाने का प्रवन्ध सब जगह नहीं हो सका है। यह काम जल्दी ही हाथ में लेने का संघ सोच रहा है।

**धुनाबी मोढिया :** इसके अनेक प्रयोग संघ के सरंजाम कार्यालय तिरुपुर, हुवली, सेवाग्राम व बारडोली में होते रहे। धिनमें तीन नमूने मुख्यतः काम लायक बने। १ ½" × १ ¾" पंखे का छोटा धुनाबी मोढिया बना जिसे चरखे में लगा कर कताबी के साथ साथ धुनाबी होती है। अगर ३० धिन् चरखे पर वह लगाया जाय तो गांठ की रबी से अुस पर अेक घंटे में २०-अंक के ३४० तार तक धुनाबी की गति आयी है। पर इस मोढिये में चरखा अधिधर अधर कहीं भी लेकर कातने चैटने की सुविधा नहीं रहती। साथ ही धुनाबी के साथ कातने में थोड़ी कला और कुछ थोड़ी शक्ति भी ज्यादा लगती है। फिर भी जहाँ कपास न हो और गांठ की रबी हो वहाँ स्वावलंबी धुनाबी करते हुअे कातने में यह मोढिया अनुकूल होगा ऐसा लगता है। इसका पोल भी अच्छा होता है और इस में बॉल-ब्रेअरिंग की जरूरत नहीं पडती। अगर यह मोढिया बांस चरखे या २४" चरखे पर लगाया जाय तो भी काम देता है, पर कुछ कम।

दूसरा मोढिया २" × ३" के पंखे का बना है और तीसरा ३" × ३" पंखे का। ये दोनों २४" या ३०" वाले खडे चरखे पर चलाये जा सकते हैं और पैर से खास बड़े चक्के की फ्रेम पर भी चलाये जा सकते हैं। धिनमें काकर वैअरिंग चल सकते हैं मगर मोढिया कुछ भारी चलता है। बॉल-ब्रेअरिंग से ये विशेष आसानी से चलते हैं। धिन पर हाथ-चरखे पर १० से १२ तोले पोल और पैर-मोढिये पर २० तोले तक पोल फी घंटा तैयार होता है। पूनी बनाने का वक्त अलग।

कातनेवाले को पूनी का स्वावलंबन न रहे, इस दृष्टि से धुनाबी-मोढिया का संशोधन चल रहा है। पूनी का व्यापार चलाने लायक पैर की यंत्रधुनकी कभी वर्षों पहले बने चुकी थी और गुजरात और राजस्थान में उसका ठीक ठीक प्रचार भी हुआ था। मगर पूनी स्वावलंबन के लिये वह यंत्र-धुनकी अनुकूल नहीं थी। अत्र जो मोढिये बने हैं वे पूनी स्वावलंबन के लिये काफी हद तक अनुकूल मालूम पडते हैं। हालाँ कि धिनका उपयोग भी, खास कर पैर-मोढिये का, पूनी के व्यापार के लिये हो सकता है, अगर उसी वृत्ति से काम किया जाय व स्वावलंबन का ख्याल न रखा जाय। हम आशा करते हैं कि खादीप्रेमी व संशोधन-कार पूनी-स्वावलंबन का ख्याल रख कर ही धिन मोढियों का उपयोग करेंगे।

1-187 1180

अभी वारडोली सरंजाम कार्यालय में ३" X ३" के पंखे के मोटिये विक्री के लिये बनाये जाते हैं। कीमत आदि के बारे में व्यवस्थापक, सरंजाम कार्यालय, वारडोली (सुरत) से पत्रव्यवहार करना चाहिये।

**विभिन्न चरखे :** विवरण-काल में जापान के कुछ चरखों की बात भी चरखा संघ के सामने आयी और हिन्दुस्तान में भी कुछ प्रयोगकारों ने नये चरखे बनाये। जापान के नमूनों में पैर से चलनेवाला मगर अके ही धागा कातनेवाला चरखा विशेष तौर पर हमारे यहाँ और ग्रामोद्योग समिति वंरुधी के पूना के प्रयोग विभाग में आजमाया गया। हमारे सादे चरखे की अपेक्षा उस पर कातने की गति कम आयी। दूसरा जापान का १० धागे अकेसाथ कातनेवाला नमूना वारडोली में आजमाया गया; उसमें सभी धागों मिल कर नीचे लिखा काम हुआ:—

कताधी के घंटे	सूत कता तार	सूत का वजन	सूत अंक
२	२६१ (याने ३४८ गज)	३ $\frac{१}{४}$ तोला	५३२

अससे पाया जायगा कि ये दोनों चरखे हमारे काम के नहीं हैं। १० धागे कातनेवाला चरखा तो केवल "वेस्ट-रुधी" कातने के काम का ही है।

हमारे देश में बने चरखों में दक्षिण भारत के अके किसान नवयुवक माधी अकेरनाथन् के चरखे ने हमारा विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। उस पर आजमाविशली गयी, उसका तफसील तालिका ७ में दिया गया है। उस पर से प्रता चलेगा कि करीब १२ अंक का १११ प्रति शत कस का ४८७८१ याने करीब ७ $\frac{३}{४}$  गुंडी सूत ५ घंटे ३८ मिनट में कता है। सूत की समानता अतनी अच्छी नहीं थी। दो तकुवे के नमूने पर अितनी कताधी हो सकी है। मगर अिस चरखे में ४ तकुवे भी अके आदमी चला सकना संभव दिखता है। यह नमूना अभी अैसा नहीं बन सका है कि हर कातनेवाला अिसे आसानी से चला सके। उस चरखे के लायक पूनी का खास आयोजन, मालाओं की फिसलन दूर करना आदि कुछ सुधार अिस चरखे में करना जरूरी है। संघ के प्रयोग-विभाग में उसकी कोशिश जारी है।

श्रीयुत् काले जी का नाम अत्र चरखा-संशोधन के लिये मशहूर हो चुका है। पिछले ३० वर्ष से वे अिस काम के पीछे लगे हैं। अुन्होंने अके नमूना बनाया है अुसमें ४ तकुवों पर कताधी होती है और पूनी भी अुसी में बनती है। अुनका कहना है कि यह मनुष्य-शक्ति से भी चल सकेगा। मिल के यांत्रिक सिद्धान्तों पर यह चरखा बना है। सूत अच्छा कतता है और अके दिन में अके मनुष्य २० अंक की १८ गुंडी सूत कात सकता है अैसा अुनका कहना है। मगर देहातों के बरेल्ल अुद्योग की दृष्टि से यह चरखा बहुत कीमती और यांत्रिक गुणियों से भरा हुआ है। उसकी रचना

मी वैसी है कि उसे विशुद्ध-शक्ति से चला कर, मनुष्य-शक्ति से उस पर हो सकने वाले उत्पादन के साथ स्पर्धा सहज ही हो सकेगी। यह सब देखते हुअे घरेलू अद्योग या स्वावलंबन के लिये वह अभी अनुकूल नहीं दीखता है। बड़ी बड़ी मिलों के बदले विकेन्द्रित यंत्र के तौर पर वह शायद अेक हद तक काम दे सके। लेकिन ये प्रयोग संघ की मर्यादा और दृष्टि के बाहर के हैं। अतः जिसकी जाँच में संघ नहीं पडा है। मालूम हुआ है कि बम्बयी सरकार उस दिशा में कुछ जाँच करवा रही है। चरखे के संशोधन में दृष्टि क्या रहे उस संबंधी चरखा-संघ के टूटी मंडल ने अपनी ता. ७-१-१९५१ की सभा में अेक प्रस्ताव किया वह परिशिष्ट १ में दिया गया है।

**करघा :** करघों के प्रयोगों में पेटी करघे और वांस करघे के प्रयोग विशेष अुपयोगी मालूम पडे। पेटी करघे की विशेषता यह है कि काम के बाद पेटी में करघा बन्द कर के हिफाजत से कहीं भी रखा जा सकता है। जिसलिये पाठशाला, प्रदर्शनी, शिबिर आदि के लिये पेटी करघा खास अुपयोगी मालूम पडता है। जिसमें ३२" अर्ज तक कपडा आसानी से बुना जा सकता है। वांस करघे की विशेषता यह है कि वह दूसरे करघों से बहुत सस्ता पडता है व बनाने में आसान रहता है। जिसलिये स्वावलंबी बुनायी करनेवालों को वांस करघा विशेष काम का होगा।

**प्रक्रियाओं घटाना :** सरंजाम में सुधार कर के काम की गति, बढ़ाने के प्रयोग हुअे वैसे ही प्रयोग की अेक दूसरी दिशा यह रही कि अभी कपास से कपडा बनाने में जितनी प्रक्रियाओं करनी पडती हैं उनमें कमी करने का संभव हो तो वह कर के उत्पादन के वक्त की वचत की जाय। करीब पांच या छः वर्ष पहले अैसा अेक प्रयोग किया गया था कि साफ सुथरा कपास सलाखी पटरी पर कलापूर्ण रीति से ओट कर उस रुयी से सीधी पूनियां बना ली जायं। याने धुनने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अुडा दिया जाय। इस तरह धुनायी अुडा कर सीधे पूनी बना लेने की पद्धति को पुनायी नाम दिया गया था। पुनायी की पद्धति में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सफलता मिली थी। मगर जहां कपास पैदा होता हो और वह भी लंबे तंतु का अच्छा कपास पैदा हो सके वहीं के लिये पुनायी की पद्धति काम की मालूम पडी थी। साथ ही अच्छे कपास की रुयी से १६ या अधिक से अधिक २० अंक तक का सूत कातना हो तो ही वह पद्धति काम की दीखी। याने वह कल्पना प्रयोग में सफल जरूर हुयी पर सीमित रूप में।

अब जो प्रक्रिया घटाने का प्रयोग किया गया वह सूत की गुंडी बनाने की और उसे फिर खोलने की प्रक्रिया उडाने का था। करीब पिछले ८ मास से यह प्रयोग चला हुआ है। उसमें खासा अच्छा अनुभव आ रहा है। वक्त की वचत के लाभ के अलावा कपडा अच्छा बनने की तथा कातनेवाले की कमायी में ठोस वृद्धि हो सकने

की पूरी संभावना जिस प्रयोग में पायी गयी है। जिस तरीके में १ वर्ग गज कपडा बनाने में करीब १ घंटे की बचत होती है और सूत के लेन-देन की व्यवस्था भी बचती है। जिसमें दिक्कत यह है कि सूत जहाँ कतता हो वहीं अुदीके साथ साथ बुनायी का काम चलना चाहिये। लेकिन मजदूरी के लिये कातनेवाले कारीगरों के लिये, खादी विद्यालयों में, पाठशालाओं में और जहाँ चार छः व्यक्ति सामूहिक रूप से वस्त्र स्वावलंबन करें अुनके लिये यह पद्धति बहुत फायदेमंद मालूम पडती है। सेवाग्राम खादी विद्यालय के छः शिक्षकों ने मिल कर जिस पद्धति के प्रयोग किये अुसमें से १२ गज १४ अिंच लंबाई का ४५ अिंची ४२ पोत का अेक थान बनाने में कितना वक्त लगा अुनके आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

प्रक्रिया	लागत समय	फी घंटा गति
	घं. मि.	
बुनायी	१३—०	१२१ तोले
कतायी	९४—०	४२३ तार ( बिना परते )
ताना	८—१७	२ पुंजम्
सांध	२—८	७॥ ,,
माढी आगाना	५—८	—
करघा तैयारी	१—०	—
बुनायी	१२—०	१ गज
कुल	<u>१३५—३३</u>	

चरखा संघ के मौजूदा दरों के अनुसार जिस थान को तैयार करने की कुल मजदूरी १७-२-६ होती है। यानी फी घंटा दो आना मजदूरी पडी। करीब १५॥ त्रिगणज कपडा बना। जिस हिसाब से करीब ८ घंटा ४० मिनट में अेक वर्ग गज कपडा बना। सूत का अंक १६ था। रबी ओटी हुयी तैयार ली गयी थी और बुनायी के लिये पैर से चलनेवाला बुनायी मोढिया काम में लाया गया था।

कमर करघा : अगर बुनायी घर घर आसानी से हो सके तो वस्त्रस्वावलंबन के काम में बहुत सुविधा हो सकती है। जिस ख्याल से जैसे विभिन्न जगहों पर पेटी करघा, त्रांस करघा आदि के प्रयोग हुये जैसे विहार खादी समिति की ओर से कमर करघा का अनुभव लेने की कोशिश की गयी। कमर करघा आसाम प्रान्त का अेक पुराना करघा है और आज भी वहाँ लडकियों के लिये कमर करघे की बुनायी सीखने की रुचि प्रचलित है। अुठते बैठते घर कामों में से जो कुछ वक्त मिले अुसमें कमर करघे पर आसानी से बुनायी हो सकती है। यह करघा विशेष जगह भी नहीं रोकता और काम हो जाने पर खूंदी पर अुसका सब सामान टांग दिया जा

संकता है। बिहार के प्रयोगों में यह करघा भी बख्खस्वावलंबन के लिये उपयुक्त मालूम पडा है।

## सरंजाम सम्मेलन

सरंजाम सम्मेलन का सिलसिला चरखा संघ ने १९४७ में शुरू किया था। वैसे दो सम्मेलन विवरण-काल से पहले हुये थे। विवरण-काल में तीसरा सरंजाम सम्मेलन सितम्बर १९४९ में सेवापुरी में और चौथा नवम्बर १९५० में मदुरा में किया गया। दोनों सम्मेलनों में देश भर से काफी प्रयोगकार व अिस काम में रुचि रखनेवाले प्रतिनिधि आये थे। खादी सरंजाम सुधार में मूल दृष्टि क्या हो उसकी और बने हुये सरंजाम के तांत्रिक व व्यावहारिक पहलुओं की तफ्तील से चर्चा अिन सम्मेलनों में हुयी। सेवापुरी सम्मेलन का पूरा अहवाल छपा है। मदुरा सम्मेलन का अहवाल अभी नहीं छप सका है।

## सरंजाम उत्पत्ति-विक्री

पिछले तीन-चार वर्षों से सरंजाम की मांग कुछ ज्यादा रही। कुछ प्रान्तों में खास कर बम्बयी, मद्रास, बिहार आदि में पाठशालाओं में कतायी दाखिल करने का कार्यक्रम जारी किया जाने से चरखे, तकुवें, परेते, तकली, अटेरन आदि की विक्री ज्यादा रही। अिस कारण से चरखा संघ के सरंजाम कार्यालयों के अपरान्त खानगी सरंजाम कार्यालय भी चलने लगे। सरंजाम सम्मेलन के वक्त अुनके प्रतिनिधि भी निर्मात्रित करने की नीति संघ ने रखी है। अिसके सिवाय अुन कार्यालयों की ओर से संघ को कोयी खास जानकारी नहीं मिलती है। अतः अुनमें उत्पत्ति-विक्री कितनी हुयी अुसके आंकडे हमारे पास नहीं हैं। चरखा संघ के कार्यालयों में नीचे लिखे अनुसार अुत्पत्ति हुयी:—

	रुपयों में (१९४९-५०)	रुपयों में (१९५०-५१)
१. तिरुपुर	१,२८,०१६	१,०८,८८०
२. वारडोली	९५,९६९	९०,४२५
३. हुवली	२४,२१९	४१,७९५
४. सेवाग्राम	६,७५५	९,०३७
५. मूल	५०,२०६	८,६३४
६. आदमपुर	६,३५८	७,७८३
७. कालीकट	२१,७६५	१९,४७२
<b>कुल</b>	<b>३,३३,२८८</b>	<b>२,८६,०२६</b>

विसके अलावा नाल्वाडी के सरंजाम कार्यालय की अत्युत्ति १९४९-५० में रुपये १,०९,९०० और १९५०-५१ में रुपये ७६,३५६ हुयी।

## सरंजाम लोहा सामान संग्रह

खादी सरंजाम में लगनेवाली चीजें बाजार में फुटकर खरीदने में कभी कभी मिलना ही कठिन हो जाता था। मिली भी तो महँगी और चाहिये उसी क्रिम व जाति की मिलने में अक्सर दुश्चारी होती थी। अतः संघ ने अपने सरंजाम कार्यालयों के लिये व दूसरे सरंजाम कार्यालयों के लिये भी अुस तरह का लोहा सामान संग्रह रख कर आवश्यकता अनुसार अुसे मुहैया करने का सोचा। विवरण काल में करीब डेढ लाख रुपये का लोहा सामान खरीद कर उसके लिये बम्बयी में गोडाअुन बनाया गया है। विवरण-काल में करीब ३४ हजार रुपयों का लोहा सामान विभिन्न सरंजाम कार्यालयों को मुहैया भी किया गया था। कुछ माल संघ ने भारत सरकार की इजाजत से सीधा परदेश से आयात किया है। वैसा माल यहाँ व्यापारी के जरिये लेने से अधिक महँगा पडता था। खास कर तकुवा व तकली के छड संघ की ओर से सीधे आयात किये गये हैं और अुसमें सरकार ने खास खादी काम की सहायता की दृष्टि से आयात कर का “ रिफंड ” दिया है, विसलिये तकुवे और तकली बनाने के लिये बरूरी छड हमें काफी सस्ते पड सके हैं, जिसकी वजह से सरंजाम काफी सस्ता हम दे सके हैं। अुसी तरह तकली की तैयार चकतियाँ, धिरीं, नाभी-जोड व नाभी-सेट, पूनी सलाभी व ओटनी सलाभी के लिये ब्राडिट बार, विभिन्न विजागरे व स्कू आदि सामान अुस गोडाअुन में रखे गये हैं, जो केवल अुन्हीं सरंजाम कार्यालयों को बेचा जाता है जो खादी का सरंजाम बनाते हों और चरखा संघ की सरंजाम सन्बन्धी नीति का पालन करते हों। अगर आम बिक्री के लिये रखा जाय तो यह माल तुरंत बिक सकता है। पर संघ वैसे व्यापार में पडना नहीं चाहता। केवल खादी-काम के लिये सरंजाम की सुविधा हो वही संघ की मर्यादा हो सकती है। काफी चीजें परदेश से आयात करने के कारण दो-तीन साल के लिये पर्याप्त हो सके अितना संग्रह मंगवाने की योजना संघ ने की और अुसके अनुसार अब गोडाअुन में आवश्यक करीब सभी लोहा सामान का अुतना संग्रह रखा जा सका है।

## पोत सुधार

केन्द्र निरीक्षण में देखने में आया कि आजकल हमारे अच्छे-अच्छे अत्युत्ति केन्द्रों में भी माल का पोत बहुत बिगड गया है। अगर अिस ओर ध्यान देकर जल्दी सुधार न किया गया तो न केवल व्यापारी खादी काम में लेकिन वल्ल-स्वावल्लन के

काम में भी खराब बुनाबी के कारण बहुत हानि पहुँचेंगी। जिस बारे में सोच कर ट्रस्टी मंडल ने खास प्रस्ताव पास किया कि पोत सुधार के काम के लिये तथा माल की निकासी के लिये प्रधान कार्यालय के अंतर्गत एक अलग विभाग खोला जाय।

अक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रधान कार्यालय ने एक अलग विभाग चालू किया और उसकी जिम्मेवारी बम्बई शाखा के एक कार्यकर्ता श्री. परशुरामजी ठाकुर पर सौंपी। विवरण-काल में उन्होंने महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र, तामिलनाडु, राजस्थान आदि प्रान्तों का दौरा किया। केन्द्रों में रह कर केवल हिदायतें न देते हुअे प्रत्यक्ष में कैसा काम करना चाहिये यह बतलाया। परन्तु यह काम अब स्थगित हो गया है। श्री. परशुरामजी ठाकुर ने संघ छोड कर खेत पर परिश्रमी जीवन बिताने की शुरुआत की है।

## खादी स्पर्धाएँ

वस्त्रस्वावलंबन और खादी-उत्पादन में समय की बचत के लिये चार दिशाओं में प्रयत्न किया जा सकता है। धरेलू और सस्तेपन की मर्यादा कायम रखते हुअे ज्यादा उत्पादन हो सके जैसे चरखों और दूसरे साधनों का आविष्कार, कपडा ज्यादा टिकावू बने ऐसी रुबी की प्राप्ति और धुनने-कातने-बुनने की प्रक्रियाओं को घट्य देना और मौजूदा साधनों पर उत्पादन की अधिक से अधिक गति हासिल करना। चरखा संघ अिन चारों दिशाओं में प्रगति करने के लिये प्रयत्नशील रहता आया है। पाठक देखेंगे कि पहली तीनों दिशाओं में संघ की ओर से जो कोशिशें हुअीं उसका ब्यौरा अिसी विवरण में क्रमशः सरंजाम सुधार, कपास समस्या और खादी प्रक्रियाएँ घटाना अिन तीनों विषयों की जानकारी में दिया गया है। अधिक से अधिक गति लाने की दिशा में प्रगति की दृष्टि से विवरण काल में संघ ने खादी प्रक्रियाओं की स्पर्धाओं का आयोजन किया। ओटाबी, धुनाबी, कताबी और बुनाबी अिन सभी प्रक्रियाओं में विविध तरह की अखिल भारत स्वरूप की स्पर्धाएँ करवायी गयीं। पहली स्पर्धा नवंबर १९४९ में सरंजाम संमेलन के वक्त सेवापुरी में, दूसरी स्पर्धा अप्रैल १९५० में अनगुल (उत्कल) के सर्वोदय संमेलन के मौके पर और तीसरी स्पर्धा अप्रैल १९५१ में हैदराबाद के सर्वोदय संमेलन के वक्त हुअी। इसके लिये पहले स्थानिक स्पर्धाएँ की गयीं और अुनमें से चुने हुअे स्पर्धारथियों को अखिल भारत स्पर्धा में प्रवेश दिया गया। स्पर्धा संबंधी नियम आदि की पूरी जानकारी 'खादी स्पर्धाएँ' नामक संघ से प्रकाशित पुस्तिका में दी गयी है।

मुकरर किये हुअे मान से अधिक गति बतलाने वाले हरएक स्पर्धारथी को अपने स्थान से स्पर्धा के स्थान तक जानेआने का रेल किराया संघ की ओर से दिया



गया। हरतरह की स्पर्धा में नियत मान से अधिक गति दिखाने वाले प्रथम तीन व्यक्तियों को रेलवे खर्च के अलावा क्रमशः तीन श्रेणियों के विनाम मी संघ की ओर से बाँटे गये। तीनों वर्षों में मिलकर ७२ स्पर्धार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया, जिनमें नियत मान से अधिक गति तक पहुँचनेवालों की संख्या ४३ रही और पारितोषक मिलाने वालों की २८ रही। कुल मिला कर रु. १२८५ के पारितोषक दिये गये। स्पर्धा में उच्चतम गति बतलाने वालों के कुछ आंकड़े तालिका २२ में दिये गये हैं।

## खादी उत्पात्ति और विक्री

अत्र तक के विवरण से पाठक देखेंगे कि वर्षों तक खादी उत्पात्ति और विक्री में चरखा संघ ने अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगायी थी उसके बदले में वस्त्र-स्वावलंबन और खादी विचार-प्रचार की ओर संघ अपनी शक्ति ज्यादा लगा रहा है। यहां तक कि कहीं कहीं खादी उत्पात्ति और विक्री का काम घटा कर भी वह शक्ति अपर्युक्त दिशा में लगाने की कोशिश विवरण-काल में संघ ने की है। इस कारण से प्रत्यक्ष चरखा संघ की खादी-उत्पात्ति विवरण-काल में घटी है। लेकिन उत्पात्ति-विक्री का काम प्रमाणित संस्थाओं खडी करके अन्तर्-जारिये बढाने की ओर संघ ध्यान देता रहा। इसके लिये संघ ने अपना एक प्रमाणपत्र विभाग १९४९ से ही खास तौर पर जारी किया है। नीचे के अंकों से पाया जायगा कि चरखा संघ की खुद की खादी उत्पात्ति और विक्री का काम घटा है, परन्तु प्रमाणित केन्द्रों का काम बढने से कुल मिला कर उत्पात्ति-विक्री बढी है:—

### उत्पात्ति (रुपयों में)      विक्री (रुपयों में)

१९४८-४९

चरखा संघ	५४,९४,३७६	४६,४८,२४४
प्रमाणित	४९,४८,५८९	४४,९३,१६८

१९४९-५०

चरखा संघ	५९,९९,५०१	५६,५७,९३९ (अेजंट सहित)
प्रमाणित	५९,४९,४३५	७०,९२,२२७

१९५०-५१

चरखा संघ	४४,७८,९०४	५६,४८,६४६ (अेजंट सहित)
प्रमाणित	८२,६६,३९९	१,०९,५७,०३२

अपर्युक्त आंकड़ों का तफसील तालिका ८ से १२ तक मिल सकेगा। उसे देखने से पता चलेगा कि अन्तिम वर्ष में बिहार प्रान्त में उत्पात्ति विशेष रूप से बढ़ी है। उसका कारण यह है कि वहां अकाल के निमित्त कताभी के दाम करीब दुगुने देकर सरकार की ओर से बिहार खादी समिति के मार्फत काम करवाया गया।

पंजाब प्रान्त की प्रमाणित उत्पात्ति-बिक्री अहवाल-काल के दूसरे वर्ष में बहुत कम हुआ है। उसका कारण यह है कि पंजाब सरकार ने वह काम बहुत कम कर दिया है।

यहां अेक अुल्लेख कर देना अुचित होगा कि मद्रास सरकार के खादी विभाग का और चरखा संघ का संबंध विवरण-काल में टूट गया। अुनके १९५०-५१ के काम के आंकडे अुपर्युक्त आंकडों में शामिल नहीं है। अंदाजन १५ लाख की खादी-अुत्पत्ति अुस विभाग द्वारा हुआ होगी।

यह पाया जायगा कि १९५०-५१ में अुत्पत्ति के मुकाबले में बिक्री बहुत ज्यादाह हुआ है। पिछले दो वर्षों से संघ की कभी शाखाओं तथा प्रमाणितों के पास माल संग्रहित रहा करता था वह १९५०-५१ में बहुत कुछ बिक गया। मिल कपडा मिलने की कठिनायी के कारण खादी ज्यादाह बिकी। यहां तक कि कभी जगह खादी की मांग पूरी न हो सकी, अिस कारण कुछ प्रमाणित संस्थाओं अपनी अुत्पत्ति बढ़ाती चलीं। मगर आज फिर यह हालत दीख रही है कि खादी का संग्रह बढ़ रहा है। खादी के पिछले पचीस वर्ष के अितिहास में कभी त्रार अैसे प्रसंग आये हैं कि थोडे असें के लिये अेकाअेक बिक्री बढ़ कर फिर घट जाती है। अिससे खादी काम को बड़ा धक्का पहुँचा है। अुत्पादन में लगे कारीगरों को अिस तरह छोडने से अुत्पादन की शक्ति ही मर जाती है। खादी की अुत्पत्ति और बिक्री के लिये संरक्षित बाजार की बहुत जरूरत है। स्वराज्य मिलने के बाद भी अत्र तक यह नहीं हो पाया है। अगर स्पर्धा के बाजार में ही खादी को जिलाना हो तो बेहतर होगा कि खादी की अुत्पत्ति-बिक्री का काम ही देश में बंद किया जाय और केवल वस्त्रस्वावलंबन का ही काम किया जाय। लेकिन अगर खादी अुत्पत्ति देश में जारी रखनी है तो अुसे पूरा संरक्षण सरकार की ओर से मिलना चाहिये। वह नहीं मिलता है तत्र तक खादी की नैमित्तिक माँग के पीछे खादी-काम का ढाँचा खडा करना गलत होगा। वैसी दशा में समझवूझ कर और नित्य खादी का ही आग्रह रखनेवाले ग्राहकों के ही आधार पर खादी काम चलाना चाहिये, भले ही वह मर्यादित हो।

## अूनी तथा रेशमी खादी

यद्यपि सूती खादी का काम चरखा संघ का मुख्य लक्ष्य रहा है, फिर भी खादी काम के शुरु से खादीधारियों की अूनी तथा रेशमी खादी की आवश्यकता यथासंभव पूरा करने की नीति संघ की रही है। काश्मीर शाखा अूनी खादी के लिये ही मुख्यतः चलती रही। राजस्थान तथा सिंध में थोडा अूनी काम होता रहा, लेकिन वह १९४२ के बाद से बंद-सा रहा। अहवाल-काल में रेशमी खादी बिहार, बंगाल व आसाम में प्रमाणितों द्वारा बनती रही।

अहवाल-काल में काश्मीर शाखा में १९४९-५० में करीब रुपये तीन लाख और ५०-५१ में रुपये ३॥ लाख की अूनी खादी बनी। १९५१-५२ का जाडे का मौसम हलका होने के कारण अूनी खादी की खपत बहुत कम रही। पश्मीना का अूनी माल धनी लोगों के लिये ही रहता है। लेकिन अब उसके दाम अितने बढ़ गये हैं कि धनी लोग भी उसे अधिक नहीं खरीदते। बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में उसकी बिक्री का संगठन हो तो शायद उसे खपाने में कुछ आसानी हो सकती है। अिन स्थानों में संघ का प्रत्यक्ष बिक्री का संगठन न होने के कारण अिस वर्ष पश्मीना की खपत भी बहुत कम रही। परन्तु आगामी साल में वैसा संगठन करने का सोचा जा रहा है। आशा है कि उससे पश्मीने की खपत बढ़ायी जा सकेगी। लेकिन उसके बाद भी वह न बढ़ सकी तो पश्मीने का काम संघ को बहुत ही घटा देना पड़ेगा। अभी तो काश्मीर की अूनी माल की अुत्पत्ति के संबंध में संघ ने यह नीति रखी है कि मौजूदा परिस्थिति में यथासंभव अधिक से अधिक अुत्पत्ति कर के वहां की गरीब जनता को मदद पहुंचायी जाय।

अूनी पट्टू केवल हाथ से ही बनते हैं। उसमें मिलसूत मिश्रण होने की संभावना न होने से संघ ने अूनी पट्टू पर से प्रमाणपत्र हटा लिया है। अिसलिये प्रमाणित अपने लिये खुले बाजार से पट्टू खरीद करने लगे हैं और उस परिमाण में संघ की अूनी पट्टू की खपत भी घट गयी है।

रेशमी खादी सीधे बाजार से खरीद करने की पद्धति रही है। वह रबिस्टर्ड बुनकरों से ही खरीद की जाय अैसा संघ ने अहवाल-काल में प्रस्ताव किया है। बिहार में भागलपुर, बंगाल में मालदा तथा आसाम में राहा में रेशमी खादी की अुत्पत्ति पूर्ववत् होती रही। अिस वर्ष काश्मीर सरकार ने अपना मटका रेशम का अेक अलग विभाग खोल कर उसके लिये संघ का प्रमाणपत्र लिया है। अंदर का कीडा अुड जाने से टूट हुअे रेशम के कोव्यों को चरखे पर कात कर जो रेशम बनता है उसे मटका रेशम कहते हैं। मटका रेशम में कातने की ही क्रिया होती है, रीलिंग की

नहीं। विन सव केन्द्रों में दो सालमें जो रेशम उत्पात्ति हुयी उसमें अंडी, मटका, टसर आदि सव तरह के रेशम का समावेश है।

## सूतशर्त

१९४१-४२ में खादी काम में सूतचलन और सूतबदल के प्रयोग कहीं कहीं हुअे। गांधीजी भी अुन प्रयोगों में दिलचस्पी लेकर अुस दिशा में कुछ ज्यादाह सोचने लगे और खादी-कार्यकर्ताओं के सामने अपने खुद के कुछ सुझाव भी रखने लगे। गांव की टकसाल के रूप में, गांव की बैंक के रूप में, किसी भी अहसाय व्यक्ति के सहारे के रूप में सूतबदल, सूतचलन आदि की संभावनाओं जाँचने और सोचने का काम शुरू हुआ। सेवाग्राम में अेक सूतचलन-दुकान चलायी गयी। चरखा संघ की महाराष्ट्र शाखा ने सूत के बदले खादी देने का अेक खास तरीका चलाया। अुसके लिये सूतचलन पत्रक और अुसका अेक शाख बनाया। लेकिन १९४२ के देशव्यापी आन्दोलन में निरीक्षण परीक्षण की दृष्टि से यह काम बहुत आगे न बढ़ सका। १९४४ में खादी-काम के बारे में गांधीजी ने अेक नया दृष्टिकोण देश के सामने रखा। खादी से राहत देने की अपेक्षा राहत की आवश्यकता न रहे अैसे खादी-कार्यक्रम के स्वरूप पर वे सव का ध्यान आकर्षित करने लगे। अुन्हीं दिनों महाराष्ट्र शाखा का अंतिम सूतचलन पत्रक अुनके सामने रखा गया। पता नहीं अुस बारे में सोच कर या अुन्होंने पहले स्वतंत्र ही सोच रखा था अुसके अनुसार अुस पत्रक पर से खादी काम में यह शर्त अुन्होंने लागू करवायी। मगर काश्मियां को वह नहीं जंची। श्री गांधी आश्रम मेरठ जैसी पुरानी और बडी संस्था ने अिसका विरोध करके सूतशर्त के कारण चरखा संघ का प्रमाणपत्र तक छोड दिया। काँग्रेस जनों में भी अिस शर्त पर बहुत नाराजी रही। यह सव देखते हुअे और खास कर के काँग्रेस ने जब अपने पंचायत के अुम्मीदवारों के लिये लाजिमी तौर पर खादी ही पहनने का प्रस्ताव किया तब चरखा संघ ने १९४८ में यह नीति अखत्यार की कि प्रमाणित संस्थाओं के लिये यह शर्त लाजिमी न रखी जाय, मगर चरखा संघ अपना काम सूत-शर्त के आधार पर ही करे। अिस संबंधी प्रस्ताव परिशिष्ट १ में दिया गया है। अहवाल-काल में करीबन सभी प्रमाणित संस्थाओं ने सूतशर्त छोड दी। चरखा संघ के केन्द्रों में वह जारी रखी गयी।

जब से प्रमाणित केन्द्रों द्वारा सूतशर्त छोड दी गयी तब से वह चरखा संघ में भी जारी रखी जाय या बन्द कर दी जाय अैसा सवाल अुठता रहा। चरखा संघ ने १९४८ में यह भी अेक प्रस्ताव किया था कि व्यापारी खादी-काम प्रमाणित संस्थाओं के मार्फत चला कर संघ अपनी सारी शक्ति बल-त्वावलंबन के काम में लगावे। अिस

दृष्टि से सूतशर्त अंक नियंत्रण के रूप में चरखा संघ के काम में बदल के लिये अच्छी थी। सूतशर्त के निमित्त अंक और से कुछ स्वावलंबी कातनेवाले बंद रहे थे व दूसरी ओर खादी-विक्री पर अंक ऐसी मर्यादा आ गयी थी कि केवल व्यापारिक दृष्टि से वह न बंदे। बख्त-स्वावलंबी कताओं के पूर्तिरूप ही विक्री बंदे। यह अंक तांत्रिक कारण था जिसे चरखा संघ ने सूतशर्त जारी रखना ही ठीक समझा। लेकिन दरअसल सूतशर्त में जिस से गहरा अर्थ था। उसका यहां थोड़े विस्तार से विचार कर लेना सामयिक होगा।

अब तक के विवरण में अंक से अधिक बार यह बताया गया है कि संघ का अद्देश्य चरखे से केवल कपडा पैदा करना नहीं है, मगर उसके जरिये समाज-हित के लिये और समाज को आगे बढ़ाने के लिये कुछ सिद्धान्तों की और नये मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। अहिंसक समाजरचना के लिये या शोषणरहित समाज संगठन के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्र का हरअंक नागरिक, चाहे वह राष्ट्रपति क्यों न हो, समझबूझ कर हर दिन कुछ न कुछ उत्पादक परिश्रम अवश्य करे। इसके लिये कताओं का परिश्रम सत्र से ज्यादाह सार्वत्रिक होने लायक और राष्ट्र के लिये बहुत उपयोगी पाया गया है। सूतशर्त के जरिये देश में जिस मूल्य की प्रतिष्ठा बढ़ायी जा सकती है कि जिस किसी को कपडा पहनना है उसे सूत कातना चाहिये। और हरेक को कपडा पहनना है जिसलिये हरेक को कातना चाहिये। लेकिन सिद्धान्त के रूप में जिस विचार का प्रचार संघ अब तक बहुत नहीं कर सका है, यह कबूल करना चाहिये। चरखा संघ का काम अब तक तांत्रिक रूप से ज्यादाह चलता रहा। जिसलिये स्वामाविकतया ही हमारे सामने सुझाव आते रहे कि या तो सूतशर्त के जरिये सही वैचारिक प्रचार हो या फिर उसे बंद कर दिया जाय। मगर संघ का लक्ष्य तो विशिष्ट विचारधारा के आधार पर खादी काम चलाने का है। जिसलिये सूतशर्त को संघ ने बहुत बरूरी समझा है।

तंत्रनिर्वन्ध और नयी मूल्यप्रतिष्ठा के उपरान्त सूतशर्त के बारे में अंक व्यावहारिक अनुभव भी विवरण-काल में आया है। खादी के इतिहास में कभी उत्पादन ज्यादाह तो कभी विक्री ज्यादाह यह अनुभव लगातार आता रहा है। और अगर आज की बाजार पद्धति से खादी का काम होता रहा तो आगे भी यही अनुभव आते रहना लाजिमी है। क्यों कि उस हालत में खादी की विक्री कपडे के बाजार के रख व हालत पर निर्भर रहेगी। अगर बाजार में मिल-कपडा कम, तो खादी की विक्री ज्यादाह। अगर वहाँ कपडे की अफिरात, तो खादी की मांग कम। पिछले दो वर्ष में कपडे की तंगी बढ़ती गयी जैसे खादी की खपत बढ़ती चली। और अघर छे मास हुअे बड़ी तेजी के साथ वह बराबर घटती जा रही है। इसके

लिये यह जरूरी है कि खादी को बाजार पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि उसकी खुद-खपत होती रहे। जिस घर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में वह तैयार होती हो उसी घर, गांव या क्षेत्र में वह खप जाय और जो खादी बरतते हैं वे ही उसे बना लें तो बाजार के आसरे खादी को नहीं रहना पड़ेगा। जिस दृष्टि से चरखा संघ ने देखा कि कातनेवाले कारीगरों को भी खादी पहनने का आग्रह करना और खादी पहननेवालों को खुद कातने का आग्रह करना व्यावहारिक दृष्टि से भी खादी के ब्राह्म काम में बहुत सहायक हुआ है। जत्र-जत्र खादी का संग्रह बढ़ा तत्र तत्र कारीगरों का खादी का अस्तेमाल बहुत मददगार हुआ है, और अधिक सोचने से पता चलेगा कि खादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिये और अत्युत्पत्ति-विक्री का संतुलन करने के लिये ये दोनों नियम बहुत महत्त्व के हैं।

यह बात सही है कि आज की कृत्रिम, केन्द्रित व नियंत्रित आर्थिक परिस्थिति में अूपर के दोनों नियम हमें काफी हद तक कृत्रिम रूप से चलाने पड़ते हैं। कृत्रिम रूप के कारण अुसमें बुराधियां भी पैदा होती हैं। ग्राहकों का सूतशर्त के लिये खरीदा सूत लाना और कारीगरों का कताथी मजदूरी के हिस्से में से खुद पहनने के लिये मिली खादी बाजार में बेच देना जैसे कित्से कहीं कहीं होते रहे हैं। मगर जिसका अिलाल भी क्षेत्र-स्वावलंबन में है, यानी छोटे दायरे में जनसम्पर्क के साथ काम करने में है।

जिस तरह सूतशर्त में सैद्धांतिक, व्यावहारिक और तंत्र-निर्वंध की सभी दृष्टियां अंतर्भूत हुआ हैं। मगर विरोधी व प्रतिकूल वायुमंडल में अब तक संघ अुसे अुतना कारगर नहीं बना सका है। जिस तरह खादी काम के लिये संघ को जूझना पडा है उसी तरह अिन नियमों के बारे में भी बहुत शक्ति लगानी पडी है और पड रही है।

## चरखा संघ की प्रमाणित संस्थाओं

चरखा संघ ने अपनी शक्ति बल-स्वावलंबन के काम में ज्यादा से ज्यादा लगाने का ठहराया तत्र से अुत्पत्ति और विक्री का खादी का काम प्रमाणित संस्थाओं खडी कर के चलाने का सोचा, यह बात अूपर बतलायी जा चुकी है। अिन वर्षों में प्रमाणित संस्थाओं व अुन के काम के आंकडे नीचे लिखे अनुसार रहे:—

	संख्या	अुत्पत्ति	विक्री	पूंजी
१९४९-५०	८८	५९,४९,४३५	७७,९२,२२७	अप्राप्त
१९५०-५१	१२८	८२,६६,३९१	१,०९,५७,०३२	१४० लाख
१९५१-५२	१३८	-	-	-

अससे मालूम होगा कि अस दिसा में भी खादी काम की कुछ प्रगति हो सकी है और असके जरिये संघ से बाहर की कितनी पूंजी व कितने कार्यकर्ता तथा कितना नया कपेन खादी काम में लगा है। मगर सारे देश के खादी काम की दृष्टि से ये आंकड़े भी बहुत संतोषजनक तो नहीं कहे जा सकते। असके कुछ कारण सोचने व समझने लायक हैं।

खादी विक्री की अस्थिरता प्रमाणित संस्थाओं के काम में सत्र से बड़ी रुकावट है। खादी विक्री के बारे में इसी विवरण में अस अनिश्चितता से होनेवाली रुकावट के बारे में लिखा गया है।

दूसरी रुकावट मतभिन्नता व स्वार्थ की है। चरखा संघ ने अपना काम विशेष सिद्धान्तों पर खडा किया है। असमें जीवन-चेतन, कारीगरों में खादी परिधान का आग्रह, खादीकाम में व्यक्तिगत स्वार्थ न रहना आदि की नीति चरखा संघ ने खादी की मूल दृष्टि को सामने रख कर लेते अरसे से अपनायी है। कुछ लोग स्वार्थवश संघ की अस नीति का गैरफायदा अुठा कर अप्रमाणित खादी-काम करते हैं। और कुछ अैसा गैरलभ नहीं अुठाना चाहते, मगर व्यक्तिगत मालिकी छोड कर ट्रस्ट या सहकारी संस्था के रूप में यह काम संगठित करने में दिक्कत पाते हैं।

आजकल के मतभिन्नता के युग में कभी जगह केवल चरखा संघ का प्रमाणपत्र टाल कर स्वतंत्र काम करने के प्रयत्न होते रहते हैं। यहाँ तक कि कोअी प्रान्तीय सरकार खुशी से चरखा संघ के प्रमाणपत्र को अपनाती है तो कोअी संघ के साथ का सम्बन्ध तोड कर स्वतंत्र काम करने लगती है।

यह सत्र होते हुअे संघ का प्रमाणित काम धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है। चरखा संघ अपनी ओर से अस में जो कुछ मदद दे सकता है वह देता आया है। अस विवरण में आगे यह दिया गया है कि पूंजी की समस्या में सहायता पहुँचाने के लिये प्रमाणितों के लिये संघ ने दो-तीन वर्षों से कपास व रुअी के संग्रह की क्या योजना बनायी है। अुसी तरह पूंजी के निमित्त प्रमाणितों को सहायता पहुँचने अैसी दूसरी अेक योजना संघ ने मध्यवर्ती तथा प्रान्तीय सरकारों की सेवा में भी भेजी है। यह योजना परिशिष्ट ४ में दी गयी है।

चरखा संघ को यहाँ पर अस बात का उल्लेख करने में भी बड़ी खुशी होती है कि कुछ पुरानी खादी संस्थाओं ने भी संघ का प्रमाणपत्र छोड दिया था वह फिर से अपना लिया है। अिनमें खादी प्रतिष्ठान सोदपुर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सरकारों में काश्मीर, पंजाब, बिहार, बंगाल, आसाम तथा अुत्कल की राज्य सरकारों ने अपने खादी काम के लिये संघ से प्रमाणपत्र लिये हैं।

अभी अभी चरखा संघ ने अपने प्रमाणित विभाग का बढता हुआ काम देख कर एक प्रमाणपत्र-सलाहकार-समिति भी नियुक्त की है। समिति के सदस्य नीचे लिखे अनुसार हैं : सर्वश्री १. विठ्ठलदास जेराजानी २. ब्रजकिशोर साहू ३. भीमसेन वेदालंकार ४. कालिकाप्रसाद शर्मा ५. द्वारकानाथ लेले ( संचालक )

लेकिन, संघ के सब प्रयत्नों के बावजूद प्रमाणित खादी काम भी तभी बढ सकता है जब शक्तिशाली व्यक्ति यह काम राष्ट्र के लिये एक महत्व का काम है, ऐसा समझ कर अपनी पूरी शक्ति इस काम में लगावे। आज कभी जगह प्रमाणित खादीकाम भी संघ ही अपने प्रमुख व्यक्तियों की शक्ति से चलते रहे, ऐसी धिच्छा प्रगट की जाती है। संघ के कार्यकर्ता तो अपने से जितना कुछ बन सके, उतना काम करते रहते हैं। पर बड़े पैमाने में खादी-काम बढाना हो तो नयी पूंजी, नये क्षेत्र; नये कार्यकर्ता और नये संचालक-गणों को इस काम में आगे आकर संघ की पूंजी, कार्यकर्ता व संचालकों को बल-स्वावलंबन, खादी विचार व शिक्षा के प्रचार के लिये मुक्त करना चाहिये।

जिन तीन वर्षों में संघ ने अपना हैद्राबाद शाखा का करीब सारा खादी उत्पत्ति का काम स्थानिक प्रमाणित समिति के सुपुर्द कर दिया है। इसी तरह राजस्थान शाखा में भी मध्यभारत खादी संघ व राजस्थान खादी संघ के जिम्मे संघ के बहुत सारे भंडार व उत्पत्ति केन्द्र दे दिये गये हैं। आन्ध्र का खादी काम भी बहुत कुछ प्रमाणित संस्थाओं को सौंपा गया है। आन्ध्र में छोटी छोटी, प्रमाणित संस्थाओं, जिन की संख्या दस है, संघ का काम संभालने के लिये संगठित हुआ यह उल्लेखनीय बात है।

जिस सिलसिले में एक बात बड़ी सोचने लायक है। आज के जमाने में कोअी भी आयोजन बड़े पैमाने में केन्द्रित व्यवस्था पर खडा किया जाय तो वह ज्यादा कार्यक्रम होता दीखता है, अनिस्त्रत विकेन्द्रित व छोटी थिकाअी या छोटे दायरों के काम के। जिसलिये खादीकाम में भी बड़ी थिकाअी में बड़ी संख्या बनाने की और लोगों का झुकाव स्वाभाविक है। और कोशिशें भी ऐसी बड़ी संस्था खडी करने की होती हैं। उसका यह एक बडा लाभ भी है कि वैसी बड़ी संस्था में आज के विरोधी वायुमंडल में और अनेक नयी-नयी कठिनाधियां में खडा रहने व जिन्दा रहने की ताकत ज्यादा रहती है। लेकिन जिससे छोटे को स्वतंत्र शक्ति पर जिन्दा रह सकने की जो ताकत नयी समाज-रचना में पैदा करने का खादी का लक्ष्य है, उस से कुछ दूर ही रहना पडता है। उस लक्ष्य की दृष्टि से तो खादीकाम की जितनी छोटी और स्वतंत्र थिकाधियां खडी हो सकें, उतनी खडी करना बांछनीय है। आखिर तो वैसी रचना ही विरोधी प्रहारों के सामने अधिक से अधिक टिकना संभव है। शुरू में



उसकी नींव डालना कठिन है मगर खादी कार्य का लक्ष्य ही वह है तब हमें चाहिये कि प्रमाणित खादीकाम भी संभवतः छोटी छोटी थिकावियों में और त्यागिक अल्पति और विक्री का मेल बैठ कर खड़ा हो।

बड़ी संख्या की तरह खादी के अेकांगी काम की संख्या भी हम आज खड़ी कर रहे हैं। पर, परिस्थिति अुसमें भी हमें सावधान कर रही है। अेक जगह केवल अल्पति और सैकड़ों मील पर केवल विक्री का प्रमाणित ढाँचा खड़ा है। मगर जरा-सी अुल्टी लहर अुस ढाँचे को जगमगर में हिला देती है। आज खादी-विक्री कम होते ही कयी जगह के विक्रेताओं ने खादी लेने से अित्कार करने के कारण अल्पति करनेवाली संख्या को बड़ी ढेस पहुँच रही है। अगर खादी के समग्र विचार की बुनियाद पर और क्षेत्र-स्वावलंबन की विचारधारा पर खादी की अल्पति और विक्री का प्रमाणित काम भी खड़ा हो तो वह ज्यादा ढेस और लाभदायी होगा।

अहवाल-काल में प्रमाणित संख्याओं को सुविधा कर देने की दृष्टि से प्रमाणपत्र के नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

पहले प्रमाणपत्र के नियम के अनुसार संघ द्वारा मंजूर किया हुआ व्यवस्था खर्च लेने के बाद जो वचत रहती थी, वह प्रमाणित संख्या को सारी कामगार सेवा कौष में जमा करनी पडती थी। प्रमाणितों की वचत का अुपयोग अपने मन के अनुसार करने की गुंजाअिश कर देने की दृष्टि से संघ ने यह सुविधा कर दी कि संख्या को संघ द्वारा मंजूर व्यवस्था-खर्च की मर्यादा में जो वचत होगी वह संख्या की रहेगी और संख्या अुसका अुपयोग अपने मन के अनुसार कर सकेगी।

दूसरी सुविधा प्रमाणितों को पूँजी बढ़ाने की दृष्टि से की गयी। अभी प्रमाणित संख्याओं खादी काम करती हैं अुसमें अुनके खर्च के लिये व्यवस्था खर्च अितना ही मंजूर किया जाता है कि जितने में अुनको हानि या लाभ न हो; अिस मुकरर की हुयी मर्यादा में अगर क्तिफायत से वचत हो जाय तो वह अुस संख्या को रह जाती है और पूँजी बढ़ाने में उपयोगी हो सकती है। पर अुस मर्यादा से अधिक खर्च हो तो अुसकी हानि अुस संख्या पर पडती है। यह व्यवस्था तो अैसी ही चलेती रहेगी, पर अिसके अुपरांत यह सोचा गया कि संख्या की फुटकर विक्री पर रुपये पीछे आघा आना अधिक लेने की अिजाजत दी जाय। अगर संख्या अपना काम क्तिफायत से करेगी तो अिस आघे आने का अुपयोग अुसकी पूँजी बढ़ाने में होगा। अिस तरह धीरे-धीरे वह अपने काम के हिसाब से अपनी पूँजी बढ़ा सकेगी। अिस रकम का बोझ ग्राहकों पर पडेगा। क्योंकि माल अुतना महँगा बेचना पडेगा। अिस सुविधा का लाभ ४-६ प्रमाणित संख्याओं ने अहवाल काल में अुठाया।

श्री गांधी आश्रम मेरठ तथा विहार खादी समिति जैसी लाखों रुपयों का खादी का काम करनेवाली बड़ी संस्थाओं को प्रमाणपत्र की फीस नियम के अनुसार बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी। अन्होंने फीस की कुछ अंतिम मर्यादा बांधने की मांग की थी। अुसपर विचार होकर यह तय किया गया कि प्रमाणपत्र फीस की दर पहले जैसी ही याने फुटकर विक्री पर १ रु. प्रति हजार तथा थोक विक्री पर २ रु. प्रति हजार रहे, लेकिन जिन संस्थाओं का अुत्पादन सालाना पाँच लाख रुपयों से अधिक हो अुनसे २५.० रु. सालाना से ज्यादा फीस न ली जाय। मगर अिस फीस के अुपरांत जब चरखा संघ का कोअी निरीक्षक भेजा जाय तब अुस का वेतन और मार्गव्यय प्रमाणित संस्था अुठावे।

जो सहकारी संस्थाओं मिल-सूत के वितरण का काम करती हैं अन्होंने अगर अपनी एक अलग अुप-समिति बना कर अुस के द्वारा खादी काम करना चाहा: तो अुन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये या नहीं अिस संबंध में अहवाल-काल में सवाल खडा हुआ था। अुस संबंध में विचार होकर अैसी संस्था को प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकेगा अैसा संघ ने तय किया। खादी काम के लिये स्वतंत्र समिति ही बननी चाहिये।

अहवाल काल में दो तीन प्रमाणित संस्थाओं में अशुद्ध खादी के काम की शिकायतें हुआँ, जिनकी संघ की ओर से जाँच की गयी और अेक संस्था का प्रमाण-पत्र रद्द किया गया तथा अन्योँ को ताकीद दी गयी। अैसी घटनायें आगे न हों अिस दृष्टि से प्रमाणितों के काम का निरीक्षण और हिसाब की जाँच का अहवाल-काल में संघ ने विशेष प्रबंध किया और अुसके लिये अपने खास निरीक्षक और ऑडिटर रखे।

संघ की प्रमाणित संस्थाओं की सत्र को जानकारी हो, अप्रमाणित व्यापारी अपने को प्रमाणित बता कर लोगोँ की दिशा भूल न कर सकें अिस दृष्टि से संघ ने अहवाल काल में खादी केन्द्रसूची का प्रकाशन शुरू किया। अधिकृत केन्द्रसूची के चार संस्करण अब तक निकाले गये हैं। यह केन्द्रसूची चरखा संघ प्रधान कार्यालय सेवाग्राम से प्राप्त हो सकती है। प्रमाणपत्र संबंधी नियम व अन्य जरूरी जानकारी अुसमें में दी जाती है।

## रुअी संग्रह योजना

अहवाल-काल में खादी-अुत्पत्ति-विक्री का काम प्रमाणितों के जरिये चलाने की नीति संघ ने निश्चित की और अुसके मुताबिक जगह जगह प्रमाणितों द्वारा खादी अुत्पत्ति का तथा विक्री का कार्य चाल् हो गया। अिसमें खादी अुत्पत्ति का कार्य

अधिक जटिल है और अक्सर काफी पूंजी फँस जाती है, जिससे अल्पवृत्ति का काम करनेवालों को पूंजी की विवंचना करनी पड़ती है। खास कर के कपास या रुई के मौसम में खरीदने से ही वह थोड़ी सस्ती और अच्छी मिलती है। पूरे साल भर में यह मौसम २-३ महीने ही रहता है और साल भर की खरीद असी समय में करनी पड़ती है। देशभर में जो प्रमाणित संस्थाएँ बनी हैं, अउनकी पूंजी परिमित है और रुई-खरीद के लिये अन्हें पैसे की बहुत तंगी भुगतनी पड़ती है। यह देख कर अहवाल-काल में संघ ने विन संस्थाओं के लिये रुई खरीद कर संग्रह करने के संघ में सुविधा कर दी है। यह योजना परिशिष्ट ५ में दी गयी है।

अपर्युक्त योजना जून १९५० में बनायी गयी। अउसके अनुसार सन १९५०-५१ में ३९२४ गाँठें रुई खरीद की गयी, जिसमें संघ को अपनी १५३ लाख रुपये पूंजी लगानी पडी। अिसमें मुख्यतः बरडोली में २०० गाँठें, राजस्थान में ४८६ और वर्धा-नागपुर में ३०८८ गाँठें रुई खरीदी गयी और ३० प्रमाणित संस्थाओं को वह मुहैया की गयी।

सन १९५१-५२ में चरखा संघ की रकम लगाने की शक्ति है अउसे काफी ज्यादा रकम की रुई व कपास संग्रह की मांग प्रमाणित संस्थाओं से आयी। संघ के लिये संभव थी अतनी रकम संघ ने लगा दी। अिसके लिये करीब रुपये तीन लाख की सरकारी सिक्कुरिटिज भी करीब २६ हजार का नुकसान अुठा कर संघ ने ब्रेच दी। लेकिन अधिक रकम की जरूरत होने से वह कर्ज के रूप में गांधी निधि से ली जाय अैसा विचार सामने आया। गांधी निधि ने अिस काम के लिये सूद पर चरखा संघ को रु. ३० लाख तक का कर्जा देना स्वीकार किया। सामान्यतः कर्ज लेने की चरखा संघ की नीति नहीं है लेकिन प्रमाणितों से २५% रकम पेशगी लेकर रुई में लगाने का जो तरीका संघ ने शुरू किया है, अउसमें विशेष खतरा न होने से अुसी मद के लिये गांधी निधि से कर्जा लेना अुचित माना गया।

लेकिन गांधी निधि से रु. ३० लाख का कर्ज अुठाने की जरूरत नहीं हुयी। केवल रु. ८ लाख के कर्ज से ही रुई खरीद का काम चल गया।

रुई खरीद के लिये बिहार खादी समिति तथा गांधी आश्रम मेरठ ने अपने प्रतिनिधि वर्धा भेजे। बाकी संस्थाओं की रुई चरखा संघ के रुई विभाग द्वारा खरीदी गयी।

## हाथ ओटायी

संघ का पुराना प्रस्ताव है कि हाथ ओटायी की ही रुई काम में लाने की अधिक से अधिक कोशिश की जाय। मगर कभी दिक्कतों के कारण अिस दिशा में

खास प्रगति अब तक नहीं हो पायी। उपयुक्त कपास व रुथी संग्रह योजना का काम करते हुअे यह भी विचार किया गया है कि धीरे धीरे जिसमें हाथ ओटायी का काम बढ़ाया जाय। जिस अनुसार थोड़ी प्रारंभिक तैयारी अभी अभी हो पायी है। आशा है कि अगले वर्ष हाथओटायी का ज्यादा काम हो सकेगा।

## पूंजी रिक्त हो तो ग्रामोद्योगों में मदद

कपास और रुथी के लिये अकेदम से जो पूंजी लगानी पडती है, वह जैसे जैसे खादी-उत्पत्ति होकर विक्री होती जाती है, वैसे-वैसे खुली होती रहती है। केन्द्रों को रुथी भेजने में तो संघ की रुथी में लगी हुयी रकम जल्दी ही खुली हो सकती है। ऐसी खुली रकम बैंक में रखनी पडती है। वह बैंक में रखने के बजाय दूसरे मौसम तक रुथी के लिये खुली हो सके, जिस तरह यदि अन्य किसी ग्रामोद्योग में काममें आये तो अच्छा ही है, ऐसा मानकर रुथी की पूंजी की जरूरत पूरी करने के बाद जो रकम खुली रहे वह ग्रामोद्योगों के कच्चे माल के लिये भी लगायी जा सकेगी ऐसा निर्णय संघ ने किया है।

जिस योजना के अनुसार तिलहन संग्रह के लिये ७०० रु. की नागपुर की ग्रामोद्योग सहकारी संस्था सावंगा की मांग पूरी की गयी। लेकिन बाद में रुथी खरीद में ही संघ की पूंजी लग जाने से ग्रामोद्योगों के लिये संघ अपनी पूंजी नहीं लगा सका।

## जीवनवेतन

जीवन-वेतन का सिद्धांत चरखा संघ ने १९३५ में गांधीजी के मार्गदर्शन पर अपने कार्यक्रम में अंतर्भूत किया। आज तो समान वेतन या कम से कम फर्क का वेतन यह आदर्श सोचा व बोला जा रहा है। जीवन-वेतन तो दिन आदर्शों की प्रथम सीढी कही जा सकती है। तथापि अभी राष्ट्र जिस प्रथम सीढी तक भी ठीक से पहुंचा नहीं है। चरखा संघ भी जीवन-वेतन की कोशिश में अब तक बहुत कामयाब नहीं हुआ है। बल्कि १९३५ में जिस दिशा में संघ जितना आगे बढ़ा था उस हद तक टिकना भी उस के लिये मुश्किल ही रहा। क्यों कि संघ ने अपना काम पैसे पर खड़ा किया और पैसा अपनी कीमत बदलता रहा। १९३५ में संघ ने यह तय किया था कि ८ घंटे की कार्यक्षम (क्षमता का मान अलग-अलग नंबर के अनुसार संघ ने ठहराया है। उसकी जानकारी तालिका १३ व १४ में देखिये) कतायी के लिये तीन आना मजदूरी दी जाय। तीन आना का मान उस हिसाब से ठहराया गया था कि उससे पेटभर खाना व अपना कपडा तो कत्तिन पा ही सके। लेकिन धान्य के भाव बढ़ते गये और उस जमाने से चौगुने के आसपास

पहुँचे। मगर संघ कताभी मजदूरी चौगुनी नहीं कर सका। धुतनी मजदूरी बढा कर खादी बेचना संघ को असंभव लगा। कुछ अरसे तक दुगुनी याने तीन आने की जगह ६ आना मजदूरी के पैमाने पर संघ काम करता रहा। लेकिन यह पैमाना बहुत कम था। जिसपर विनोबाजी ने संघ का ध्यान खींचा। बहुत कोशिश करके जनवरी १९५१ से अप्रैल १९५१ के दरम्यान संघ की शाखाओं ने यह पैमाना ८ आने का कर दिया। आजकल वही जारी है। अंकवार कताभी दर या गुंडी खरीद दर क्रमशः तालिका १३ व १४ में दिये गये हैं।

कताई के जरिये जीवनवेतन का सवाल आज की आर्थिक परिस्थिति में अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। संघ की पूरी कोशिश रहती है कि कातनेवालों को जीवनवेतन मिलना चाहिये। लेकिन यह खादीबिक्री पर अवलंबित है। जिसका ख्याल करके खादी के दाम बहुत ज्यादा न बढाते हुए कातनेवालों को ज्यादा मजदूरी प्राप्त हो सके इस दिशा में भी विवरण काल में विशेष विचार किया गया। इस विवरण के पिछले पृष्ठों में खादी बनाने में प्रक्रिया घटाने संबंधी प्रयोग की जानकारी दी गयी है। पुराने जमाने में कपास से कपडा बनाने तक की सभी प्रक्रियाएँ अपने घर में कर के तैयार खादी बेचने का तरीका कभी जगह रुढ था। आज भी हैदराबाद व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह पद्धति पायी जाती है। इस पद्धति से कातनेवाला परिवार कपडे तक का पूरा काम कर ले तो वह आसानी से जीवनवेतन प्राप्त कर सकता है।

## कताभी व धुनाभी दर

१३-१४ तालिकाओं के आंकडे देखने से पता चलेगा कि अगरचे ८ वंटे की कताभी के लिये ८ आना प्राप्ति का मान ठहराया गया है, फिर भी अलग अलग अंकों के लिये वह थोडा कम ज्यादा रहता है। यह फर्क हिसाब की व्यावहारिक सुविधा के लिये करना पडा है। दूसरी ओर बात यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि विवरण काल में रुथी के दामों में बहुत चढाव घटाव आता रहा। तालिका में रुथी के दर दिये हैं उनमें भी कुछ कमीवैशी होती रही। रुथी की जातियों में भी फर्क पडता गया। अुदाहरणार्थ शुद्ध रोझिया रुथी मिलना ही अिन वर्षों में मुश्किल हो गया। रोझिया के नाम पर जरीला मिश्रण की रुथी और जरीला के नाम पर रोझिया मिश्रण की रुथी मध्यप्रदेश के बाजार में आती रही। जिस रुथी का परिमाण ज्यादा उसीके नाम पर अैसी मिश्रित रुथी विकती रही। अैसी हालत में धुनाभी के दर क्या हों, किस रुथी में से कौन से अंक निकाले जायं, कीमते

कैसे तय की जाय आदि बातें कुछ व्यावहारिक ढंग से चलानी पड़ीं। पूर्ण निश्चित दरें मुक़रर करना कठिन रहा। तामिलनाडु शाखा के दरों में पाया जायगा कि १४-१६ आदि अंकों का कताबी मजदूरी का मान ९ आना से भी ज्यादा पडता है। वह भी व्यावहारिक सुविधा के कारण करना पडा है। वहां पर मोटी और महीन गुंडी के क्रमशः ०-४-३ और ०-३-९ दाम ठहराये गये हैं। गुंडीपद्धति की छटाबी और संग्रह में इस तरह कीमत के दो प्रकार रखने में भी कुछ कठिनायी है। लेकिन अेक ही दर रखा जाय तो विभिन्न अंकों के लिये ८ घंटे की प्राप्ति के मान में अभी दीखता है उससे भी ज्यादा फर्क दीखेगा। दो से ज्यादा प्रकार किये जाय तो स्टॉक व हिसाब रखने में दिक्कत आयगी। इसलिये मध्यम मार्ग के तौर पर तामिलनाडु शाखा ने अभी यह तालिका ठहरायी है। अेक विचार उस में यह भी है कि १४ व उसके आसपास के अंक के सूत की शाखा को ज्यादा जरूरत रहती है। उस शाखा में धुनाबी के दर १८ अंक तक ०-८-० सेर रखे गये हैं, वह कुछ कम मालूम पडना संभव है। लेकिन वहां कत्तिनें खुद सादे धनुष से बहुत मोटी धुनाबी कर लेती हैं। घंटे में २० से ३० तोले पूनी वे उस तरीके से बना लेती हैं। इस गति की दृष्टि से ०-८-० दर कम नहीं है। यह धुनाबी अच्छी तो नहीं कही जा सकती मगर वहां की रूमी अच्छी होने से और आदत पड जाने से कत्तिनें उस में से मोटा सूत ठीक निकाल लेती हैं। महीन सूत के लिये अच्छी धुनाबी की जरूरत होने से उसके लिये धुनाबी के दर १८ अंक से ऊपर के सूत के लिये अेकदम ज्यादा रखे गये हैं। दोनों तालिकाओं में धुनाबी दर के कॉलम के बाद के कॉलम में धुनाबी मजदूरी दी गयी है। ८ घंटे में सूत कताबी का जो परिमाण माना गया है उसके लिये लगनेवाली पूनी बनाने की धुनाबी मजदूरी के वे आंकडे हैं।

## बुनाबी दर

कताबी दरों का मान ऊपर दिया गया है। अहवाल काल में बुनाबी दर चदलते रहे और अलग अलग प्रांतों में ये अलग अलग रहे। कहीं कहीं फी-पुंजम् फी-गज ६ पाई अर्थात् फी-विशी फी-गज ८ पाई दर रहे, तो कहीं कहीं इससे सवाये-ड्यौढे तक बुनाबी दर देने के वावजूद कुछ अरसे तक बुनाबी की बहुत दिक्कत रही। बुनाबी के लिये मिल-सूत मिलने की अनिश्चितता, कपडे के बाजार-मावों का चढाव-घटाव, सूत और कपडे संबंधी कंट्रोल की सरकारी नीति आदि कारणों ने हाथ-बुनाबी पर खिन वर्षों में बहुत ही खराब असर डाला और इसी कारण से पुराने अच्छे अच्छे खादीकेन्द्रों को भी बुनाबी

की दृष्टि से घाति पहुंची। बुनाबी के लिये मिलसूत अपर्याप्त मिलता रहा, लेकिन साथ-साथ नियत मात्रा में मिलने वाला सूत काले बाजार में बेचकर बुनकर कभी जगह खासी अच्छी आमद करने लगे। उससे बुनका आलस्य भी बढ़ा और बुनाबी का परिश्रम करने की वृत्ति कम हुई। ऐसी परिस्थिति में कभी जगह खादी बुनने की मजदूरी भी बढ़ानी पड़ी। ज्यादा बुनाबी के कारण खादी के दाम भी बढ़े और स्वावलंबी कातने वालों को भी बुनाबी का ज्यादा दर बोझरूप मालूम पड़ा। अहवाल काल के आखिरी दिनों में यह हालत कुछ सुधरी है। लेकिन जिसकी निश्चितता के बारे में आज कुछ कहना कठिन है। खादी काम में जिस समस्या का हल भी ढूँढना होगा। अगर कातने वालों में आसान किस्मों का कपड़ा खुद बुन लेने की रुचि पैदा हो तो काफी हद तक यह समस्या सुलझ सकती है और कातनेवालों की आमद भी उससे कुछ बढ़ सकती है। चरखा संघ ने अहवाल काल में जिस दिशा में भी कुछ प्रयत्न शुरू किया है।

## कामगारों की संख्या

चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं की कस्तिनों की संख्या १९४९-५० में १ लाख ९० हजार और १९५०-५१ में २ लाख २२ हजार रही, बुनकरों की संख्या क्रमशः करीब ११ हजार और १४ हजार रही। तथा कुल कामगारों की संख्या २ लाख और २ लाख ४० हजार रही। १९४९-५० और १९५०-५१ में खादी उत्पात्ति क्रमशः वर्गगज ७१॥ लाख और ७३ लाख की हुई है। दोनों वर्षों की उत्पात्ति में विशेष अंतर नहीं है। फिर भी कामगारों की संख्या १९४९-५० से १९५०-५१ में ४० हजार याने करीब २० प्रतिशत बढ़ी है।

जिसका कारण यह है कि अहवाल-काल में चरखा संघ ने अपनी व्यापारी खादी उत्पात्ति काफी घटाई, लेकिन उस परिमाण में कस्तिनों और बुनकरों की संख्या कम नहीं हुई। पुराने कस्तिन-बुनकर कम सही, लेकिन काम करते रहे। यानी काम घटने पर भी कामगारों की संख्या नहीं घटी। दूसरी ओर प्रमाणितों ने उत्पात्ति बढ़ाने के लिये कामगारों की संख्या बढ़ाई, लेकिन नये कामगार होने के कारण उत्पात्ति अतने परिमाण में नहीं बढ़ी। और भी एक बड़ा कारण यह है कि बिहार में अकाल पीड़ितों को राहत देने की दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर कताबी शुरू की गयी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुये। लेकिन यह काम अहवाल-काल में दो-तीन महीने ही चला, जिसलिये सालभर काम करने-वाले कामगारों से जितने परिमाण में खादी का उत्पादन हुआ होता उस अनुपात में दो-तीन महीने काम करनेवालों का काम कम ही रहा। यह बात अत्यंत जगह भी जो नये कामगार लगाये गये और

जिन्होंने पूरे साल काम नहीं किया उनको भी लागू होती है। इसलिये अल्पति अतनी ही होने पर भी कामगारों की संख्या अितनी बढ़ी हुआ दिखती है। प्रान्तवार तफसील तालिका १५ में दिया गया है। दोनों वर्षों में कत्तिनों और बुनकरों की संख्या का अनुपात १०० : ६ रहा। याने अेक बुनकर के पीछे करीब १६ कत्तिनें रहीं।

## कामगारों में चांटी गयी मजदूरी

१९४९-५० में कुल कामगारों को ६७ लाख ३१ हजार रुपये मजदूरी के रूप में चांटे गये, जिसमें कत्तिनों को ३०॥ लाख और बुनकरों को ३० लाख मिले। १९५०-५१ में वही आंकडे कुल कामगारों को ७३ लाख, कत्तिनों को ३५ लाख और बुनकरों को ३१ लाख रहे। तफसील तालिका १६ में दिया गया है।

कत्तिनों और बुनकरों की मजदूरी का अनुपात दोनों वर्षों में करीब ७ : ६ रहा। याने जितना सूत कातने के लिये कत्तिनों को १ रुपया मिला अतना सूत बुनने के लिये बुनकरों को करीब चौदह आने देने पडे हैं अैसा दीखता है। लेकिन पूरे अंक नहीं मिल सके हैं। संभव है कि जितना सूत काता गया अुससे ज्यादा बुना गया हो जो कि पहले वर्ष अिकछा हो गया था। कुछ प्रांतो में वस्त्रस्वावलंबन के सूत की कताअी नहीं देनी पडी है मगर बुनाअी काफी देनी पडी है।

## संघ के कार्यकर्ता

चरखा संघ के नये कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से संघ के कार्यकर्ताओं को खादी की तांत्रिक तथा तात्त्विक ट्रेनिंग देने की ओर अहवाल-काल में संघ ने विशेष ध्यान दिया। संघ के अध्यक्ष तथा मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाओं और विचारविनिमय किये तथा भाषणों द्वारा नयी भूमिका समझायी। जगह-जगह कार्यकर्ताओं के शिविर चलाये गये तथा कार्यकर्ताओं के संमेलन के आयोजन भी किये गये।

ग्रामस्वावलंबन की दृष्टि से और अर्थ की जगह श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने की दृष्टि से खादी की तात्त्विक भूमिका पर चरखा संघ ने जोर देना शुरू किया तब अुनके अमली कार्यक्रम का सवाल भी संघ के ट्रस्टी-मंडल के और संघ के कार्यकर्ताओं के सामने आया। अुस पर विचार कर के संघ ने क्रमशः मिल-वस्त्र-वहिष्कार और भोजन में मिल-वस्तु-वहिष्कार का कार्यक्रम सोचा और श्रमिकों में जाकर अुन्ही की तरह हर मास २४ घंटे परिश्रम करने का कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को सुझाया। वहिष्कार संबंधी चरखा संघ ने कोअी प्रस्ताव नहीं किया। मगर संघ के अध्यक्ष ने अपने दौरे में, व्याख्यानो में और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ की वातचीत में लगातार दो साल तक उस संबंधी खूब प्रचार किया। फलतः अिस दृष्टि से विचार करने की



जाग्रति न केवल चरखा संघ के कार्यकर्ताओं में वरन् सभी रचनात्मक संस्थाओं में आयी और अप्रैल १९५२ के सर्वोदय संमेलन में जिस संबंधी विशेष प्रस्ताव पास किया गया और देश के सामने रखा गया। उस संमेलन के बाद सर्व सेवा संघ की कार्यकारणी समिति ने अपने और जुड़े हुए सभी संघों के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के लिये इसका अमल लाजमी हो बैसा प्रस्ताव पास किया। श्रमिकों में जाकर कार्यकर्ता स्वयं परिश्रम करें इसके लिये चरखा संघ ने अपनी सितंबर १९५१ की द्रुस्ती मंडल की सभा में अंक खास प्रस्ताव किया। यह प्रस्ताव परिशिष्ट १ में दिया गया है।

इसमें शक नहीं कि संघ के कार्यकर्ता आज तक कभी वयों से बहुत परिश्रमपूर्वक कम से कम वेतन में गरीबी पूर्वक खादी सेवा करते आये हैं। परंतु उपर्युक्त बातें अधिकतर कार्यकर्ताओं के लिये नयी हैं। और उसके लिये अपने जीवन में जिस बदल की जरूरत है वह लाने में कठिनायी को कठिनायी भी महसूस हो रही है। लेकिन सारे समाज में जो बदल लाना है वह खुद के जीवन में भी करना होगा यह बात कार्यकर्ता समझते हैं और संघ को आशा है कि वे यथाशक्ति विन नये सुझावों पर भी अमल करने लगेगे। कुछ आरंभ तो कभी कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छापूर्वक शुरू भी कर दिया है

संघ के कुल कार्यकर्ताओं की संख्या अहवाल काल के प्रारंभ में करीब ११०० थी, वह अहवाल काल के अंत में ७५० ही रह गयी। राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद तथा आन्ध्र का बहुत सारा खादीकाम संघ ने प्रमाणितों को सौंपा, उसके साथ वहां के संघ के कार्यकर्ता भी उनको दिये गये, इसलिये संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या अितनी कम हुयी है।

कार्यकर्ताओं का अंतिम वेतनमान अहवाल-काल में पहले जैसा रु. १०० ही रहा। इसके अलावा महंगाभी भत्ता २५% + १५ रु. दिया जाता रहा। १९५१-५२ में यह मान रु. १२५ किया गया, लेकिन महंगाभी भत्ता केवल २५ रुपये ही रखा गया। १९५०-५१ में संघ ने छोटे कार्यकर्ताओं को रु. ६० और बड़े कार्यकर्ताओं को रु. ९० अनाज के लिये विशेष भत्ता दिया। कार्यकर्ताओं का वेतन के अनुसार विभाजन तालिका १७ में दिया गया है। तालिका १८ में यह भी दिखाने की कोशिश की गयी है कि प्रति कार्यकर्ता प्रतिदिन उत्पात्ति, त्रिक्री और स्वावलंबन का कितना काम हुआ। यह आंकड़े कुछ अधूरे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या सालभर समान रही ऐसी बात नहीं है। अलावा इसके सरंजाम कार्यालय आदि के कार्यकर्ताओं की संख्या भी शायद इसमें गिन ली गयी है। फिर भी ये आंकड़े

मोटे तौर पर कार्यकर्ता व काम का प्रत्यक्ष अनुपात बतलाते हैं, जिसलिये तालिका में दिये हैं।

## ग्राम संख्या

अहवाल काल में खादी-काम चल रहा हो जैसे ग्रामों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। दर असल जिस तरह हम वर्गगजों में और रुपयो में खादी कितनी बनी वह देखते हैं, उसी तरह हमें यह भी देखना चाहिये कि कितने ग्रामों में चरखा पहुंचा और उनमें से खास कर कितने ग्रामों में कपास से कपडे तक थोड़ी मात्रा में सही मगर सभी प्रक्रियाओं की कला चल निकली है। जिसका अेक बडा लाभ यह है कि अगरचे अभी खादी के अनुकूल जन-मानस नहीं बना है; मगर वह बने तो गांव बड़ी आसानी से अपना कपडा बना ले सकता है। क्यों कि सारी प्रक्रिया वीजरूम में वहां जीवित रहती है। जिस दृष्टि से हमने अब तक वीजरूम में चरखा पहुंचा हो जैसे गांवों की संख्या बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। अभी जिन ग्रामों का आंकडा हमें मिला है वह तो अधिकतर मजदूरी के चरखे का मिला है। कभी जगह स्वावलंबन का चरखा भी पहुंचा है, उसकी संख्या नहीं मिल सकी है। संभव हुआ तो उसकी जानकारी भी प्राप्त करने की संघ की इच्छा है। अभी मिली हुयी ग्रामसंख्या की प्रांतवार जानकारी तालिका १९ में मिलेगी।

## आजतक का कुल खादी काम

चरखा संघ की स्थापना से लेकर अबतक कुल कितनी खादी बनी और कितनी मजदूरी उसके जरिये बांटी गयी उसके अंक तालिका २० और २१ में दिये गये हैं।

## ट्रस्टीमंडल और चरखा संघ का तंत्र

चरखा संघ के आरंभ काल से याने सन १९२५ से संघ का विधान बना हुआ है और बादमें प्रोपकारी संस्था के रजिस्ट्रेशन कानून के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। विधान में समय समय पर कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। अतः विधान के अनुसार बना हुआ ट्रस्टी-मंडल संघ का नीति-निर्णय और कार्य-संचालन करते आया है। कार्य-संचालन के लिये संघ के तंत्र में भी जरूरत के अनुसार कुछ बदल ट्रस्टी-मंडल करते रहा है। अहवाल काल में खादी-काम की अनेकविध प्रवृत्तियों के संचालन की दृष्टि से तंत्र में ऐसे कुछ फर्क किये गये हैं। मौजूदा ट्रस्टी-मंडल और तंत्र संबंधी जानकारी थोडे में यहां दी जाती है।

**ट्रस्टी-मंडल**—अहवाल-काल में आजीवन ट्रस्टियों में से श्रीमती आशा देवी ने अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दिया। अुनकी जगह तारीख ७-८ जनवरी १९५१ की ट्रस्टी-मंडल की सभा में श्री अनंत वासुदेव सहस्रबुद्धे को आजीवन सदस्य चुना गया। शेष आजीवन ट्रस्टी वैसे के वैसे कायम रहे।

१९४९-५० में सालाना ट्रस्टी श्री ठाकुरदास वंग तथा श्रीमती अमलप्रभा दास का समय समाप्त होने के कारण वे वन्द हुए। अुनकी जगह श्री ध्वजाप्रसाद साहू, श्री सिद्धराज ढड्डा तथा श्री आर. गुरुस्वामी पिल्लै को तारीख ७-८ जनवरी १९५१ की ट्रस्टी मंडल की सभा में सालाना ट्रस्टी चुना गया। आज के ट्रस्टी ये हैं:—

### आजीवन ट्रस्टी

(१) श्री. धीरेन्द्रमात्री मजूमदार, (अध्यक्ष) खादीग्राम, पो. मलेपुर,

जि. मुंगेर, विहार

(२) श्री. वि. वि. जेराजागी, ३९६, कालवादेवी रोड, बम्बयी २

(३) श्रीमती रमादेवी चौधरी, बरीकटक, जिला कटक

(४) श्री. खान अब्दुल गफ्फारखान, चारसदा, जिला पेशावर (पाकिस्तान)

(५) श्री. खुनाय श्रीधर धोत्रे, वजाजवाडी, वर्धा (मध्यप्रदेश)

(६) श्री. नारायणदास गांधी, राष्ट्रीय शाला, राजकोट (काठियावाड)

(७) श्री. जुगताराम दवे, स्वराज्य आश्रम, वेडली, पो. बालेड,

जिला सुरत

(८) श्री. श्रीकृष्णदास जाजू, (कोषाध्यक्ष) वजाजवाडी, वर्धा

(९) श्री. कृष्णदास गांधी, सेवाग्राम, (वर्धा)

(१०) श्री. अनंत वासुदेव सहस्रबुद्धे, (मंत्री) सेवाग्राम, (वर्धा)

### सालाना ट्रस्टी

(११) श्री. सिद्धराज ढड्डा, सर्वोदय केन्द्र, खीमेल (राजस्थान)

(१२) श्री. ध्वजाप्रसाद साहू, खादी बोर्ड, पुनाथी चक, पटना-३

(१३) श्री. आर. गुरुस्वामी पिल्लै, गान्धी निकेतन, टी. कल्लुपट्टी पोस्ट

मदुरै जिला, दक्षिण भारत

खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान सरकार के जेल में बंद होने से उनसे संघ का संबंध टूट गया है। अन्य ट्रस्टी अहवाल काल में संघ के काम में सक्रिय हिस्सा लेंगे रहे हैं।

सभा की अवधि-ट्रस्टी मंडल की सभा अहवालकाल के पहले साधारणतः साल में दो बार हुआ करती थी। सन १९४९-५० और १९५०-५१ में मिल कर वह

पाँच बार हुआ। अब यह निर्णय किया गया है कि साधारणतः तीन महीने के बाद ट्रस्टी मंडल की सभा रखी जाय।

**अपसमितियाँ**—अहवाल काल में नीचे लिखी ट्रस्टी मंडल द्वारा बनायी गयी पुरानी और नयी अपसमितियाँ काम करती रहीं। १. वजट समिति, २. शिक्षा समिति, ३. सरंजाम सुधार समिति, ४. कपास समिति, ५. प्रमाणपत्र समिति और ६. पोत सुधार समिति।

इनके अलावा केन्द्रीय दफ्तर में १ कताबरी मंडल विभाग, २ शिबिर विभाग, ३ प्रमाणपत्र विभाग, ४ प्रयोग विभाग तथा ५ कपास विभाग ये कार्य विभाग भी बनाये गये। इन अपसमितियों तथा विभागों के काम के बारे में अहवाल में जानकारी दी ही गयी है। वजट समिति के अलावा अने अने समितियों के सदस्यों के नाम भी अनेकी जानकारी के साथ अहवाल में दिये हैं। आजकी वजट समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं—१. श्री. धीरेन्द्र मजूमदार, २ श्री अ. वा. सहस्रबुद्धे, ३ श्री. र. श्री. घोत्रे, ४ श्री. कृष्णदास गांधी. ५ श्री. द्वा. वि. लेले।

**प्रान्तीय अेजन्ट (प्रतिनिधि)**—महाराष्ट्र तथा पंजाब में क्रमशः श्री. रघुनाथ श्रीधर घोत्रे तथा श्री. गोपीचंद भार्गव ये दो प्रान्तीय अेजन्ट रह गये थे। बाकी प्रान्तों में अेजन्ट पहले ही बंद हो गये थे। इस लिये अेजन्ट की पद्धति रखने न रखने के सम्बन्ध में अप्रैल १९५१ की हैदराबाद की सभा में विचार होकर प्रान्तीय अेजन्ट पद्धति बंद करना तय हुआ। उसके अनुसार अब प्रान्तों में कोई अेजन्ट नहीं है।

**अध्यक्ष**—अहवाल काल में मार्च १९५१ में अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र मजूमदार का तीन साल का कार्यकाल समाप्त हुआ। जनवरी १९५१ की सभा में अनेको फिर से तीन साल के लिये चरखा संघ का अध्यक्ष चुना गया।

**मंत्री तथा सहायक मंत्री**—संघ के मंत्री श्री कृष्णदास गांधी की तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर जून १९५० की बारडोली की सभा में अनेको फिर से मंत्री चुना गया। बाद में जनवरी १९५१ में अनेहोंने तिरुपुर में रह कर प्रयोग के काम में तथा दक्षिण की शाखाओं के काम में परिवर्तन लाने की दृष्टि से विशेष रूप से कार्य करने का विचार किया और कभी महीने अपना मुकाम दक्षिण में ही रखा। इस कारण प्रधान कार्यालय के हिसाब-विभाग का काम श्री द्वारकानायजी लेले के सुपुर्द किया गया। बाद में सितम्बर १९५१ में श्री द्वारकानायजी लेले सहायक मंत्री नियुक्त हुये। उसी वक्त प्रधान मंत्री का कार्यकाल छः साल से अधिक न होँ औसा प्रस्ताव हुआ। लेकिन शाखा-मंत्री के लिये पाँच साल को अवधि रखी है वही

संघ के विद्यमान मंत्री के लिये लागू रहे, जिस मान्यता के अनुसार श्री कृष्णदास गांधी का मंत्रीपद का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होते आया था जिसलिये उनका जगह श्री अनंत वासुदेव सहस्रबुद्धे को प्रधान मंत्री चुना गया ।

**प्रबन्ध सहायक**—प्रान्तों में प्रधान मंत्री का प्रतिनिधित्व कर सके जिस दृष्टि से नीचे लिखे अनुसार प्रबन्ध सहायक की योजना अहवाल काल में की गयी ।

संघ के मौजूदा काम का स्वरूप देखते हुये प्रधान कार्यालय के कार्यकर्ता के तौर पर कुछ ऐसी नियुक्तियों की जानी जरूरी मालूम पडती है कि जो जत्र वहाँ जरूरत पडे उस क्षेत्र में और प्रधान मंत्री जरूरत समझे उन कामों में प्रधान मंत्री का प्रतिनिधित्व कर सके । काम की सुविधानुसार ये प्रबन्ध सहायक कुछ मुकरर क्षेत्र में ही सामान्यतः प्रधान मंत्री की सहायता करते रहेंगे । लेकिन नीति के तौर पर उनके लिये कोअी मुकरर क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि जहाँ कहीं जरूरत पडे वहाँ जा कर मंत्री की सहायता करना उनका काम रहेगा । यह जरूरी नहीं है कि प्रबन्ध सहायक अपना निवास केन्द्रीय दफ्तर के स्थान में ही रखें । मोटे तौर पर जिस क्षेत्र में काम करना पडेगा उसी क्षेत्र के किसी खादी विद्यालय में या किसी सघन क्षेत्र में या संघ के किसी खास खादीकेन्द्र में उनका निवास रहना लाभदायी होगा । जहाँ तक हो सके प्रबन्ध सहायक पर संचालन व रूटीन का बोझ न रहे, मगर मंत्री व संचालकगणों को मार्गदर्शन व सहारा देने का रहे ।

जिस प्रस्ताव के अनुसार श्री. आर. श्रीनिवासन् को अहवाल-काल में प्रबन्ध-सहायक नियुक्त किया गया और उन्हें केरल, तामिलनाडु तथा आन्ध्र के नये विभागों का संगठन और प्रचार का काम सौंपा गया । शुरू में जिस पद का नाम मंत्री-सहायक रखा गया था, लेकिन सहायक-मंत्री और मंत्री-सहायक का भेद समझने में मुश्किल होने से बाद में मंत्री-सहायक के बदले प्रबन्ध-सहायक नाम रखा गया ।

**शाखा के विभाग**—प्रान्तीय शाखाओं की जगह अपने नये काम की दृष्टि से छोटे छोटे विभाग बनाने की नीति संघ ने अहवाल काल में अख्तियार की । विभाग बनाने के पीछे चरखा संघ की दृष्टि जिस प्रकार रही:—

चरखा संघ का नया काम ( वस्त्र-स्वावलंबन ) करने की दृष्टि से जत्र विचार करते हैं तत्र यह महसूस होता है कि आज की प्रान्तीय-शाखा-व्यवस्था कार्यक्षम नहीं रह सकेगी । कारण सारे क्षेत्र में वस्त्र-स्वावलंबन तथा क्षेत्र-स्वावलंबन की दिशा में कार्य करने के लिये क्षेत्र के करीब करीब समूचे गाँवों से सम्बन्ध रखना होगा, वहाँ की परिस्थिति का अभ्यास करना होगा, जन-सम्पर्क बढ़ाना होगा । यह सारा काम

प्रान्तीय दफ्तर की ओर से जमाना कुछ कठिन-सा होगा। प्रान्त में विभिन्न परिस्थिति के अलग अलग क्षेत्र रहना स्वाभाविक है जिस दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम में भी कुछ भेद रहना स्वाभाविक हो जाता है, जिस विचार से प्रान्तीय शाखा की मार्फत काम चलाने के बदले विभिन्न विभागों की योजना बनायी गयी है। यह योजना परिशिष्ट ६ में दी गयी है।

जिस नीति के अनुसार जैसे-जैसे संभव हुआ वैसे-वैसे शाखाओं को विभागों में बांटा गया। अब तक जिन जिन शाखाओं के विभाग बनाये गये उनका सूची और मुख्य केंद्र नीचे लिखे अनुसार है:-

१ आन्ध्र शाखा : कृष्णा विभाग, मछलीपट्टनम्। गोदावरी विभाग, काकिनाडा, नेल्लोर विभाग, नेल्लोर। तेनाली विभाग, तेनाली। श्रीकाकुलम् विभाग, श्रीकाकुलम्।

२ कर्नाटक शाखा : हुबली विभाग, हुबली। कल्हाल विभाग, कल्हाल। गुर्लहोसुर विभाग, गुर्लहोसुर। कलादगी विभाग, कलादगी। दक्षिण कर्नाटक विभाग, चिकमगलूर।

३ केरल : पालघाट विभाग, पालघाट। कोझीकोड विभाग, एरानीपालम्। नागरकोविल विभाग, नागरकोविल।

४ तामिलनाडु : तंजावूर विभाग, कुंवरकोणम्। तिरुनेलवेल्ली विभाग, को-विलपट्टी। तिरुपुर विभाग, तिरुपुर। मदुरा-नामनाडु विभाग, मदुरै। मदरास विभाग, मदरास।

५ महाराष्ट्र : बम्बयी विभाग, बम्बयी। पूना विभाग, पूना। नाग-विदर्भ विभाग, मूल।

इनके अलावा काश्मीर तथा गुजरात शाखाओं अब शाखाओं नहीं रहीं, उनको विभाग नाम दिया गया। गुजरात में अभी क्षेत्र के आधार पर विभाग नहीं बनाये जा सके हैं। लेकिन वहां कताभी मंडल, सरंजाम, प्रमाणपत्र और खादी-बिन्नी के लिये चार कार्यविभाग किये गये हैं। संघ का ख्याल यह है कि वहां भी ऐसे कार्यविभाग के बदले में अन्य शाखाओं की तरह क्षेत्र के आधार पर ही विभाग करना अच्छा होगा।

यह अनुभव आ रहा है कि विभाग कर देने के कारण पहले जो केन्द्रित अनुशासन और आर्थिक लेनदेन की कार्यक्षमता रहती थी वह कहीं कहीं घटी है। लेकिन दूसरी ओर अधिक कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी बांटी जाने से उनका शक्ति क्रमशः बढ़ाने का और अपनी सूझ के अनुसार काम करने का अर्थ ही मिला है।

असि चीख की जरूरत अत्र संघ विस तरह का काम करना चाहता है अउमें बहुत ही थी और विभागों की योजना के कारण अउस और प्रगति दीख पडी है ।

**संघ का प्रतिनिधित्व**—सरकारी समितियों तथा अन्य रचनात्मक संस्थाओं की ओर से संघ के प्रतिनिधित्व की मांग आती रहती है । अहवाल काल में अल्ला अल्ला संस्थाओं पर संघ के जो प्रतिनिधि नियुक्त किये गये या चालू रहे अउनकी सूची नीचे लिखे अनुसार है:—

#### प्रतिनिधि

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| १ कॉटन इंडस्ट्रीज बोर्ड, भारत सरकार—          | श्री. सिद्धगज दह्या                |
| २ इंडियन स्टैंडर्ड इन्स्ट्रियूशन, भारत सरकार— | श्री. द्वारकानाय लेले              |
| ३ रचनात्मक समिति, अ. भा. काँग्रेस कमेटी—      | श्री. श्रीकृष्णदास जाजू            |
| ४ संयुक्त प्रदर्शन समिति—                     | संघ के मंत्री                      |
|   | (अभी श्री. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे) |
| ५ अ. भा. सर्व सेवा संघ—                       | श्री. धीरेन्द्र मजूमदार            |
| ६ मगन संग्रहालय, वर्धा—                       | श्री. कृष्णदास गांधी               |

### राष्ट्रीय झंडा

राष्ट्रीय झंडा १९२१ से खादी का ही बनता रहा और चरखा संघ द्वारा अुसे बनाने व बेचने का काम होता रहा । आजादी के बाद राष्ट्रीय झंडा केवल बनता तक न रह कर वह सरकार के अधिकार क्षेत्र में चला गया । सरकार ने राष्ट्रीय झंडे का स्टैंडर्ड निश्चित करने के लिये अेक कमिटी मुकर्रर की, जिसमें चरखा संघ के प्रतिनिधि का भी समावेश किया गया । संघ ने श्री द्वारकानाय लेले को प्रतिनिधि मुकर्रर किया । राष्ट्रीय झंडा खादी का ही हो इसके लिये चरखा संघ ने विशेष प्रयत्न किये और अुसे बनाने तथा वितरण करने की जिम्मेवारी भी त्वयम् उठाने का भार स्वीकार किया । कमिटी ने राष्ट्रीय झंडे की खादी की बनावट का तथा रंग और आकार आदि का स्टैंडर्ड निश्चित किया है और अुस संबंध में अेक पुस्तिका प्रकाशित की है । झंडे के स्टैंडर्ड की सूची खादी बनाने का प्रबंध चरखा संघ ने अपने केन्द्रों में किया है और अुसके रंगाने-छपाने की व्यवस्था भी बम्बयी में की गयी है । सिर्फ सिलायी का काम सरकार अपने लिये खुद कर लेगी । राष्ट्रीय झंडे विस किसी को बिक्री के लिये या अपने अुपयोग के लिये चाहिये, अुनको वे “ अ. भा. चरखा संघ, बम्बयी विभाग, ३९४ कालनादेवी रोड, बम्बयी नं. २ ” से मिल सकेंगे ।

झंडे की अूनी तथा रेशमी खादी के स्टैंडर्ड अभी तक निश्चित नहीं हुअे हैं । वे तय होने पर अुस लायक कपडा बनाने की दृष्टि से संघ ने बीकानेर में अेक अूनी केन्द्र चालू किया है ।

## प्रकाशन

१९४९ के अगस्त में चरखा संघ ने अपने मुखपत्र “खादी जगत्” का प्रकाशन बंद किया और सभी रचनात्मक संघों का मुखपत्र अेक हो जिस विचार से सर्व सेवा संघ ने “सर्वोदय” का प्रकाशन तत्र से शुरू किया। खादी की और सर्वोदय की मूल विचारधारा अेक ही है। अतः विचार-प्रचार के लिये सर्वोदय मासिक चरखा संघ के व खादी-प्रेमियों के लिये विशेष उपयुक्त होने से खादी जगत् बंद करने में चरखा संघ को आपत्ति नहीं मालूम हुअी। मगर कताअी मंडलों के व्यापक कार्यक्रम में अुनके आपसी व चरखा संघ के साथ के सम्पर्क के लिये छोटे से पत्रक की जरूरत दीखी। जिसकी पूर्ति के लिये कताअी मंडल पत्रिका जनवरी १९५१ से शुरू की गयी। १/२ डेमी के ८ पृष्ठों की यह पत्रिका नियमित रूप से पाक्षिक के तौर पर चरखा संघ के कताअी मंडल विभाग कि ओर से प्रकाशित की जाती है। अुसका वार्षिक चन्दा १ रुपया है। ग्राहक संख्या और मुफ्त वितरण मिला कर मासिक १८५० तक अंक अहवाल-काल के अंत में प्रकाशित होते रहे। हाथ-कागज व ८ पृष्ठ होने से पत्रिका का वार्षिक खर्च करीब रुपया २-८-० प्रति अंक आता है। मगर प्रचारार्थ चरखा संघ घाटे में ही पत्रिका निकाल रहा है।

विवरण-काल में पुस्तक-विक्री घटती गयी। प्रथम वर्ष रुपये ११,६९५ की और दूसरे वर्ष रुपये ८,८६१ की विक्री हुअी। प्रधान कार्यालय के प्रकाशन विभाग की ओर से विवरण-काल में पुरानी और नयी किताबें मिलाकर १४ किताबें प्रकाशित की गयीं। संघ के प्रकाशन विभाग से मिल सकनेवाली किताबों की सूची अंत में दी गयी है।

प्रकाशन का कुछ कार्य प्रान्तीय भाषाओं में, खास कर दक्षिण भारत की भाषाओं में, करना विशेष आवश्यक था। अुसके अनुसार तामिल में “खदर मल्दु” और मलयालम् में “खादी जगत्” का प्रकाशन संघ की वहाँ की शाखाओं की ओर से चलाया गया। अिन दोनों भाषाओं में कुछ पुस्तक-प्रकाशन भी होता रहा।

विवरण-काल के अन्त में “खादी-वर्ल्ड” नामक अेक अंग्रेजी मासिक भी चरखा संघ की ओर से तामिलनाडु शाखा के माली मंत्री श्री० रामस्वामी के सम्पादन में तिरुपुर से प्रकाशित करना शुरू किया गया। अुसका वार्षिक चन्दा तीन रुपया है।

## ग्राम सेवक

सन १९४४ में गांधीजी ने चरखे की अपनी मीमांसा अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की, खादीकाम में आमूलग्र परिवर्तन करने का सुझाव रखा और चरखा संघ



को गाँव गाँव में बंट जाने की एवं विसर्जित हो जाने की सलाह दी। खादी को समाज में अहिंसक-जीवन सिद्ध करना है और उसके लिये हिंसक मूल्यों से छुटकारा पाने हुये समाज के गुजारे के तरीके बनाना है, अन्न-वस्त्र जैसी गुजारे की मूल आवश्यकता से बिसका आरंभ भी होता है और नींव भी बनती है, बिसलिये स्वावलंबन और स्वयंपूर्णता पर आधारित खादीकाम की दृष्टि से और जिनके लिये वह काम करना है जैसे देहातों की दृष्टि से चरखा संघ का कार्यक्रम होना चाहिये बिस बात पर उन्होंने जोर दिया। उसमें से समग्र ग्राम सेवक की कल्पना निकली और चरखा संघ ने अेक नयी योजना बनायी। चरखा संघ ने देखा कि पुराने सब कार्यकर्ता यह नया काम नहीं कर सकेंगे। बिसलिये अेक ओर से पुराने काम में धीरे धीरे परिवर्तन लाने और दूसरी ओर से नये सेवक ले कर काम करने का संघ ने विचार किया। जो सेवक बिस नयी दृष्टि से खादी-काम करना चाहें, गाँव में बैठना चाहें अुन्हें ५ वर्ष तक अुनके गुजारे के लिये निर्वाह-व्यय देते हुये अपनी सज्ञ-वृज्ञ से पूर्ण स्वतंत्रता से काम करने का मौका देने की यह योजना थी। मगर यह अेक नया विचार था, और उसमें कूदने के लिये काफी साहस, त्याग व ज्ञान की जरूरत थी। बिसलिये बहुत ज्यादा कार्यकर्ता बिसमें नहीं गये। शुरू में १८ कार्यकर्ता बिस योजनानुसार गाँवों में काम करने लगे जिनमें से कुछ ने बाद में यह काम छोड़ दिया और कुछ ने यह योजना ही छोड़ दी।

बाद में अहिंसक समाज रचना के सर्वतोमुखी कार्यक्रम के लिये जत्र सर्व सेवा संघ बना तत्र ग्राम सेवक की योजना अुसी के आधीन व मार्गदर्शन में चलायी जाना अुचित मालूम पडा। विवरण-काल में अपना ग्राम-सेवक-विभाग चरखा संघ ने सर्व सेवा संघ के सुपर्द कर दिया व जो सेवक थे अुनके खर्च की अुतनी रकम भी सर्व सेवा संघ को दी जो अुन सेवकों की ५ साल की मियाद पूरी होने तक काम आ सके।

## सर्व सेवा संघ से संबंध

रचनात्मक कार्यक्रम के अलग अलग कामों के लिये चलनेवाली संस्थाओं संमिलित करने की कल्पना में से १९४८ में सर्व सेवा संघ की स्थापना हुयी। चरखा संघ सर्व सेवा संघ में विलीन हो जाय या जुडी हुयी मगर स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता रहे यह सवाल विवरण काल में बार बार अुठता रहा। अुसका निर्णय करना आसान नहीं था। अेक ओर से देखा जाय तो चरखा संघ का अुद्देश्य भी अहिंसक समाज रचना की स्थापना का है। बिसी अुद्देश्य से मगर अुसके लिये जरूरी सारे रचनात्मक कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से सर्व सेवा संघ की स्थापना हुयी है। तब

अुसी में चरखा संघ का विलीन हो जाना सयुक्तिक व सुसंगत लगता है। फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे चरखा संघ ने निर्णय किया कि सर्व सेवा संघ में विलीन होने के बदले में सर्व सेवा संघ से जुड़े हुअे रह कर अपने जिम्मे के विशेष काम को ही प्राधान्य दे। कारण ये हैं :

(१) चरखा संघ के लिये जनता से जो चंदा मांगा गया है वह खादी कार्य के लिये ही मांगा गया है और अुसे अुसी काम में लगाया जा सकता है। सर्व-सेवा-संघ के क्षेत्र में आनेवाले दूसरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। इसलिये विलीनीकरण का पूर्ण अुद्देश्य नहीं सध सकता है।

(२) सारे रचनात्मक कामों में खादी का काम सत्र से ज्यादा कठिन है। चरखे के सामने आज मिले खडी हैं। असलिये खादीकाम को अेकमात्र और प्रधान लक्ष्य बना कर अुसमें अधिक से अधिक शक्ति लगानेवाली स्वतंत्र संस्था की जरूरत है। समग्र प्रवृत्तियों में मिला देने से खादीकाम की ओर दुर्लक्ष्य होना संभव है।

(३) सर्व सेवा संघ की रचना और संगठना अैसी है जिसमें अैसे व्यक्तियों का भी अंतर्भाव हो सकता है जो खादी पर वैसा विश्वास न रखते हों, जो कि चरखा संघ रखता है।

(४) अमी सर्व सेवा संघ के मुख्य सदस्यों में अनेक दृष्टिकोण पाये जाते हैं, जो तीव्र मतभेद का स्वरूप भी कभी-कभी ले लते हैं। यह मतभेद खादीकार्य के संचालन में विघ्नरूप हो सकते हैं।

(५) सर्व सेवा संघ गांधीजी की समग्र रचनात्मक प्रवृत्ति चलाने के हेतु से बना है। यह रचनात्मक प्रवृत्ति अपने जीवन में अुनका अमल किये बिना नहीं पनप सकती है। चरखा संघ पचीस साल की पुरानी संस्था है। अुसके सारे कार्यकर्ता अेकाअेक समग्र दृष्टि का अमल कर सकेंगे अैसी हालत अमी नहीं है। वह अमल किये बिना विलीन होने से सर्व सेवा संघ की शक्ति नहीं बढ़ेगी, बल्कि कमजोरी ही बढ़ने की अधिक संभावना है।

चरखा संघ की राय में ये बातें अितने गंभीर स्वरूप की हैं कि संघ के द्रुस्ती सर्व सेवा संघ के प्रति पूरी आत्मीयता रखते हुअे अुसमें विलीनीकरण के लिये संमत नहीं हो सके हैं।

चरखा संघ जो काम कर रहा है वह कुछ सीमित मर्यादाओं में करते आया है। लेकिन अुसीसे वह अेक विशेष प्रकार से पनप सका है और अितने अधिक विपरीत वायुमंडल में खादी को निभाते रहा है। समग्रता के विचार से अुसका विरोध नहीं है। पर अपने काम में समग्रता के अमल की शक्ति अमी चरखा संघ

के पास नहीं है। सर्व सेवा संघ अकेले ऐसी संस्था बननी चाहिये, जिसमें यह अमल सर्वस्पर्शी व अधिक से अधिक हो। अतः अमल की पूर्ण तैयारी के बिना किया हुआ विलीनीकरण खादी और समग्र सेवा दोनों कामों के लिये हानिकार होगा; क्योंकि समग्रता के नाम से खादी पर की केन्द्रित दृष्टि भी विचलित होकर अपने जिम्मे आया हुआ काम भी शिथिल या विसंघटित होगा और प्रत्यक्ष अमल के अभाव की त्रुटि रहेगी। तब तक समग्रता का विचार भी अपनी जड़ें नहीं जमा सकेगा। अतिलिये चरखा संघ ने यही अचित्त माना है कि अपने मुख्य काम के साथ अन्न वस्त्र के लिये मिलों से बनी वस्तुओं का त्याग, व्यसन-मुक्ति, उत्पादक परिश्रम करने का आग्रह, देहाती जीवन के हर पहलू का अभ्यास, खेती और आरोग्य के लिये आवश्यक सफाई व खाद बनाना आदि कार्यक्रमों को जोड़ा जाय। विवरण काल में संघ अिस बारे में विशेष कोशिश करता रहा है और अब भी वह अिस ओर क्रियाशील है। सर्व सेवा संघ के काम में साथ देने का और पोषक बनने का यही तरीका चरखा संघ ने अचित्त माना है।

समग्रता के नाम पर खादी के बारे में दुर्लक्ष्य होगा अिस विचार के बारे में भी यहां थोड़ा स्पष्टीकरण देना जरूरी है। अिसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि देश के अुत्थान के लिये और नवसमाज-निर्मिति के लिये अनेक कार्य देश में करने की जरूरत है। लेकिन विभिन्न कामों के विभिन्न पहलू और समस्याएँ रहती हैं। आज दूसरे कामों के लिये वह कठिनाई, वह अुदासीनता, वह विरोध देश में खड़ा नहीं है जो खादी के बारे में है। कपडे की मिलों के कारण खादी का काम अकेले अति विकट समस्या का रूप ले रहा है। अुसके लिये बहुत ज्यादा व विशेष प्रकार से शक्ति लगाने की जरूरत है। आसान कामों की ओर झुकना यह मनुष्य स्वभाव है। समग्रता के नाम पर आसान कार्यक्रमों में बह जाने और खादी के बारे में अुदासीनता या निष्क्रिय वृत्ति आ जाने का खतरा भी विलीनीकरण में चरखा संघ महसूस करता है। अिसके अलावा अितनी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिये अकेले संघ बना कर केन्द्रीकरण करने के बदले स्वतंत्र अिकाधियाँ रख कर याने विकेंद्रित रह कर आपस में बह संबंधित व जुड़ी हुई रहें यही कार्यपद्धति ज्यादा लाभदायी होगी, अैसा भी अकेले मूलभूत विचार चरखा संघ के सामने है।

अिन सत्र विचारों से चरखा संघ ने विलीनीकरण के बदले स्वतंत्र संस्था के रूप में मगर सर्व सेवा संघ से जुड़े रह कर और अुसकी नीति व मार्गदर्शन ले कर काम करने में ही सर्व सेवा संघ की ओर देश की ज्यादा सेवा होगी अैसा माना है। चरखा संघ के जो कार्य-विभाग सर्व सेवा संघ में विलीन कर देना लाभदायी मालूम पडता है वैसे विभाग सर्व सेवा संघ के सुपुर्द कर देने का निर्णय चरखा संघ ने किया है और अुस

के अनुसार विवरण काल में समग्र ग्राम सेवक विभाग पूर्ण रूप से अन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। प्रकाशन का विक्री-विभाग भी अब सुपुर्द कर देने की योजना बन गयी है। सर्व सेवा संघ की तैयारी होने पर पूरा प्रकाशन विभाग अन्हें सुपुर्द कर दिया जायगा। आगे चल कर विद्यालयों का काम भी सर्व सेवा संघ में मिला दिया जा सकता है। पर खादी-अुत्पत्ति, विक्री व केवल खादी संबंधी अनेक व्यावहारिक काम आज की तरह स्वतंत्र रखना जिस कठिन हालत में चरखा संघ को बहुत जरूरी लगता है, जब कि मिलों की संस्कृति खादी को मारने के लिये कटिबद्ध है।

सर्व सेवा संघ के नियमानुसार चरखा संघ में जो सालाना वेतन दिया जाता है उस पर ५% के हिस्से से करीब ३० से ३२ हजार रुपये सालाना चन्दा विवरण काल में चरखा संघ सर्व सेवा संघ को अदा करता रहा है।

## गांधी स्मारक निधि

जिस निधि का विनियोग गांधीजी के सुझाये विविध रचनात्मक कामों के लिये करने का और कुल निधि का कितना हिस्सा अुन अुन मदों में खर्च किया जाय उसका निर्णय गांधी स्मारक निधि के ट्रस्टी मंडल ने कर लिया है। खादी के लिये रुपये में आधा आना याने कुल निधि का ३२ वां हिस्सा अंकित रखने का तय किया गया है। जिस अंकित रकम के विनियोग के बारे में निधि की ओर से पूछा जाने पर चरखा संघ ने अपने ट्रस्टी मंडल में विचार करके निधि को यह सुझाव भेज दिया है कि केवल वस्त्रस्वावलंबन के काम में, और वह भी आज की हालत को देखते हुए वस्त्रस्वावलंबियों के सूत की बुनाई में सुविधा हो जैसे संगठन के काम में, खर्च किया जाय। जिस संबंधी एक तफसीलवार योजना बना कर वह चरखा संघ की ओर से निधि को भेज दी गयी है।

## मद्रास सरकार और चरखा संघ

चरखा संघ ने अपने पिछले कभी अहवालों में मद्रास सरकार की खादी योजना के बारे में जानकारी दी है। उसका फिर से यहाँ कुछ अुल्लेख करना होगा, क्यों कि जिस अहवाल के कार्यकाल में मद्रास सरकार की उस योजना से चरखा संघ का संबंध छूटा और वह भी कुछ कटुता पैदा कर के।

भारत की आजादी के प्रसंग में जब १९४६ में काँग्रेसी मंत्रिमंडल बने तब मद्रास राज्य में श्री. टी. प्रकाशम, मुख्य मंत्री थे। अुनका खादीकाम से परिचय था। पुराने जमाने में कुछ समय तक वे चरखा संघ की आंध्र शाखा के मंत्री भी रह चुके थे। अुन्होंने खुद हो कर मद्रास सूत्र के २७ फिरकों में १८ महीनों में खादी

द्वारा पूर्ण वस्त्रस्वावलंबन करने की योजना बनायी। २७ फिरकों की जनसंख्या करीब १० लाख थी। अतनी बड़ी योजना कामयाब होने की चरखा संघ को आशा नहीं थी; और एकबार बड़ी योजना ले कर असफल होने की दशा में खादी के कार्यक्रम को हानि पहुँचती। इस दशा में चरखा संघ ने उनको कुछ छोटी योजना सुधार कर बनाने को लिखा। उन्होंने अत काम के अपने मुख्य अधिकारी को चरखा संघ के दफ्तर में और गांधीजी के पास भी भेजा। इस सलाह मशविरे के फलस्वरूप सात फिरकों की वस्त्रस्वावलंबन की योजना बनायी गयी और मद्रास सरकार ने घोषणा की कि इसके बाद मद्रास राज्य में कपडे की नयी मिलें नहीं खडी करने दी जायेंगी और पुरानी मिलों का विस्तार नहीं हो सकेगा। खादी के लिये अतना अनुकूल वातावरण हो जाने पर सात फिरको की वस्त्रस्वावलंबन की योजना सफल होने की पूर्ण आशा बंधी और उसके बारे में अधिक शर्तें डालना जरूरी न देख कर चरखा संघ ने योजना सफल बनाने में पूरा सहयोग देना स्वीकार किया। चरखा संघ ने अपने खादी उत्पत्ति के छः बड़े केंद्र मद्रास सरकार को अपने कार्यकर्ताओं सहित सुपुर्द कर दिये। प्रांत की तीनों शाखाओं के मंत्री इस काम के लिये “आनररी रीजनल आफिसर्स” मुकर्रर किये गये। ज्यादा उत्पत्ति के उत्तम केंद्र सरकार को सौंपने का अुदेश्य यह था कि वहां कताबी बडे पैमाने पर चलती ही थी, लोगों को अुसका खुद अुपयोग करने की प्रेरणा देने से बहुत कुछ काम आसान हो जाता। आसपास में विशेष तादाद में कताबी चलते रहने के कारण जिन घरों में कताबी नहीं चलती थी वहाँ भी अुसे दाखिल करना आसान होता।

अपर लिखी मद्रास सरकार की मिल संबन्धी नीति का घोर विरोध हुआ। योजना शुरू होने के थोडे ही समय के बाद मंत्रि-मंडल बदला और श्री. ओ. पी. रामस्वामी रेड्डियार नये मुख्य मंत्री बने। अुनकी सरकारने श्री. प्रकाशम् की मिल संबन्धी नीति को पल्ट दिया। पर सात फिरकों की वस्त्र-स्वावलंबन की योजना कायम रखी। अुस दशा में भी चरखा संघ का सहयोग पूर्ववत चालू रहा। १९४७ के जुलाबी महीने में चरखा संघ ने मुख्य मंत्रीजी के सामने यह बात पेश की कि अगर बदली हुयी परिस्थिति में यह वस्त्र-स्वावलंबन की योजना सफल करना हो तो दो बातें करना अत्यंत आवश्यक है :—

(१) अप्रमाणित व्यापारी अुन कपेटों से सूत खरीद कर बाहर ले जाते हैं अिससे स्थानिक अिस्तेमाल के लिये सूत बच नहीं पाता। अुन व्यापारियों पर रोक लगानी चाहिये।

( २ ) अणु ढुषेत्रों में ढिल का कडडा नहीं ढहुँचने देना चाहिये ।

अगर ये शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं तो योजना सफल होने की आशा नहीं रखनी चाहिये और असे वंद करने का विचार करना चाहिये । प्रधान ढंत्रीजी ने योजना चालू रखना तड किया और दोनों शर्तें अडल में लाने का आश्वासन दिया । अडके बाद अप्रढाणित व्याढारियों ढर रोक लगाने का कानून बना, ढर अडका अडल करने में बारह ढहीने से अधिक देरी यह कह कर हुअी कि ढुराने चलते अप्रढाणित व्याढार का ढाल खढाने को अणु व्याढारियों को सडड ढिलना चाहिये, हालां कि ढाल खढाने ढर तो कोअी रोक थी ही नहीं । ढश्र तो अणु ढुषेत्रों में नया सूत खरीदने ढर रोक लगाने का ही था । दूसरी शर्त याने ढिल का कडडा अणु ढुषेत्रों में न आने देने के बारे में अडल होने के कोअी चिन्ह नहीं दीखे । दरढियान में श्री. ढरढस्वामी रेड्डियार की जगह श्री. कुढारस्वामी राजा ढधान ढंत्री बने, अर्थात् नया ढंत्रिढंडल बना । चरखा संघ ने ढिर से अणुके सामने वही बात रखी । बहुत देर के बाद अड ढंत्रिढंडल ने तड किया कि वह शर्त किसी रूप में ढूरी नहीं की जा सकती । तड ढूल योजना सफल होने की आशा न देख कर चरखा संघ अड से हट गया और सरकार को कहा कि जड वल्ल स्वावलंबन की योजना नहीं रह जाती है तो वल्ल-स्वावलंबन योजना के लिये दिये गये केंद्र चरखा संघ को वाढिस दे दिये जायें । कानून और न्यायनीति से केंद्र वाढिस करना अणुका कर्तव्य होते हुअे ढी अणुहोंने वैसा करने से अिन्कार कर दिया और अब वे केंद्र व्याढारिक खादी अुत्पत्ति के तौर ढर सरकार ही चला रही है ।

चरखा संघ ने अड योजना से अपना संबंध तोडा तड वह काम ढद्रास सरकार के ढंत्री श्री. ढरढेश्वरन् के सुढुर्द था । वैसा दिखाअी ढडा कि अणुहें खादी-काम का ज्ञान कम था । जड धारा सढा में अणुसे अिस योजना के बारे में अनेक ढश्र किये गये तड अणुहोंने अेक विधान यह किया कि खुद चरखा संघ ही ढिल का कडडा अणु ढुषेत्रों में न आवे अिस ढर दृढ नहीं था । अणुका यह बयान त्रिलकुल गलत था । चरखा संघ ने ढद्रास सरकार से जो संबंध छोडा वह अेक ढकार से ढ्रेढ के साथ ही छोडा था । अडने अपना कोअी बयान शायद नहीं किया, न अडकी अिन्धा अिस विषय में जाहिर में बोलने की थी । ढर जड ढंत्री ढहोदय चरखा संघ के खिलारु वोले तड चरखा संघ को हरिजन ढत्रों में अेक लेख ढकाशित कर के अपनी स्थिति साफ करनी ढडी । अड लेख में ढद्रास सरकार के लिखितों का ही अुढयोग किया गया था । वास्तव में ढंत्री ढहोदय को अपना गलत बयान दुसल कर लेना चाहिये था । ढर सरकार की ओर से अडके जवाब में अेक ढ्रेसनोट ढकाशित किया गया जिसमें ढुख्य ढश्र का तो कोअी अुत्तर नहीं था ढर चरखा संघ का योजना चलाने में जो सहयोग था अडमें कअी त्रुटियाँ ब्रतायी गयीं और चरखा संघ को दोष

दिया गया। उसका भी अन्तर चरखा संघ ने सरकारी लिखितों के शुद्धरण दे कर दिया। जो पाठक वह पढ़ना चाहें उन्हें उसकी नकल चरखा संघ के दफ्तर से मिल सकेंगी। नकलें अंग्रेजी में हैं। यहाँ जिस विषय का अितना विस्तार करने का एक कारण यह भी है कि वह सारा अध्याय समाप्त होने पर भी श्री. परमेश्वरन् ने १९५२ के मार्च महीने में भी कुछ पहले जैसी ही बातें कही हैं। अितना लिख देना जरूरी है कि वह योजना चलाने में चरखा संघ ने अपने दूसरे कामों में कठिनायी सहन कर के भी अपने अनुभवी कार्यकर्ता, जिनका कि वेतन-मान चरखा संघ के सिद्धांत के अनुसार काफी कम है, उस काम में दिये ताकि वह योजना कम से कम खर्च में चल सके।

अितने पर भी मद्रास सरकार अपनी त्रुटि कबूल करने के बदले चरखा संघ को ही दोष देने पर अतुरी। “King can do no wrong” की तरह शायद सत्ताधारी भी कभी गलती करते ही नहीं!

**लाइसेन्स**—अिसके आगे की भी कथा कुछ दिलचस्प है। उसका अुल्लेख कर देना अुचित होगा, ताकि सरकारों का और चरखा संघ के संबंध का चित्र जनता के सामने रहे। अूपर लिखे अनुसार मद्रास सरकार ने अप्रमाणित व्यापारियों पर रोक लगाने का कानून बनाया था; अुसमें अर्थात् यह बात आयी कि “लाइसेन्स” लिये त्रिना खादी का व्यवसाय न किया जाय। लाइसेन्स देने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिया गया। चरखा संघ को लाइसेन्स लेने से मुक्त रखा गया। अुस कानून के अनुसार आंध्र में करीब २०० व्यक्तियों को खादी काम के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं। तामिलनाडु में चरखा संघ का अुस योजना से संबंध रहा तत्र तक किसी को लाइसेन्स नहीं दिया गया। चरखा संघ का संबंध टूटने के बाद अत्र वहां भी लाइसेन्स देना शुरू हुआ है। अिधर भारत सरकार ने अूनी और रेशमी तथा अिनके मिश्रण से त्रनी खादी का भी खादी की व्याख्या में समावेश करके अुसकी व्याख्या पूर्ण की और त्रिना प्रमाणपत्र के खादी के नाम पर कोअी व्यापार न कर सके अिसलिये कानून का अेक मसविदा बना कर राज्य सरकारों के पास भेजा है। त्रिहार राज्य सरकार ने वैसा कुछ कानून बना भी लिया है। अत्र दूसरी सरकारें कानून बनाने के बारे में सोच रही हैं। अिधर मद्रास सरकार ने जो अूपर लिखा कानून बनाया था अुस पर से खादी के अेक अप्रमाणित व्यापारी ने हाय-कोर्ट में मुकदमा किया। न्यायाधीशों ने निर्णय किया कि अपनी मर्जी पर लाइसेन्स देने से अिन्कार करने का सरकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं है और चरखा संघ को लाइसेन्स लेने से मुक्त रखने में भेदभाव होता है, अिसलिये वह नियम रद्द है। खादीप्रेमी अच्छी

तरह जानते हैं की खादी का प्रमाणपत्र खादी का प्रत्येक थान जांच कर के दिया नहीं जा सकता। वह तो अणु भरोसे के व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है जिनका निःस्वार्थ भाव का खादी-प्रेम पुराने परिचय से साबित हो चुका है, ताकि वे पूरा ख्याल रख कर शुद्ध खादी ही करवा लेंगे। सरकार के पास वैसा कोथी जरिया नहीं है जिससे वे खादी की शुद्धता सुरक्षित रख सकें। अब कानून के मुताबिक जो कोथी लाइसेन्स लेना चाहेगा उसको अिन्कार नहीं किया जा सकता, चाहे लाइसेन्स के नियम कुछ भी हों। नियमों का ठीक अमल करना सरकारी कर्मचारियों की शक्ति के बाहर है। इस दशा में खादी की शुद्धता को संरक्षण न मिल कर सरकारी लाइसेन्स के भरोसे अशुद्ध खादी का व्यापार खुले आम चल सकता है। इस समस्या का विचार करने के लिये सेवापुरी में ता. १५-४-५२ को प्रमाणित खादी-संस्थाओं के संचालकों की अेक सभा हुआ थी। उसमें नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया गया है, और चरखा संघ भी उसे पसंद करता है:-

**सेवापुरी-प्रस्ताव-** भारत सरकार ने खादी की व्याख्या दुरुस्त करने का कानून सन १९५० में बना कर खादी के नाम पर किया जानेवाला व्यापार नियंत्रित करने की दृष्टि से हरेक राज्य सरकार को उसकी ओर से पास करने के लिये अेक कानून का मसविदा भेजा है। उसके अनुसार राज्य सरकारें अपने अधिकारियों द्वारा खादी-व्यापारियों को कुछ शर्तों पर लाइसेन्स दे सकेंगी।

सन १९४६ में काँग्रेसी राज्यसत्ता स्थापित होनेपर सरकारें खादी के बारे में क्या करें इसके संबंध की सूचनाओं चरखा संघ के ट्रस्टी मंडल ने गांधीजी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास कर के राज्य सरकारों को भेजी थीं। उनमें यह भी अेक सूचना थी कि बिना चरखा संघ के प्रमाणपत्र के खादी के नाम पर कपडे का व्यापार न चलने दिया जाय। उस समय राज्य सरकारों ने इस विषय में कुछ भी नहीं किया। अब १९५२ में भारत सरकार की सूचना परसे अूपर लिखे अनुसार कानून बनाने का कहीं कहीं राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। मद्रास सरकार ने करीब ३ वर्षों से लाइसेन्स देने का कानून बना रखा है; और उस पर अमल भी हो रहा है। उस कानून की अेक धारा यह है कि किसी को लाइसेन्स देना या न देना सरकारी कर्मचारी की मर्जी पर अवलंबित है तथा चरखा संघ को लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं है। मद्रास हायकोर्ट में मुकदमा हो कर न्यायाधीशों ने अिन धाराओं को भारत के संविधान के खिलाफ समझ कर रद्द माना है। इस मुकदमे में खादी संबंधी तारे पहलू न्यायाधीशों के सामने थे अैसा नहीं दीखता। चरखा संघ को भी उसमें शामिल नहीं किया गया था।



खादी प्रेमियों की राय है कि खादी के बारे में नीचे लिखी बातें होना आवश्यक है:—

१) हाथ-कते सूत में मिल-सूत का मिश्रण विलंकुल न हो।

२) खादी बनाने की सब प्रक्रियाओं में चरखा संघ के निर्णय के मुताबिक जीवन-निर्वाह-मजदूरी के सिद्धांत पर जो दर मुकर्रर हुये हैं उनसे कम मजदूरी न दी जाय।

३) खादी के व्यवहार में मुनाफाखोरी न हो तथा खादी का व्यवहार केवल परोपकारी सार्वजनिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं अथवा ट्रस्टों के ही हाथ में हो ताकि खादी का व्यवहार व्यक्तिगत स्वार्थ से परे रहे।

४) व्यावसायिक खादी का काम चलाने की पद्धति वस्त्रस्वावलंबन के आडे न आवे बल्कि उसकी समर्थक हो।

अभी जो चरखा संघ के प्रमाणपत्र के नियम बने हैं वे धिन बातों को साधने की दृष्टि से बने हैं।

हमारी राय में अगर सरकार अपने खादी के कानून में लायिसेन्स की शर्तों में इन बातों को ला सके अर्थात् चरखा संघ के प्रमाण-पत्र के नियम अपना सके तो ही राज्य सरकारें खादी संबंधी कानून बनावें। इसके अलावा खादी की शुद्धता के बारे में सरकार के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि जिसके द्वारा सरकारें शुद्धता कायम रख सकें। हरेक कपडे के थान की जांच नहीं हो सकती। जिनका खादी पर पूरा विश्वास है और जिनकी ओमानदारी पर भरोसा किया जा सकता है उनके द्वारा खादी-काम होने पर ही शुद्धता की रक्षा हो सकती है। ऐसा साधन चरखा संघ के ही पास है। इसलिये उपस्थित सब भाधियों की अेक राय से निर्णय हुआ कि अगर सरकारें लायिसेन्स का कानून बनावें तो उसमें यह बात जरूर रहे कि जिसको चरखा संघ का प्रमाणपत्र प्राप्त है उसी को लायिसेन्स दिया जाय और जिसका जिस समय तक संघ का प्रमाणपत्र चालू रहता है उस समय तक ही लायिसेन्स चालू रहे। अगर ऐसा कानून नहीं बन सकता है तो खादी-संरक्षण के लिये लायिसेन्स देने का कानून बनाया ही न जाय और अगर कहीं बन गया है तो वह रद्द कर दिया जाय या उसका अमल स्थगित कर दिया जाय।

धिधर मद्रास सरकार ने चरखा संघ को लायिसेन्स लेने के बारे में पूछा है। अब चरखा संघ के सामने प्रश्न यह है कि जो लायिसेन्स की पद्धति सरकार द्वारा

चलायी गयी है अतः में संघ भी शामिल हो या न हो। यह बात तो स्पष्ट है कि जिस पद्धति में खादी की शुद्धता को कोभी संरक्षण नहीं मिलता है। अकेले तरह से खादी की शुद्धता का नाश ही होता है। क्या चरखा संघ लाधितेन्त ले कर अतुसमें भी सहयोग दे ?

## भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना

भारत सरकार की ओर से यह योजना अत्र शीघ्र ही अतुसके अन्तिम स्वरूप में जाहिर होगी। योजना का पहला मसविदा करीब सालभर पहले प्रकट हुआ था। अतुस के बाद अत्र करीब साल भर बीतने आया है और अतुस दरमियान पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी योजना तय करने के बारे में समय समय पर विचारणा होती रही है। योजना समिति के कुछ सदस्यों, चरखा संघ के ट्रस्टी मंडल के सदस्यों तथा श्री. विनोबाजी और श्री किशोरलाल मश्रूवाला में अतुस बारे में अनौपचारिक रूप से चर्चाओं अतुस वर्ष होती रहीं। फलस्वरूप चरखा संघ ने खादी योजना का स्वरूप क्या होना चाहिये और अतुसे कार्यान्वित करने के लिये क्या किया जाना चाहिये अतुस सम्बन्धी कुछ मोटी बातें सोची हैं। हमें पता नहीं है कि अतुस बारे में योजना समिति आखिरी निर्णय क्या करेगी और अतुस निर्णय पर सरकार किस तरह से अमल करेगी; फिर भी अगर योजना समिति कोभी खादी योजना बनाये और अतुसका अमल किया जाय तो मौजूदा खादी काम पर अतुसका बहुत असर पडना संभव है। अतुसलिये चरखा संघ की सोची हुअी बातें थोडे़ में यहाँ देना अतुचित होगा।

दरअसल चरखा संघ ने स्वराज्य मिलने की हालत में देश में खादी काम की नीति क्या हो अतुस सम्बन्धी कुछ मूलभूत बातें गांधीजी के मार्गदर्शन में अतुसी वक्त तय कर ली थीं, जब कि स्वराज्य बहुत सन्निकट दीख रहा था। खुद गांधीजी के बनाये मसविदे के अनुसार १९४६ के अक्टूबर मास की ९ तारीख की देहली की ट्रस्टी-मंडल की सभा में चरखा संघ ने अकेले मूलगामी प्रस्ताव पास किया था, जिसमें अतुन बातों को स्पष्ट किया गया था। वह प्रस्ताव देश की सभी सरकारों को भेज दिया गया था। अतुस प्रस्ताव का महत्त्व और दुनियादी दृष्टिकोण समझने लायक होने से वह नीचे दिया जा रहा है :

“ १. अखिल भारत चरखा संघ को अपने अनुभव से विश्वास है कि हिन्दुस्तान में तथा दुनिया के अन्य मुल्कों में, जैसे कि मलाया आदि में, अमी जो कपडे़ की कमी है, वैसी दशा कहीं भी न हो, अैसी स्थिति बनाने का साधन चरखा और हाथ-करघा है। अकेले हिन्दुस्तान ही अैसा मुल्क है कि जहाँ पुराने जनाने से हाथ-करघा

और हाथ-धुनायी से खादी बनती आयी है और आज कपडे की मिलों की बहुतायत में भी अखिल भारत चरखा संघ की मार्फत शुद्ध खादी पैदा हो रही है। चरखा संघ के करीब २० साल के कार्यकाल में लगभग सात करोड रुपया देश की गरीब कस्बियों और बुनकारों में बांटा गया है।

२. जो सरकारें ग्रामोद्योग की आर्थिक रचना को महत्त्व देकर खादीकाम करना चाहती हैं, उन्हें नीचे लिखी बातों की व्यवस्था करना निहायत जरूरी है :

(अ) पांच वर्ष की योजना बना कर राज्यभर की सब प्राथमिक तथा मिडिल तक की पाठशालाओं में और नॉर्मल स्कूलों में कतायी सिखायी जाय व अेक महत्त्व की प्रवृत्ति के तौर पर चलायी जाय और हरअेक पाठशाला के साथ हाथ-सूत बुनने का कम से कम अेक करघा जरूर चले। शालाओं में बुनियादी तालीम जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक पैमाने पर शुरू करनी चाहिये।

(आ) बहुधंधी (मल्टीपरपज) सहकारी समितियाँ स्थापित करके अुनके द्वारा ग्राम-सुधार के अंगभूत खादी-काम करना चाहिये।

(अि) जहाँ अमी कपास की खेती नहीं होती है, वहाँ कपास पैदा होने की व्यवस्था हो तथा अैसा प्रबन्ध हो कि कातनेवालों को सूयी, कपास तथा सरंजाम सुविधा से मिल सके।

(अी) खादी विशारद तैयार करने चाहिये। खादी के बारे में संशोधन का काम करना चाहिये।

(अु) ग्रामोत्थान के काम में कतायी का किसी प्रकार संबंध आवेगा ही, अिसलिये सरकार के सहकारी (कोऑपरेटिव्ह) विभाग, शिक्षा-विभाग, कृषिविभाग तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, ग्राम पंचायत आदि के सब कर्मचारियों को खादी-प्रवेश परीक्षा पास कर लेनी चाहिये और यह परीक्षा पास किये बिना किसी को अिन विभागों में नये सिरे से नौकरी में नहीं लेना चाहिये।

(अू) अमी मिल के सूत से हाथ-करघे पर बने कपडे के मूल्य पर नियंत्रण नहीं है, वह होना चाहिये।

(अे) अप्रमाणित खादी का व्यापार खादी के नाम पर नहीं करने देना चाहिये।

(अै) सरकारी टेक्स्टाइल विभाग में तथा बुनायी शालाओं में केवल हाथ-सूत को स्थान रहे। जेलों में हाथ-कतायी व हाथ-सूत की बुनायी चलनी चाहिये।

३) प्रान्तीय सरकारों तथा देशी रियासतों से प्रार्थना की जाती है कि वे अन्य बातों के साथ अपूर लखी बातें करके खादी व्यापक बनाने की कोशिश करें। इस काम को अंजाम देने के लिये चरखा संघ और अुसकी शाखाओं भरसक मदद करने को तैयार हैं।

४) चरखा संघ से मशविरा हो कर सरकार और मिलों द्वारा ऐसा प्रवन्ध हो कि जिस प्रदेश में हाथ-कताभी-हाथ-बुनाभी से कपडे की जरूरत पूरी हो सके, वहाँ मिल का कपडा व सूत न भेजा जाय। इसके अलावा नयी मिलें न बनायी जायें तथा पुरानी मिलों में कताभी-बुनाभी के नये सांचें न लाये जाय। मिलों का कारोबार सरकार और चरखा संघ की सलाह के मुताबिक चलाया जाय। देश में किसी प्रकार का परदेशी सूत और कपडा कताभी न आने पावे।

इस काम में सरकार जरूरी कानून पास करे और अुस पर अमल करे।

मिल-मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस करोड़ों के काम में मदद करें और प्रजा का साथ दें।”

लेकिन यह दृष्टिकोण हमारी स्वराज्य-सरकार को मंजूर नहीं हुआ। सरकार यह तो कहती रही कि देश में चरखा चलना चाहिये। लेकिन देश में कपडे की अिफरात होनी चाहिये, लोगों को कपडा मुहैया करने की जिम्मेवारी सरकार दाल नहीं सकती। इस विचारधारा को लेकर मिलों पर या मिल कपडे पर पाबंदी लगा देने वाली कोअी भी बात करने को सरकार तैयार नहीं हुआ। अितना ही नहीं परदेशी कपडे की आयात भी सरकार ने होने दी। चरखा संघ मानता है कि इस नीति के अनुसार चरखे का असली लाभ देश को नहीं मिल सकेगा और चरखे का काम देश में ज्यादा फैल भी नहीं सकेगा। अेक ओर से देहातों में चरखे को जरिये मदद पहुंचाना और दूसरी ओर से मिल का सस्ता कपडा देहातों में भेज कर चरखे को मारना और देहात की संपत्ति शहरों में घसीट ले जाना अैसी दोतरफा नीति से देश की शक्ति और संपत्ति का ह्रास होगा। इसलिये चरखा संघ की पुनः पुनः यही मांग रही कि देश में परदेशी कपडा या सूत बिलकुल नहीं लाना चाहिये और मिलों पर क्रमशः पाबंदियां लगा कर चरखे का काम बढ़ने देने में अधिक से अधिक मदद पहुंचे अैसी नीति सरकार को अख्तियार करनी चाहिये। इस तरह सरकार की नीति और चरखा संघ की दृष्टि में बुनियादी अंतर अब तक रहते आया है। पंचवर्षीय योजना के बारे में भी अैसा ही कुछ विचारों का अंतर नियोजन-समिति और चरखा संघ के बीच में रहा है। फिर भी सरकार अपनी है इस ख्याल से चरखा संघ लगातार यह विचार करता रहा

है कि जहां तक हो सके सरकार को खादी काम में चरखा संघ की मदद रहे। जिस दृष्टि से चरखा संघ सोच रहा है कि अकेले से मिलों का आधार छोड़ने की बात लोगों को समझाने के लिये मिल-वस्तु-वहिकार का आन्दोलन देश में चलाया जाय और खादी के हक में मिलों पर पाबंदी लगाने के लिये सरकार की शक्ति बढ़े ऐसा अनुकूल वायुमंडल पैदा किया जाय। दूसरी ओर से सरकार जो पंचवर्षीय योजना बना रही है उसमें खादी के कदम किसी तरह पीछे न पड़े जिसकी सावधानी रखते हुये संघ का अधिक से अधिक सहयोग सरकार को दिया जाय। जिस विचार को लेकर चरखा संघ ने अग्र लिखे देहली के प्रस्ताव की नीति आवश्यक है असा मानते हुये भी शर्त के रूप में उसका आग्रह फिलहाल न रखना ही ठीक समझा है। और जिस वर्ष अग्र लिखे अनुसार जो विचार विनिमय हुआ उस पर से पंचवर्षीय योजना समिति के सदस्यों के सामने अपने कुछ नये सुझावों को रखा है जिन्हें चरखा संघ खादी योजना के आरंभ की प्राथमिक आवश्यकता मानता है। ये सुझाव नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(१) ग्रामों में जो कच्चा माल उपलब्ध है उसका पक्का माल, जिसकी गाँव में जरूरत है, गाँव में ही बनाया जाय। जिस दृष्टि से गाँव का कपड़ा, जो गाँव की अन्न के बाद की मुख्य आवश्यकता है, गाँव में चरखे के जरिये पूरा करना चाहिये ऐसी स्टेट पॉलिसी सरकार जाहिर करे। और उसके लिये जैसे सब लोगों को साक्षर बनाना सरकार अपना कर्तव्य समझती है वैसे सब लोगों को चरखा सिखाना सरकार अपना कर्तव्य समझे।

(२) खादी के लिबास को ही देश की सभ्य पोशाक के तौर पर मान्य करके सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को, कम से कम जब वे काम पर रहेंगे, खादी ही पहनना लाजिमी किया जाय।

(३) सरकार अपने सभी विभागों में खादी का ही कपड़ा अस्तेमाल करे। फौज और सिपाही की पोशाक के लिये फिलहाल अपवाद हो सकता है।

(४) सरकार यह आश्वासन दे कि जो कताही करना चाहेगा उसके सूत की खपत कर देने की जिम्मेवारी सरकार लेगी, बशर्ते कि कताने वाले खुद भी अपने अस्तेमाल में क्रमशः खादी का ही कपड़ा अस्तेमाल करेंगे।

(५) सभी प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में कताही का विषय और उसकी परीक्षा अनिवार्य की जाय।

(६) हरअकेले गाँव को अधिकार दिया जाय कि वह यानी गाँव की ग्राम-पंचायत चाहे तो अपने गाँव के अद्योगों के संरक्षण के लिये बाहर से आनेवाला

कपडा, तेल, शक्कर आदि किसी भी सामान पर सेस (cess) लगा कर अुसका विनियोग अुन अुद्योगों के संरक्षण के लिये कर सके या अुन चीजों पर रोक लगा सके।

(७) मिल-कपडे पर सेस बढाने में विलंब न किया जाय। प्रॅनिंग कमिशन के मसविदे में लिखा गया है कि पहले अन्य मागों को आजमाने के बाद ही जरूरत पडे तो सेस लगाया जाय; लेकिन हमारी राय में अैसा न करते हुअे अभी से मिल कपडे पर सेस बढा कर अुसकी आमदनी में से खादी काम बढाने के लिये योजना की जाय।

(८) अिस तरह के सेस में से केवल सवसीडी दे कर खादी का कपडा मिल कपडे के भाव से बेचने का विचार न किया जाय, लेकिन चरखा संघ की योजनाओं के अनुसार खादी के बढावे की अन्य योजनाओं पर जोर दिया जाय। अैसी जो योजनाओं वनेंगी वह और सरकार हाथ-कता सुत खरीदेगी वह योजना भी चरखा संघ के दरों के अनुसार, नीति के अनुसार, और संघ के माध्यम से चलायी जाय।

(९) सेस की आमद में से गांवों में खास खादी-सेवक वेतन देकर बैठाये जायें, जो कि खुद कपास से ले कर कपडे तक पूरी प्रक्रियायें जानते हों और अुस काम का प्रचार और शिक्षा दे सकते हों।

(१०) अैसे खादी-सेवक, पाठशाला के खादी-शिक्षक तथा दूसरे ग्राम-योजना में लगाये जानेवाले कार्यकर्ता चरखा संघ की खादी-परीक्षा पास हों या 'सेवा-प्रवेश' पास हों तो अुन्हें प्राथमिकता दी जाय।

(११) चरखा संघ अगर अिस काम में शामिल होता है तो अुसे काम करने में स्वतंत्रता रहनी चाहिये व सरकारी विभागों के रुटिन के कारण जो रुकावटें आती हैं या तकलीफें खडी होती हैं वैसी नहीं होनी चाहिये अैसा कुल प्रबन्ध सोचा जाय।

अिन कलमों में मिल-कपडे पर सेस बढाने की कलम चरखा संघ ने बहुत ही आवश्यक मानी है; क्यों कि प्रत्यक्ष पाबंदियों नहीं तो भी धीरे धीरे लोगों को मिल-कपडे से परावृत्त कर के खादी की ओर ले जाने की नीति का स्वीकार अुसमें अन्तर्भूत है। अगर अभी सरकार खादी के लिये अितना भी कर सके तो यह आशा रखी जा सकती है कि मौका पा कर खादी के लिये वह और भी सुविधाओं कर सकेगी।

अिसके अनुसार सरकार व चरखा संघ दोनों की शक्ति लगा कर खादी-काम किया जाय तो पांच साल में वह किन किन दिशाओं में करना चाहिये, किन लक्ष्यों को ले कर करना चाहिये और कितना काम हो सकेगा अुसका मोटा अंदाज चरखा

संघ ने किया है। उस अंदाज की जानकारी भी खादी-प्रेमी जनता व खादी-काम करने वाले कार्यकर्ता जानने की विच्छा रखेंगे ऐसा मान कर थोड़े में यहाँ दी जाती है।

खादी काम के कभी-पहलू हैं। जैसे कि बेकारी निवारण, फुरसत के समय का अपयोग, सहायक अद्योग, वस्त्र-पूर्ति, ग्राम-स्वावलंबन और अकाल या युद्ध जैसी आकस्मिक हालत में संकट निवारण। इनमें ग्रामस्वावलंबन के पहलू को चरखा संघ ने स्वराज्य मिल जाने के बाद का खादी का प्रमुख हेतु माना है। दूसरे पहलू ग्राम-स्वावलंबन में अंतर्भूत हो ही जाते हैं। सरकारी पंचवर्षीय योजना हमारे देश के पुनरुत्थान के लिये बन रही है। गाँवों को ऊपर अठा कर ही देश की हालत सुधर सकती है। अहिंसक तरीके से और शोषण के बिना गाँवों का विकास साधना हो तो जीवन की प्राथमिक जरूरतों के लिये उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। इस हेतु को नजर में रख कर गाँव अपनी निजी जनशक्ति के भरोसे कपड़े के लिये आत्मनिर्भर एवं स्वयंपूर्ण बनें यही पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य लक्ष्य होना चाहिये। सरकारों को भी खादी काम में इसी मूल हेतु को प्राधान्य देना चाहिये। यह प्राधान्य देते हुअे खादी योजना के अंतर्गत विविध दिशाओं में खादी काम चलाया जाना चाहिये। चरखा संघ ने सोचा है कि निम्न लिखित दिशाओं में यह काम चले:-

१. वस्त्र-स्वावलंबन-इस में अपने ही गाँव में कपास उपजाने से ले कर कपड़े की बुनायी तक की सारी प्रक्रियाओं समाविष्ट समझनी चाहिये। बालक से ले कर बूढ़े तक हर कोयी कतायी करे व दूसरी प्रक्रियाओं जो कातनेवाला स्वयं न करे वह गाँव में ही हों। इसके के लिये मिल-वस्त्र का बहिष्कार करने की आवश्यकता लोगों को समझाना और अपना कपडा बना लेने की कला लोगों को सिखाना।

२. खादी की बिक्री और अुत्पत्ति-कोयी भी गरजमंद व्यक्ति अगर रोनी के लिये सूत कतायी का या खादी पैदा करने का काम करना चाहे तो अुससे वह खरीद कर बेचने का प्रवन्ध। इस में जीवन-वैतन, प्रादेशिक स्वयंपूर्णता, सहकारी पद्धति का अवलंबन, व्यक्तिगत स्वार्थ या मुनाफाखोरी न करना और कारीगर खुद खादी पहने अिन सिद्धान्तों का आग्रह रखा जायगा।

३. कतायी शिक्षा-पाठशालाओं में कतायी दाखिल करवाना, प्रौढों को कतायी सिखलाने के लिये शिबिर या घूमते वर्ग की आयोजना और परिश्रमालयों का संचालन।

४. खादी कार्यकर्ता तैयार करना—असके लिये खादी विद्यालय चला कर निश्चित परीक्षाओं जारी करना ।

५. खादी सरंजाम—खुद के लिये जरूरी सरंजाम संभव हो अतना हर देहात में बने ऐसी शिक्षा देना व जो सामान किसी केन्द्रित जगह बनाना लाजिमी हो वह वैसी जगहों पर बनवा कर मुहैया करना ।

६. संशोधन (रिसर्च)—प्रयोगशालाओं का संचालन, खादी सरंजाम में सुधार, खादी के अनुकूल कपास की जातियों का संशोधन और खादी की विविध प्रक्रियाओं की शास्त्रीय तुलना करना ।

७. खादी साहित्य—खादी की सैद्धान्तिक दृष्टि, योजना संबंधी व्यावहारिक जानकारी व खादीशास्त्र संबंधी साहित्य निर्माण करना तथा अुसका प्रचार करना ।

अब तक जो खादी-काम होता रहा अुसकी प्रगति का नाप सामान्यतः कारीगरों को साल भर में कितने रुपये मजदूरी के रूप में दँटे गये या कितने वर्गगज खादी पैदा हुथी या कितने रुपये की खादी त्रिकी अुस पर निकालने की परिपाटी चल्ती आयी है । लेकिन पंचवर्षीय खादी योजना के जरिये देश में जो मौलिक शक्ति पैदा करने की तैयारी करनी है अुन मूल्याँ की दृष्टि से अुपर लिखे आंकडों के अलावा मुख्य कसौटी यह रखनी होगी कि देश में कताथी के जानकारों की संख्या कितनी बढी और कितने देहातों में चरखे ने प्रवेश किया । मुमकिन है कि मिल का कपडा मौजूद होने के कारण कताथी की जानकारी रहते हुये भी खादी की प्रत्यक्ष अुत्पत्ति तुलनात्मक दृष्टि से योजना काल में कम हो । लेकिन युद्ध आदि के कारण मौका आवे तो, या लोग खादी का महत्त्व समझने लगे तो प्रत्यक्ष अुत्पादन के कथी गुना ज्यादा खादी पैदा कर सकने की शक्ति देश में आ जानी चाहिये । अभी जो खादी-काम देश में चल रहा है वह बहुत अल्प है । बडे पैमाने पर खादी योजना के लिये यह जरूरी होगा कि अेक साल प्रारंभिक तैयारी का रहे । अुस तैयारी के बाद पाँच साल खादी योजना चलाथी जाय तो नीचे लिखे परिणामों की आशा रखी जायः—

(१) पाँच वर्ष के अन्त में देश में कताथी के जानकारों की संख्या कम से कम ७५ लाख की हो ।

(२) कितने वालों की यह संख्या अगर पूरा वक्त कताथी करे तो सालभर में १५० करोड वर्गगज खादी अुत्पादन करने की शक्ति रखेगी । सिर्फ अेक घंटा रोज का औसत काम करे तो भी २० करोड वर्गगज खादी साल भर में पैदा होगी ।



(३) योजना के अन्त तक १ लाख देहातों में चरखे का प्रवेश हुआ होगा।

(४) ४५००० पाठशालाओं में चरखे की शिक्षा शुरू हो सकेगी।

(५) ७००० खादी-सेवक देहातों में फैले होंगे जिनका मुख्य काम खादी का विचार-प्रचार और खादी की शिक्षा लोगों को देने का रहेगा। साथ ही वे ग्रामोद्योग की विचारधारा का प्रचार भी करेंगे।

(६) प्रत्यक्ष खादी-उत्पादन और विक्री के काम में योजना के वर्ष में अप्र लिखे प्रसारकों के अलावा पचास से साठ हजार कार्यकर्ता लगे होंगे।

(७) योजना की तैयारी के बाद पहले वर्ष में पांच करोड़ रुपये की और क्रमशः हर साल पांच करोड़ रुपये की वृद्धि होते हुए योजना के आखिरी साल में २५ करोड़ रुपये की खादी पैदा होगी।

(८) योजना के प्रथम वर्ष में सरकारी कर्मचारियों में एक करोड़ रुपये की खादी विक्री चाहिये। यह आंकड़ा योजना के आखिरी साल में चार से पांच करोड़ रुपयों तक पहुँचना चाहिये।

(९) सरकारी विभागों में पहले साल एक करोड़ रुपये की खादी का अिस्तेमाल होगा आर आगे चल कर पौने दो करोड़ का।

(१०) खादी बनाने वाले कारीगरों में खादी के कुछ उत्पादन की कम से कम  $\frac{1}{2}$  और ज्यादा से ज्यादा  $\frac{3}{4}$  खादी खपेगी। नयी नयी जगहों में काम खडा होगा वहां यह अनुपात पहले थोडा कम रख कर धीरे धीरे बढ़ाना होगा। अंदाजा यह है कि पहले साल करीब ६२ लाख रुपये की और पांचवें साल ४ से ५ करोड़ रुपये की खादी कारीगरों में विक्रेगी।

(११) इस तरह योजना की तैयारी के बाद पहले वर्ष में आम जनता में करीब ढाही करोड़ रुपयों की खादी बेचनी पड़ेगी और आखिरी वर्ष में १२  $\frac{3}{4}$  करोड़ की।

(१२) वर्गजों में ५ करोड़ रुपये की करीब ३ करोड़ वर्ग गज खादी बनेगी। इस में अूनी और रेशमी खादी भी शामिल है। इसमें दो सूती और बटे हुए सूत की कुछ विशेष मजबूत खादी भी होगी। करीब १५ से १६ करोड़ गुंडियां इसके लिये कातना जरूरी होगा, यानी रोजाना औसत ४ से ५ लाख गुंडी की कतायी और बुनायी का अितजाम हमें करना होगा।

(१३) तैयारी के बादके पहले वर्ष में १० से १२ प्रतिशत सूत पाठशालाओं में और स्वावलंबी कातनेवालों की मार्फत कतेगा असा मान कर बाकी सूत कातने में पूरे वक्त के करीब डेढ़ लाख कातनेवालों को या पूरक धंधे के रूप में करीब ४ लाख कातने वालों को और बुनाभी में करीब ५० हजार व्यक्तियों को काम मिल सकेगा यानी पांचवें साल के अन्त में करीब २५ लाख व्यक्तियों को पूरक और पूर्ण धंधे के रूप में कताभी व बुनाभी के जरिये काम मिल सकेगा ।

(१४) क्पमतापूर्वक काम करनेवाले कारीगरों की कताभी में फी घंटा डेढ़ आना और बुनाभी में औसत फी घंटा तीन आने मजदूरी पडे जैसे दर रहने चाहिये । अनुभव यह है कि अधिकतर कारीगर कुशल काम के मुकरर दर के ३/४ जितनी ही प्राप्ति कर सकते हैं ।

(१५) शुरू में पूँजी ३ करोड रुपये और पांचवें साल १५ करोड रुपये की मानी गयी है । आज गैर-सरकारी पूँजी से जो खादी-काम चल रहा है अुसी में अेक करोड रुपये पूँजी की सहूलियत करने से खादी-काम दुगुना बढ़ सकता है ।

(१६) सत्रसिडी के तौर पर तैयारी के बाद पहले वर्ष में अेक करोड रुपये और पांचवें वर्ष में ५ करोड रुपये खर्च की जरूरत रहेगी । शिक्षण, प्रचार और तैयारी के लिये क्रमशः दूसरा डेढ़ करोड और ८ १/२ करोड खर्च होगा यानी कुल मिलाकर तैयारी के बाद के पहले वर्ष में करीब ढाभी करोड और पांचवें साल में साठे-तेरह करोड रुपया खर्च होगा ।

(१७) खादी की बिक्री-कीमत कृत्रिम रूप से मिल कपडे की बराबरी में नहीं रखी जायगी । लेकिन रुभी के दाम तथा कताभी बुनाभी के पूरे दाम लगा कर खादी बेची जायगी । अुत्पत्ति और बिक्री में लगानेवाला पूरा व्यवस्था-खर्च सत्रसिडी के रूप में करना होगा यानी खादी पर वह खर्च नहीं चढ़ाया जावेगा ।

(१८) सत्रसिडी का तथा दूसरा सारा खर्च मिल कपडे पर सेस लगा कर अुससे प्राप्त रकम में से किया जाय । अिस तरह मिल कपडे के दाम कुछ बढ़ेंगे । मिल कपडे के भाव से खादी के दाम करीब दो से ढाभी गुना रहेंगे । प्रॅनिंग कमिशन ने जो हिसाब लगाया है अुस हिसाब से “ फाअिन ” व “ सुपर फाअिन ” कपडे पर अेक पैसा सेस बैठाने से करीब दो करोड रुपये की आमदनी होती है । अिस पर से यह दीखता है कि पांचवें वर्ष भी सेस का मान बढ़ाना तो पडेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं ।

अन्त में यहां पर दो अेक बातें स्पष्ट कर देना अुचित होगा । यह साफ है कि मिल के कपडे की अपेक्षा खादी का कपडा महंगा ही रहेगा । मिल

कपडा रहते हुये अगर खादी को बढ़ावा देना है तो उसे संरक्षण और सत्रसिडी की जरूरत रहेगी। यह सत्रसिडी किस हद तक दी जाय यह बहुत विवेकपूर्वक तय करना होगा। ऊपर की मदों में यह बताया गया है कि खादी मिल कपडे के भाव से विक सके अतनी सत्रसिडी न दी जाय। यह बात सही है कि अगर खादी को अतनी सत्रसिडी दी जाय और मिल कपडे के भाव में वह बेची जाय तो फिर खादी बेचने की समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी; फिर ज्यादा शक्ति उसके उत्पादन के लिये ही हम लगा सकेंगे। लेकिन वैसा करने से कपडे की आवश्यकता को पूरा करने के लिये मिल आधारित व्यवस्था को ही सदा आवश्यक व अनिवार्य मानना दृढतर होता जायगा। आज तक खादी ने अेक नया आर्थिक दृष्टिकोण और भावना पैदा की है वह मिट जायगी। यह मिटने पर खादी अेक बोज़ ही मालूम पडेगी; और अुस दशा में नवसमाज निर्मिति की ओर जाने की खादी की शक्ति खत्म हो जायगी। अगर आखिर में मिल का आधार न रखना पडे अिस हेतु से खादी को चलाना है तो खादी का विक्री-भाव कृत्रिम रूप से न घटा कर अुसके स्वाभाविक दरों पर ही वह बेचने की नीति रखना अुचित होगा। अुससे वस्त्रस्वावलंबन के काम को भी पोषण मिलेगा। स्वाभाविक दरों में हम व्यवस्था-खर्च को नहीं जोडते हैं। आज मिल-सूत की मिलावट न हो अिसी की देखभाल में खादी अुत्पादन में ४ से ५ प्रतिशत व्यवस्था-खर्च हो जाता है। अलावा अिसके खादी जहां बने वहीं विक्रे और विक्रे वहीं बने अैसी आखिरी हालत हमने मानी है। वैसी परिस्थिति में आज का दूर दूर खादी भेज कर बेचने का व्यवस्था-खर्च भी नहीं होगा। यह व्यवस्था-खर्च दरअसल कृत्रिमता के कारण खादी पर लग जाता है। अिस खर्च जितनी सत्रसिडी देकर खादी के भाव अुतने सस्ते रखकर बेचना हानिकारक नहीं होगा। दुलाभी आदि मिला कर यह व्यवस्था-खर्च अुत्पत्ति से लेकर विक्री तक २० फी सदी के करीब होता है। अिसलिये अिस मद में खादी विक्री पर २० फी सदी सत्रसिडी दी जाय अैसा विचार किया गया है। नया खादी काम खडा करने में जो खादी बनेगी वह सारी की सारी स्टैंडर्ड किस्म की न बन पाये अैसी संभावना है। अिसके लिये भाव घटा कर बेचने के लिये कुछ मदद दी जाना जरूरी रहेगा। अुसके लिये पहले साल १८ लाख रुपया और पांचवें साल ८० लाख रुपये खर्च गिना गया है।

अिस तरह खादी योजना का मोटा तफ्तील अूपर दिया गया है। देश अपना कपडा अगर चरखे के जरिये बना लेना चाहे तो, अुसके लिये देश में कम से कम दस करोड लोगों को कताअी जानना जरूरी है। लेकिन पंचवर्षीय योजना में हम मुश्किल से पौन करोड लोगों को ही अिस कला के जानकार बना देंगे अैसा लगता

है। फिर भी अगर पांच वर्ष में अतनी तैयारी हो सके तो बाद में खादी को अनेक गुना व्यापक बनाने के लिये अनुकूल वायुमंडल हो जायगा और आगे हमारे विशेष यत्न के बिना भी नये नये लोग कताबी सीखकर, जैसे कि अब तक परंपरा से सीखते आये हैं, अपने आप तैयार होंगे। योजना काल में भी हमारे बिना प्रयत्न के कभी लोग खुद होकर कताबी सीख लेंगे ऐसी आशा है।

## अुपसंहार :

अिस तरह अहवाल-काल में खादी-कार्य अनेकविध पहलुओं से विविध दिशा में चलाने की संघ ने कोशिश की है। संघ की खुद की खादी की व्यापारी-अुत्पत्ति जो पहले १९४८-४९ में करीब रुपये ५५ लाख और ३२ लाख वर्गगज तक पहुँची थी वह कुछ घट कर सन १९५०-५१ में करीब रुपये ४५ लाख और २५ लाख वर्ग गज तक आ गयी है। पर प्रमाणित खादी-अुत्पत्ति जो पहले १९४८-४९ में करीब ४९॥ लाख रुपये तथा ३७॥ लाख वर्गगज थी, वह बढ़ कर १९५०-५१ में ८२॥ लाख रुपये तथा ४८ लाख वर्ग गज तक पहुँची है। संघने अपनी शक्ति वस्त्र-स्वावलंबन के काम में अब लगायी है। अुसके लिये अब प्रचार, शिक्षण और वस्त्र-स्वावलंबन-कारीगरी की अभिवृद्धि अिन तीन तरह से संघ का काम बढ़ रहा है। संघ का व्यापारी काम तो आर्थिक हानि के बिना चलता था। पर प्रचार, शिक्षण और वस्त्र-स्वावलंबन के काम में संघ को अब करीब दो लाख रुपये सालाना घाटा रहेगा। फिर भी केवल कुछ गरीबों को राहत देने का ही संघ का लक्ष्य नहीं है। अिसलिये सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का अपना मूल लक्ष्य सामने रख कर संघ यह खर्च कर रहा है, और नीचे लिखे नीति-मूल्यां की प्रस्थापना के लिये खादी कार्य चले अैसा आग्रह रख रहा है।

(१) हर गाँव में स्थानिक प्रेरणा, नेतृत्व व सहकार पैदा हो कर अुसी के बल पर गाँव का काम चलना चाहिये। अिस लक्ष्य की पूर्ति के लिये :

(अ) आर्थिक शोषण दूर करने के लिये हरेक को सर्वस्पर्शी राष्ट्रीय अुत्पादक परिश्रम करना चाहिये।

(आ) शोषित न होने के लिये व्यक्तियों तथा गाँवों को अपनी जिन्दगी के आधार-रूप अन्न-वस्त्र में स्वावलंबी बनना चाहिये।

(अि) श्रम का मूल्यांकन पैसे के जरिये नहीं करना चाहिये। करना ही ५८ तो वहाँ जीवन-वेतन का आग्रह रखना चाहिये।

(अ) जिस यांत्रिक पद्धति से मूलभूत स्वावलंबन द्रव्यता है उस तरह से बननेवाली याने बड़े बड़े कारखानों में बननेवाली अन्न-वल्ल समन्वी चीजों का बहिष्कार करना चाहिये ।

(२) जहां आज खादी का काम वल्ल-स्वावलंबन की दृष्टि से या राहत की खादी की दृष्टि से चल रहा है वहाँ:-

(अ) खादी प्रक्रियाओं का बंटवारा न कर के सब जगह सारी क्रियाओं हो सकनी चाहिये ।

(आ) खादी काम में व्यक्तिगत मालिकी नहीं रहनी चाहिये और न नफाखोरी होनी चाहिये ।

(अि) और जहाँ तक हो सके वहाँ तक व्यक्ति-स्वावलंबन तथा क्षेत्र-स्वावलंबन की दिशा में खादी का काम चलना चाहिये ।

आज की सारी सामाजिक व आर्थिक रचना अिन मूल्यों के विरोध में खडी है । अैसी हालत में चरखा संघ के काम में अिन मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहज सफलता की आशा रखना गलत होगा । लेकिन हमें सावधानीपूर्वक यह खयाल रखना होगा कि राहत की खादी के नाम पर अिन मूल्यों को तोडने का काम न हो ।



ता लि का अें

और

प रि शि ष्ट



कताजी मंडलों की संख्या

	प्रान्त	सन १९५० जून		सन १९५१ जून		सन १९५२ जून	
		मान्यता प्राप्त	उम्मीदवार	मान्यता प्राप्त	उम्मीदवार	मान्यता प्राप्त	उम्मीदवार
१	आसाम	—	—	३	—	३	—
२	आंध्र	८३	४९	८२	५०	८३	५४
३	उत्कल	९३	—	६५	२२	६८	२५
४	उत्तरप्रदेश	—	—	१७	१४	१५	२७
५	कर्नाटक	२५	१२	२५	१२	२२	२५
६	काश्मीर	—	—	—	—	—	—
७	केरल	१०१	३०	१०१	४०	१०१	४०
८	गुजरात	५४	८	५४	८	५४	९
९	तामिलनाडु	१६७	—	१६८	—	१६८	—
१०	पंजाब	३१	५	३०	४	३२	५
११	बिहार	—	२८	—	६०	२१	६५
१२	बंगाल	५०	६०	५८	५३	६०	६५
१३	बम्बई	८	—	१२	—	१५	—
१४	महाकोशल	३१	३२	२४	३८	३०	४२
१५	महाराष्ट्र	४८	३२	६५	३६	८१	८१
१६	राजस्थान	३५	९०	४८	९५	५१	१०३
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
१८	हैद्राबाद	८	११	१५	८	१५	८
	कुल	७३४	३५७	७६७	४४०	८१९	५४९



प्रादेशिक कताओी मंडल सम्मेलन

	स्थान	प्रान्त	उपस्थिति	
१	सेवापुरी	उत्तर प्रदेश	८०	
२	मोहझरी	महाकोशल	५०	
३	यवतमाळ	विदर्भ	६५	
४	सावली	नागविदर्भ	४०	
५	अकातेतरा	केरल	१५०	
६	इडुवाई	तामिलनाड	१७५	
७	चितलदुग	कर्नाटक-मैसूर	१००	
८	कराडी	गुजरात	१००	
९	शिंपवली	बम्बई	६०	
१०	पंढरपुर	महाराष्ट्र	१५०	
११	बॉसा	राजस्थान	५०	
१२	आदमपुर	पंजाब	७५	
			१०९५	

# वस्त्रस्वावलंबन खादी के तुलनात्मक अंक

तालिका ३

प्रांत	१९४९ - ५०		१९५० - ५१	
	वर्गगज	रुपये	वर्गगज	रुपये
१ आसाम	-	-	-	-
२ आंध्र	२९,३२६	४५,७६४	३४,६४२	५६,४८९
३ उत्कल	-	-	५,४५०	६,१२५
४ उत्तर प्रदेश	१०,३५९	१४,९२८	१३,०३७	२२,०२९
५ कर्नाटक	४३,८११	७६,७७१	३३,७८५	५५,२६३
६ काश्मीर	-	-	-	-
७ केरल	३९,३१८	५०,१४४	४३,८३५	६२,५०९
८ गुजरात	१,८८,८६७	२,८४,१६१	२,५८,९९१	३,६८,५४४
९ तामिलनाडु	१,४१,७३९	१,५४,१६६	१,४०,१९२	१,६९,१९८
१० पंजाब	१४,५५६	१८,६६१	३३,८७४	४४,१३८
११ बिहार	९,९९१	१६,५२८	*	३,५६३
१२ बंगाल	२,२५५	४,०९६	२,५५९	३,७९५
१३ बंबई	११,७७८	२०,६१२	९,८८४	१३,२८५
१४ मद्रासोशल	३,६४६	४,७३८	९,५५३	१३,६९६
१५ महाराष्ट्र	३१,९८८	५२,१३७	३६,३८२	५९,८३४
१६ राजस्थान	१९,२२४	३१,९०९	२०,८१९	३३,५९८
१७ सोमप्र	-	-	२६,०३१	३९,९४०
१८ सिंधुवाय	१,१६८	१,६७१	१,७५९	२,३७६
ल	५,४८,०२६	७,७६,२८६	६,७२,४५६	९,५४,३७९

(गुजरात में शामिल है)

सहयोगी और स्वा... की संख्या ४ खादी शिबिर संख्या और सदस्यों की संख्या तालिका ५

[१९५०-५१]

[१९५०-५१]

	सहयोगी	वस्त्र स्वावलंबी	प्रान्त	शिबिर संख्या	शिबिर विद्यार्थी	बांस चरखे बने
१	-	२२	आसाम	-	-	-
२	१,०५२	१,१३८	आंध्र	८	४२	४९४
३	४३	८,८९१	उत्कल	९	२३०	११०
४	१२	३५५	उत्तर प्रदेश	-	-	-
५	२५५१	२७४१	कर्नाटक	-	-	१४३०
६	-	-	काश्मीर	-	-	-
७	१,१६४	१,२२४	केरल	३	९१	७७
८	३०९	२,०८४	गुजरात	५	१०४	१०२
९	१६५	१,४४१	तामिलनाडु	७	३३१	४४५
१०	५६५	३५१	पंजाब	३	७०	-
११	४३	९	बिहार	१०	१५१	-
१२	५३	६५७	बंगाल	३	३९	८७
१३	६८	६६२	बम्बई	-	-	-
१४	६५१	५१६	महाकोशल	-	-	५७
१५	७४९	१,०७८	महाराष्ट्र	१०	४४५	५१६
१६	५५२	२०१	राजस्थान	५	१२२	१२६
१७	१३२	१,२९४	सौराष्ट्र	३	८०	१६
१८	१८१	६२	हिद्राबाद	-	-	६७
कुल	५,००५	३३,७३६		६६	१,९०५	३,५३०

खालीका संघ खादी शिक्षा समिति की परीक्षाओं

अ० भा० चरखा संघ खादी शिक्षा समिति की परीक्षाओं

जुलाई १९४९ से जून १९५१ तक

खादी विद्यालयों के नाम	पाठशाला शिक्षक				खादी प्रवेश विद्यार्थी		दुबया बुनाई विद्यार्थी		खादी प्रवेश विद्यार्थी		कुटाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या		बुनाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या		दुबया बुनाई विद्यार्थी		कुल जोड विद्यार्थी					
	खादी प्रवेश विद्यार्थी	कुटाई विद्यार्थी	दुबया बुनाई विद्यार्थी	खादी प्रवेश विद्यार्थी संख्या	कुटाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	बुनाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	खादी प्रवेश विद्यार्थी संख्या	दुबया बुनाई विद्यार्थी संख्या	कुटाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	बुनाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	दुबया बुनाई विद्यार्थी संख्या	कुटाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	बुनाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	दुबया बुनाई विद्यार्थी संख्या	कुटाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	बुनाई कार्य-कर्ता विद्यार्थी संख्या	कुल जोड विद्यार्थी					
	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०				
१ खादी विद्यालय सेवाग्राम	२५	३४	२७	५	३	२६	५	३	३	३	३	३	३	३	३	३	२०७	१५८	१४			
२ खादी विद्यालय वीर-पांडी (तामिलनाड)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२४	१९	-			
३ खादी विद्यालय कोमरगोळ (आंध्र)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	११	५	-			
४ खादी विद्यालय पालघाट (केरलशाखा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	-			
५ खादी विद्यालय नारहोली (गुजरात)	-	१७	१३	४	१	५	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२४	१८	-			
६ सरस्वती मंदिर अकोला (म.प्रदेश)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	७	६			
७ खादी विद्यालय रामपुर (म.प्रदेश)	-	-	-	-	-	-	७	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३२	१९			
कुल	२५	२४	५१	४०	३७	३७	३०	३३	९	१	१०१	६०	१०	४८	३८	३	३१	२५	-	३०६	२२६	१४

## एकंबरनाथन् के ऑटोमेटिक चरखे का जॉच-अहवाल

तिरपुर में श्रीयुत् एकंबरनाथन् ने एक ऑटोमेटिक चरखा बनाया था। उसकी जॉच का अहवाल इस प्रकार है :—

हाथ-धुनकी से धुनी हुई कंबोडिया रुई दी गयी। पतली पूनी बनाने के लिये कुल घंटे ३, मिनट ९ में २७ तोले पूनियों बनीं। कताई में कुल घंटे ५, मिनट ३८ में गुंडी ७, तार १२० सूत काता गया। कुल समय में १३३ दफा सूत दूटा था। परेतने का समय अलग।

कातने के यंत्र में दो तकुवे लगे हुए थे। पतली की हुई पूनी में से सूत कतता था और साथ साथ वॉविन पर लपेटा जाता था। यंत्र का हत्या एक मिनट में करीब ७५ से ८० दफा घुमाया जाता था।

हत्ये के एक फेरे में तकुवा १२० बार घूमता था। इसलिये तकुवे की गति प्रति मिनट ९००० से ९६०० थी।

हाथ की धुनी रुई होने से टूटन ज्यादाह आयी और उससे कताई की गति पर भी असर हुआ।

### सूत की जॉच :

कुल लम्बाई ...	७ गुंडी, ३०१ तार	कुल वजन ...	२६। तोले
औसत अंक ...	११३	औसत मजबूती	१११ प्रतिशत
औसत समानता ...	८३ प्रतिशत	छीजन ...	३ तोले

### यंत्र के सामान्य दोष :

१. कांतते वक्त रुई के अच्छे तंतु भी हवा में उड जाते थे। वह शायद हार्ड-ड्राफ्ट के कारण होता होगा।
२. रोलर पर बार बार रुई चिपकती थी।
३. रिंग की रील अपने आप ऊँची होती थी और हाथ से नीचे उतारनी पडती थी। वह ऑटोमेटिक कर सकते हैं।
४. मालाएँ ढीली-तंग होती ही थीं।
५. परेतने की व्यवस्था साथ में नहीं थी। वह होनी चाहिये।
६. सिंग के रोल और धिरियां बनायी गयी हैं। वह शायद जल्दी विस जायं ऐसी संभवना है।

खादी उत्पत्ति के तुलनात्मक अंक (मूल्य में)

तालिका ८

प्रान्त	शाखा		प्रमाणित संस्थानें		शाखा तथा प्रमाणित	
	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
१ आसाम	-	-	९,५००	३५,५३५	९,५००	३५,५३५
२ आंध्र	४,१२,८५२	२,२१,१८९	१,०३,९७०	९०,४८८	५,१६,८२२	३,१९,६७७
३ उत्कल	-	-	-	X १,२३,०९०	-	१,२३,०९०
४ उत्तर प्रदेश	-	-	२१,६७,४४६	९३१,०३,९३१	२१,६७,४४६	३१,०३,९३१
५ कर्नाटक	३,१०,१७२	२,४२,२१७	७२,२५६	३३,७३७	३,८२,४४८	२,७५,९५४
६ काश्मीर	२,९७,४४९	३,५०,२०५	-	१,२६,२१०	२,९७,४४९	४,७६,४१५
७ केरल	२,९५,७४३	२,२५,३९८	-	२५,१७५	३,२४,५९१	२,५०,५७३
८ गुजरात	७,०५३	७,४८१	२८,८४८	६०,४७६	४,०६,८६९	६७,९५७
९ तामिलनाडु	३०,०४,२५६	२८,७६,५५४	३,९९,८१६	२,४७,५११	३२,४७,२५७	३१,२४,१०५
१० पंजाब	२,५२,५८६	* २,७४,८७७	७,८२,८६४	१,९७,०००	१०,३५,४५०	४,७१,८७७
११ बिहार	-	-	१३,८४,२४५	२८,८३,९२६	१३,८४,२४५	२८,८३,९२६
१२ बंगाल	-	५,३७४	१९,५५६	१५,७,०५१	१९,५५६	१९,६२,४२५
१३ वीहई	२,९८०	१,२७९	-	-	२,९८०	१,२७९
१४ महाकोशल	१,७४३	२,८३८	५०,७०५	४,३७,४३८	१,५२,४४८	४०,२७६
१५ महाराष्ट्र	१,९६,७९५	७९,९८४	२२,०६६	४८,९८१	२,१८,८६१	१,२८,९६५
१६ राजस्थान	१,१२,३५३	१,०७,१८०	५,५४,९३०	७,६०,१६८	६,६७,२८३	८,६७,३४८
१७ सौराष्ट्र	-	-	-	१,२२,४४०	-	१,२२,४४०
१८ हैद्राबाद	२,९७,५१९	८४,३२८	१,१०,२३२	२,१३,१९४	४,०७,७५१	२,९७,५२२
कुल	५१,९१,५०१	४४,७८,९०४	५९,४९,४३५	८२,६६,३९१	१,११,४०,९३६	१,२७,४५६,२९५

१२ य सरकार के खादी विभाग की उत्पत्ति । \* इसमें रु. १,१९,००० के कृत्रिम रेशम की उत्पत्ति का समावेश है ।

# खादी उत्पात्ति के तुलनात्मक अंक (वर्ग गर्जों में)

तालिका ९

	शाखा		प्रमाणित संस्थाओं		शाखा तथा प्रमाणित	
	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
प्रान्त						
१ आसाम	—	—	७,२४०	८,८०४	७,२४०	८,८०४
२ आंध्र	२,३४,५३३	१,२१,४८२	९८,९०४	५०,७९२	३,३३,४३७	१,७२,३७४
३ उत्कल	—	—	—	१,१६,१६२	—	१,१६,१६२
४ उत्तर प्रदेश	—	—	१३,६९,६९५	१७,७३,६२८	१३,६९,६९५	१७,७३,६२८
५ कर्नाटक	१,७०,२०१	१,३३,६३१	३५,९३०	१९,०६४	२,०६,१३१	१,५२,६९५
६ काश्मीर	५०,२५१	५०,२२१	—	२९,६७५	५०,२५१	७९,८९६
७ केरल	१,९९,९१८	१,४४,२३३	१९,०३२	२८,२५१	२,१८,९५९	१,७१,४८४
८ गुजरात	३,५१७	३,७४२	२,२२,८७०	३०,८६०	२,२६,३८७	३,७१,४८४
९ तामिलनाडु	१८,८७,१०६	१६,७४,४९७	१,६२,११४	१,६५,०८०	२,०४,९२२	१,६३,५७७
१० पंजाब	१,७४,६६९	१,७५,७९९	६,५९,२५४	१,४३,९७४	८,३३,९२३	३,१९,७७७
११ विहार	—	—	९,२४,४८२	१७,०२,७१४	९,२४,४८२	१७,०२,७१४
१२ बंगाल	—	३,९०९	२४,८७९	३७,९३२	२४,८७९	४१,८४१
१३ बम्बई	१,७०२	१,०३१	—	—	१,०३१	१,०३१
१४ महाकोशल	१,३६१	१,६८१	३९,०४५	२४,२०३	४०,१७०	२५,८८४
१५ महाराष्ट्र	१,१८,४६०	४६,२५८	१२,४२३	२६,९५८	१,३०,८८३	७३,२१६
१६ राजस्थान	१,००,४१९	६५,५७२	३,६७,१८०	४,४६,७९५	४,६७,५९९	५,१२,३६३
१७ सौराष्ट्र	—	—	—	७७,५३३	—	७७,५३३
१८ हिद्राबाद	२,०५,२३६	५२,३००	६८,९८६	१,३२,९२०	२,७४,२२२	१,८५,२२०
कुल	३१,४७,३७३	२४,७३,३५६	४०,१२,०३४	४८,१५,३४५	७१,५९,४०७	७२,८८,७०१

# खादी उत्पत्ति के तुलनात्मक अंक (वजन पाँडों में)

तारिका १०

क्र.सं.	प्रांत	शाखा		प्रमाणित संस्थानें		शाखा तथा प्रमाणित	
		१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
१	आसाम	-	-	२,४१४	२,८२८	२,४१४	२,८२८
२	आंध्र	६६,६२२	३६,९७५	२२,९५६	१६,२२९	८९,५७८	५३,२०४
३	उत्कल	-	-	-	४२,५६०	-	४२,५६०
४	उत्तर प्रदेश	-	-	४,४७,९४०	५,६२,०८५	४,४७,९४०	५,६२,०८५
५	कर्नाटक	४९,६००	२५,२८२	१२,८९६	५,५०५	६२,४९६	३०,७८७
६	काश्मीर	२३,९३०	३०,९७४	-	११,२२६	२३,९३०	४२,२००
७	केरल	४९,९९०	३५,३८०	-	७,४११	५४,७९४	४२,७११
८	गुजरात	६८०	७७९	४,८०४	-	६७,१८६	८,०२०
९	तामिलनाडु	४,६१,३६०	४,१८,७६५	६६,५०६	७,२४१	५,०२,४५८	४,६०,७७७
१०	पंजाब	६२,२४०	६६,९८८	४१,०९८	४२,०१२	३,५०,७५४	३,३९,३०८
११	बिहार	-	-	२,२९,३८०	७२,३२०	२,२९,३८०	३,३४,२०६
१२	बंगाल	-	-	७,६४२	३,१६२	७,६४२	६,३१३
१३	बंबई	४८६	३३०	-	-	४८६	३३०
१४	महाकोशल	३५०	४८१	१२,३७२	४,०९४	१२,७२२	४,५७५
१५	महाराष्ट्र	३०,५२२	१३,७५२	३,०८८	७,१०६	३३,६१०	२०,८५८
१६	राजस्थान	३४,७९०	२४,३३४	१,३१,९३८	१,६२,६७८	१,६६,७२८	३,८७,०१२
१७	सौराष्ट्र	-	-	-	१९,३१४	-	१९,३१४
१८	हैद्राबाद	५९,८७०	१४,५३७	२६,८००	४३,६८२	८६,६७०	५८,२१९
	कुल	८,४०,४४०	६,६९,७३९	१२,९८,३४८	१३,४५,६४८	२१,३८,७८८	२०,९५,३८७



# फुटकर खादी विक्री के तुलनात्मक अंक [ मूल्य में ]

तालिका ११

क्र.सं.	प्रान्त	शाखा		प्रमाणित संस्थाओं		शाखा तथा प्रमाणित	
		१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
१	आसाम	-	-	४७,५५०	४३,३९९	४७,५५०	४३,३९९
२	आंध्र	३,५९,४३५	२,८१,७४९	२०,३०३	३८,९५६	३,७९,७३८	३,२०,७०५
३	उत्कल	-	-	-	१,७५,३५१	-	१,७५,३५१
४	उत्तर प्रदेश	-	-	३५,७६,५९१	३७,७७,७७५	३५,७६,५९१	३७,७७,७७५
५	कर्नाटक	३,३६,१९८	१,४५,७५६	७३,९१९	५५,८०९	४,१०,११७	२,०१,५६५
६	काश्मीर	+ २,८३,६३२	† ३५,९२५	-	-	२,८३,६३२	३५,९२५
७	केरल	३,१७,४२९	२,७९,८२८	३१,४०९	२३,४०४	३,४८,८३८	३,०३,२३२
८	गुजरात	२,८१,२००	३,१९,९९८	६,६८,४८१	९,०४,७०४	९,४९,६८१	१२,२४,७०२
९	तामिलनाड	२८,४९,६४२	३४,३०,३३६	१,२२,२३७	१,६३,१८३	२९,७१,८७९	३५,९३,५१९
१०	पंजाब	२,१०,९६९	१,९३,१५३	१,०७,३३०	५,१७,१४१	३,१८,२९९	७,१०,२९४
११	बिहार	-	-	१९,५३,१८७	२६,०३,१५४	१९,५३,१८७	२६,०३,१५४
१२	बंगाल	-	-	१,८५,८०४	५१,५६१	१,८५,८०४	५१,५६१
१३	बंबई	७७,७७९	१,२२,१३५	१,३९,२३८	८,७९,३२४	२,१७,०१७	१०,०१,४५९
१४	महाकोशल	५,१२३	५,२४८	१,५६,९९१	१,२१,०४३	१,६२,११४	१,२६,२९१
१५	महाराष्ट्र	२,६६,८१४	१,४६,५४७	१,०७,५००	५,१२,५२१	३,७४,३१४	७,३९,०६८
१६	राजस्थान	२९,२६५	३२,०२२	५,९९,६७७	* ७,५४,५६२	६,२८,९४२	७,८६,५८४
१७	सौराष्ट्र	-	-	-	१,०४,३४२	-	१,०४,३४२
१८	हैद्राबाद	१,०७,१५९	७५,८५२	२,०१०	४३,८०३	१,०९,१६९	१,१९,६५५
	कुल	५१,२४,६४५	५०,६८,५४९	७७,९२,२३७	१,०८,५०,०३२	१,२९,१६,८७२	१,५९,१८,५८१
	शाखाओंकी एजंधारा फुटकर विक्री	५,३३,२९४	५८०,०९७			५,३३,२९४	५,८०,०९७

एजंटों द्वारा खादी-बिक्री के तुलनात्मक अंक (मूल्य में)

चरखा संघ शाखाओं

	प्रान्त	१९४९-५०	१९५०-५१
१	आसाम	-	-
२	आंध्र	१४,६८७	२२,७३६
३	उत्कल	-	-
४	उत्तर प्रदेश	-	-
५	कर्नाटक	१,३५,९६५	१,५६,१०१
६	काश्मीर	-	-
७	केरल	५,३७६	-
८	गुजरात	२१,७४७	३६,३२५
९	तामिलनाडु	१,६०,७२३	१,७६,१३१
१०	पंजाब	७७,२१२	९१,१७३
११	बिहार	-	-
१२	बंगाल	-	-
१३	बंबई	३,५५७	२,१७५
१४	महाकोशल	१,७७८	४०२
१५	महाराष्ट्र	६३,००३	३९,६०२
१६	राजस्थान	६,९१७	१७,४७८
१७	सौराष्ट्र	-	-
१८	हैद्राबाद	४२,३२९	३७,९७४
	कुल	५,३३,२९४	५,८०,०९७

# सूत मजदूरी चार्ट [ अंक वजन पद्धति ] नागविदर्भ

तालिका १३

नंबर	८ घंटे का काम			सूत वजन		घटसहित सूती दर १ सेर का	रुथी कीमत		धुनाथी दर १ सेर का	धुनाथी मजदूरी १ सेर की		सूत काताथी १ सेर की	काताथी मजदूरी ८ घंटे की		सूत कीमत १ सेर		१ गुंडी की कीमत		
	गुं.	ल.	तार	छ.तो.	आना		रु.	आ.		पा.	रु.		आ.	आ.	पा.	रु.	आ.	आ.	पा.
१०	३	३	-	३	-	२	६	-	८	१	६	२	७	५	२	४	११	४	
११	३	३	१३६	२	४	२	५	१०	८	१	६	३	८	५	८	४	-	४	
१२	३	२	६४	२	-	२	४	१०	८	१	२॥	३	७	५	१२	३	१०	३	
१४	३	२	-	२	-	२	४	-	१०	१	३	४	८	६	१०	३	१०	३	
१६	३	१	११२	१	३	२	३	५॥	१०	१	३	४	७	७	४	५	११	३	
१८	३	१	८०	१	८	२	३	५॥	१०	-	३	५	८	८	६	६	८	३	
२०	३	१	५६	१	११	२	३	२	१०	१	४	६	७	९	६	६	८	३	
२२	३	१	३२	१	११	२	३	२	१०	१	२॥	६	७	१०	-	६	८	३	
२४	३	१	१६	१	७	२	२	६	१०	१	३	७	८	१०	१०	१०	३	३	
२६	३	१	-	१	-	२	२	१॥	४	१	३	८	८	१२	१	१	१	३	
२८	३	-	७२	-	७	२	२	६	४	१	१॥	९	८	१३	१	१	१	३	
३२	२	३	१०४	-	१०	२	२	६	४	१	१॥	११	८	१५	१	१	१	३	
३६	३	१	४८	-	३	२	२	६	४	१	-	१३	९	१७	१	१	१	३	
४०	३	-	११२	-	३	२	१	६	४	१	१॥	१५	९	१९	१	१	१	३	

कीमत	१ गुंडी की खरीद कीमत		सूत कीमत		कताबी मजदूरी ८ घंटों की	
	पा.	पा.	र. आ.	पा.	र. आ.	पा.
६	४	३	१	१	७	३६
४	४	३	१	१	७	६८
३०॥	४	३	१	१	८	५
८	४	३	१	१	९	३३
११	४	३	१	१	९	७
३	३	३	१	१	९	५
१०	३	३	१	१	९	६
४	३	३	१	१	९	८
११	३	३	१	१	९	७
१०	३	३	१	१	९	५
५॥	३	३	१	१	९	६
९	३	३	१	१	९	८
९॥	३	३	१	१	९	७
५॥	३	३	१	१	९	५

तालिका १३ और १४ में धुनाबी-दर के बाद के कॉलम में धुनाबी-मजदूरी के आंकड़े दिये गये हैं। ये आंकड़े अतनी धुनाबी मजदूरी के हैं कि जितनी पूनी उस उस अंक के सूत की आठ घंटेकी कताबी के लिये आवश्यक मानी गयी है।

तालिका १३ में आठवें कॉलम के शीर्षक में जहाँ “धुनाबी-मजदूरी १ सेर की” छपा गया है वहाँ “१ सेर की” शब्द गलती से पड़े हैं। वे छोड़ कर पढ़ा जाय।

सूत अंक	आवश्यक गति प्रतिघंटा		आवश्यक काम ८ घंटों का		सूत वजन	
	तार	गुंडी लटी तार	गुंडी लटी तार	तार	छ.	तो. आना
१०	३००	३	—	३	३	— १४
११	२९७	३	१३६	३	२	— ४
१२	२८८	३	६४	३	२	— २
१४	२८०	३	—	३	२	— ३
१६	२७४	३	११२	३	१	— ९
१८	२७०	३	८०	३	२	— ८
२०	२६७	३	५६	३	१	— ११
२२	२६४	३	३२	३	१	— १
२४	२६२	३	१६	३	१	— ७
२६	२६०	३	—	३	१	— ७
२८	२४९	३	७२	३	४	— १०
३२	२३३	३	१०४	३	३	— ११
३६	२६६	३	४८	३	३	— ३
४०	२५४	३	११२	३	३	— ३

कुल कामगारों की संख्या

तालिका १५

चरखा संघ शाखाओं तथा प्रमाणित संस्थाओं

	प्रान्त	कस्तिन		बुनकर		अन्य		कुल	
		१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
१	आसाम	-	१,६५१	-	४४३	-	५	-	२,०९९
२	आंध्र	८,७८४	६,९८४	४६४	३४५	१२०	१०५	९,३६८	७,४३४
३	उत्कल	-	४,९६४	-	५३९	-	३	-	५,५०६
४	उत्तर प्रदेश	४२,२२१	४७,६१५	२,११५	२,६१९	२९६	३५६	४४,६३२	५०,५९६
५	कर्नाटक	८,५००	३,३९५	५६०	३७५	५०	१४२	९,११०	३,९१२
६	काश्मीर	७६९	७६९	९०	९०	७७	७७	९३६	९३६
७	केरल	६,९०३	१,३४३	५२१	९००	६३	१००	७,४८७	२,३४३
८	गुजरात	३,०००	३,२३५	४००	३६१	२१५	११६	३,६१५	३,७१२
९	तामिलनाडु	६२,९४०	६२,९४५	१,७२६	१,७४९	४७७	४५७	६५,१४३	६५,१५१
१०	पंजाब	७,५००	६,५००	१,७५०	१,७५०	२०	३०	९,२७०	८,२८०
११	बिहार	३०,३१२	५६,३९७	१,२००	१,८६९	१०३	१३३	३१,६१५	५८,३९९
१२	बंगाल	५००	१,०५०	३३	६३	२२	२२	५५५	१,१३५
१३	बंबई	-	-	७	७	-	-	७	७
१४	महाकोशल	८६५	८६५	१५०	१५०	२०	२०	१,०३५	१,०३५
१५	महाराष्ट्र	२,५८५	१,९१५	२७७	२५१	६७	७९	२,९२९	२,९४५
१६	राजस्थान	८,५८४	१३,५७१	७५५	१,५०१	१८९	४००	९,४६८	१५,४७२
१७	सौराष्ट्र	-	२,२८४	-	३३१	-	८११	-	३,४२६
१८	हैद्राबाद	१६,६२५	७,००१	९१३	१,१०७	२७४	२८०	७,८१२	८,३८८

# कामगारों की दी गयी मजदूरी [ रुपये में ]

तालिका १६

चरखा संघ शाखाओं

प्रान्त	कस्तिनों को		बुनकरों को		अव्यों को		कुल	
	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
आसाम	—	५६,७५३	—	४९,१८४	—	१६,६३०	२,२५,९८१	१,२२,५६७
आंध्र	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	९६,९६८	२८,३४७	८८,७६२	४५,१५२	१०,७७२	१९,९६९	१,९६,५०२	९३,४६८
काश्मीर	३५,१२२	३५,०४५	२४,९३८	२४,०११	३२,६७७	३७,४६७	९२,७३७	९६,५२३
केरल	८७,४८९	४८,९८९	७४,०२३	१२,८१५	५,७९३	८,७८६	१,६७,३०५	७०,५९०
गुजरात	४२,८५८	४५,३४०	१२,१४१	१,९९,७०३	५,४५३	३३,१४७	१,४०,४५२	१,९८,१९०
तामिलनाडु	१०,२४,०७०	१०,४३,३९२	८,१३,७७७	५,६४,६८६	१,२०,९८९	१,३७,४२१	१९,५८,८३६	१७,४३,४९९
पंजाब	७५,७२८	४२,९७१	६७,१३३	६९,०१०	१६,६३३	—	१,५९,४९४	१,१९,९८१
बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—
बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—
बम्बई	—	—	५,९४९	४,९९१	२,७१५	२,३४५	८,६६४	७,३३६
महाराष्ट्र	३३	१०२	४१५	—	६१	९७२	४९९	१,०७४
महाराष्ट्र	६५,५१०	१८,३२२	४६,६५१	१८,२१५	१७,५६९	४,२१४	१,२९,७३०	४०,७५१
राजस्थान	३२२,६०९	२६,८३४	३२,४५२	१८,७६६	५,९१५	११,४३१	७०,९७६	५७,०३१
लौरीयान	—	—	—	—	—	—	—	—
पैदावाड़	६६,८५८	६,१६८	७३,१२७	१९,६०५	—	२,८४७	१,६१,०९२	२८,६२०
कुल	१६,१७,२५४	१३,५०,२६३	१४,२१,०७०	९,४६,१३८	२,७३,९४४	२,७५,२२९	३३,१२,२६८	२५,७१,६३०

## चरखा संघ के कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन के अनुसार विभाजन

	प्रांत	१९५०-५१					कुल
		र. १५ तक	र. १६ से ३०	र. ३१ से ५०	र. ५१ से ७५	र. ७६ से १००	
१	आसाम	—	—	—	—	—	—
२	आंध्र	३	३१	१५	२	—	५१
३	उत्कल	—	—	—	—	—	—
४	उत्तरप्रदेश	—	—	—	—	—	—
५	कर्नाटक	६	१८	१९	११	०	५४
६	काश्मीर	—	११	१७	११	३	४२
७	केरल	—	३०	२५	५	—	६०
८	गुजरात	—	—	९	६	५	२०
९	तामिलनाडु	३	९४	१३०	५६	२२	३०५
१०	पंजाब	१	३०	३३	१०	३	७७
११	बिहार	—	—	—	—	—	—
१२	बंगाल	—	—	—	—	—	—
१३	बम्बई	—	—	३	६	२	११
१४	महाकोशल	—	२	२	१	—	५
१५	महाराष्ट्र	१	९	१४	४	२	३०
१६	राजस्थान	—	११	१०	६	—	२९
१७	सौराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
१८	हैद्राबाद	—	६	४	२	—	१२
१९	प्रधान कार्यालय सेवाग्राम	५	७	५	२	२	२१
२०	खादी विद्यालय सेवाग्राम	—	१३	२३	११	३	५०
	कुल	१९	२६२	३०९	१३३	४४	७६७

वेतन के अलावा महंगाबी भत्ता वेतन के २५% + १५ रु. या। गुजरात, पंजाब और काश्मीर शाखा में महंगाबी भत्ता अपर के परिमाण से ५ रु. ज्यादा या।

## फी कार्यकर्ता प्रतिदिन की अल्पविक्री

तालिका १८

	उत्पत्ति (वर्गजों में)		वस्तुस्वावलंबन (वर्गजों में)		कुटकर विक्री (रुपयों में)
	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	
१ आसाम	—	६.४९	—	१.८६	१९.३९
२ आंध्र	—	—	—	—	—
३ उत्कल	—	—	—	—	—
४ उत्तर प्रदेश	८.६३	७.०९	२.२२	१.७१	१५.०७
५ कर्नाटक	३.३	३.२८	—	—	२.५
६ काश्मीर	१०.४८	६.५४	१.८२	२.२६	१४.५
७ केरल	४.८	५.१	२५.८७	३५.४७	३८.५२
८ गुजरात	१८.१४	१६.०९	१.३६	१.३४	२७.३९
९ तामिलनाडु	६.२२	६.२५	५.२	१.२	७.५
१० पंजाब	—	—	—	—	—
११ विशार	—	—	—	—	—
१२ बंगाल	४.२	२.५	२.९४	२.४६	१९.३७
१३ चंडी	७.४	९.२	२.०	५.२३	२.८
१४ मद्रासिवाल	१०.८२	४.२२	२.९१	३.३२	२४.३८
१५ मराठवाड़ा	९.४८	६.१९	१.८१	१.९६	२.७६
१६ राजस्थान	—	—	—	—	—
१७ गौगढ़	१७.५७	११.९४	१.१	३.९	१.१७
१८ बिहार	—	—	—	—	—



# कार्यक्षेत्र के ग्रामों की प्रान्तवार तादाद

तालिका १९

चरखा संघ की शाखाओं तथा प्रमाणित संस्थाओं

क्र.सं.	प्रान्त	ग्रामसंख्या		कस्बियों की संख्या		बुनकरों की संख्या	
		१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
१	आसाम	७५	७५	-	१,६५१	-	४४३
२	आंध्र	१८७	१६७	८,७८४	६,९८४	४६४	३४५
३	उत्कल	३६६	३३६	-	४,९६४	-	५३९
४	उत्तर प्रदेश	१,५२०	१,७२०	४२,२२१	४७,६१५	२,११५	२,६१९
५	कर्नाटक	२०६	१४२	८,५००	३,३९५	५६०	३७५
६	काश्मीर	२०	२५	७६९	७६९	९०	९०
७	केरल	३६१	४७५	६,९०३	१,३४३	५२१	९००
८	गुजरात	२९५	२७५	३,०००	३,२३५	४००	३६१
९	तामिलनाडु	३,५६४	३,५६४	६२,९४०	६२,९४५	१,७२६	१,७४९
१०	पंजाब	४००	४००	७,५००	६,५००	१,७५०	१,७५०
११	बिहार	१,०७१	१,५७१	३०,३१२	५६,३९७	१,२००	१,८६९
१२	बंगाल	१३०	१०२	५००	१,०५०	३३	६३
१३	बंबई	१	१	-	-	७	७
१४	महाकोशल	२९	३०	८६५	८६५	१५०	१५०
१५	महाराष्ट्र	१२५	१०४	२,५८५	१,९१५	२७७	२५१
१६	राजस्थान	१७५	१५४	८,५२४	१३,५७१	७५५	१,५०१
१७	सौराष्ट्र	११०	११०	-	२,२८४	-	३३१
१८	हैदराबाद	३२५	१७५	६,६२५	७,००१	९१३	१,१०७
	कुल	८,९३०	९,४२६	१,९०,०२८	२,२२,४८४	१०,९६१	१४,४५०

कुछ आंके अंदाजी हिसाब से लेने पड़े हैं।

## चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थायों की कुल खादी उत्पात्ति तथा विक्री

सन १९२४ से १९५१ तक

वर्ष	उत्पात्ति (रुपयों में)	उत्पात्ति (वर्गगनों में)	विक्री (रुपयों में)
१९२४-२५	१९,०३,०३४	२,२९,५६,१४०	३३,६१,०६१
१९२५-२६	२३,७७,६७०		२८,९९,१४३
१९२६-२७	२४,०६,३७०		३३,४८,७९४
१९२७-२८	२४,१६,३८२		३३,०८,६३४
१९२८-२९	३१,५५,४३७		६२,६१,८१२
१९२९-३०	५४,९१,६१०	१,१६,७६,९३०	६६,१९,८९३
१९३०-३१	७२,१५,५०२	१,७५,७६,५७६	९०,९४,१३२
(महीने १५)			
१९३२	४४,८७,१९५	१,१५,०३,८८६	५८,१२,५३७
१९३३	३८,६८,८१०	१,०२,२४,३४४	५१,७५,९२३
१९३४	३४,०६,३८०	९५,८०,९८६	४६,६७,१२५
१९३५	३२,४४,१०५	८५,६१,७३७	४६,९०,०१३
१९३६	२४,२८,२५७	६२,२३,६९७	३४,४७,७४१
१९३७	३०,१५,३३९	७२,६९,८७७	४५,३२,७२९
१९३८	५४,९९,४८६	१,२५,५९,५९४	५४,७८,७२०
१९३९	४८,२९,६१०	१,०८,९५,६०८	६४,१३,००२
१९४०	५१,३६,९८३	९५,९१,४३८	७७,६२,७५०
१९४१-४२	१,२०,०२,४३०	२,१५,८४,०७६	१,४९,८५,५१३
(महीने १८)			
१९४२-४३	७८,६२,३६८	१,००,४५,२१४	१,०७,९०,४१०
१९४३-४४	१,२७,५२,२३३	१,०८,८०,७३९	१,३२,६१,६४२
१९४४-४५	१,३४,५८,०६९	१,०२,६३,९०३	१,६७,८७,९७०
१९४५-४६	७०,६३,२१९	५१,७६,९९५	१,०४,८६,५३०
१९४६-४७	१,०५,६८,८७०	७०,०५,४७३	१,११,९५,१३१
१९४७-४८	६५,७४,६८९	४३,५१,६४६	७२,४६,६०४
१९४८-४९	१,०४,४२,९६५	६९,३३,९४८	९१,४१,४१२
१९४९-५०	१,११,४०,९३६	७१,५९,४०७	१,३४,५०,१६६
१९५०-५१	१,२७,४५,२९५	७२,८८,७०१	१,६४,९८,६७८
कुल	१६,५४,९३,२४४	२३,५५,७२,७२७	२०,४४,०५,३३०

## चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा वाँटी गयी मजदूरी

सन १९२४ से १९५१ तक

वर्ष	कत्तिनों को रुपये	बुनकरों को रुपये	अन्य काम-गारों को रुपये	कुल दिये रुपये
१९२४-२८	२२,०२,५४०	२२,७५,६१४	२,२७,५६०	४५,०५,७१४
१९२८-२९	७,११,८३३	८,३५,१५६	९४,६६२	१६,४१,६५१
१९२९-३०	१३,८८,४६९	१३,८०,४७५	१,९२,२०६	२९,६१,१५०
१९३०-३१	१४,४४,९०८	१७,९५,१२१	३,६०,७७२	३६,००,८०१
१९३२	११,०३,३५१	१२,७६,६११	२,६९,२३१	२६,४९,१९३
१९३३	८,३५,७२७	७,४७,७२७	२,७८,८१६	१८,६२,२७०
१९३४	७,५७,४८९	६,६९,९६७	२,७२,५१०	१६,९९,९६६
१९३५	६,८०,०११	६,७७,१८८	२,९१,१६९	१६,४८,३६८
१९३६	९,२२,६२४	५,२२,१७६	२,४२,४२५	१६,८७,२२५
१९३७	१२,१९,२५६	६,९७,८३७	३,०१,५३३	२२,१८,६२६
१९३८	२३,५४,९०६	१२,१८,८०३	५,७७,१३१	४१,५०,८४०
१९३९	२०,२३,६५०	१०,९८,८७८	५,५२,२०५	३६,७४,७३३
१९४०	२०,९०,३७८	१०,८१,४५४	५,१६,३११	३६,८८,१४३
१९४१-४२ (१८ महीने)	४६,३०,२७३	२४,३१,७३३	१०,५०,९८७	८१,१२,९९३
१९४२-४३	२२,४५,९३४	१४,४१,६६८	५,३२,०५४	४२,१९,६५६
१९४३-४४	४१,८६,४८८	२६,७९,९६९	९,१७,८५९	७७,८४,३१६
१९४४-४५	३६,४१,६७१	३१,२९,७११	९,९२,१५१	७७,६३,५३३
१९४५-४६	२५,०८,०४२	२०,६१,५८३	६,१०,८२६	५१,८०,४५१
१९४६-४७	३१,६७,३०३	२९,४०,७७४	८,०९,१३९	५९,१७,२१६
१९४७-४८	१८,११,३६०	१३,२०,१२७	४,६३,९३९	४५,९५,४२६
शाखा				
१९४८-४९	२७,६९,२३७	२५,७६,४३९	५,३४,४९०	५८,८०,१६६
१९४९-५०	३०,३१,८२८	३०,०२,३१३	६,९६,८९१	६७,३१,०३२
१९५०-५१	३५,०४,४८८	३१,१६,२७१	६,७३,७६९	७२,९४,५२८
*				
कुल	४,९०,३१,७६६	३,८९,७७,५९५	१,१४,५८,६३६	९,९४,६७,९९७

\* अधिकतर प्रमाणितों के आंकड़े न मिलने से अंदाजी हिसाब करना पडा है।

खादी-स्पर्धाओं

चरखा संयुक्त कतामी (समय दो घंटे) परेतने सहित गति  
तार अंक मजबूती समानता

स्पर्धा-स्थान

१ श्री. वैरवलिंगम, तामिलनाड	७९२	१५१	८७	८९	हैद्राबाद, अप्रैल १९५१
२ " दानप्पन्नवर, कर्नाटक	७०३	१९११	८३	८४	" "
३ " लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	६९८	१६१११	८६	८१	" "
४ " अजावराव मुळे, सेवाग्राम	६८५	१७	८७	८३	सेवापुरी, नवंबर १९४९
५ " यादवराव चौधरी, महाराष्ट्र	६३६	१७	८३	८९	" "

चरखा तेज कतामी (समय दो घंटे) परेतने सहित गति

१ श्री. गोविंदराव वानखेडे, महाकोशल	१०२१	१७१	७३	८०	हैद्राबाद, अप्रैल १९५२
२ " श्रीकान्त झा, बिहार	९९८	१५१	६२	८५	" "
३ " सिद्रामप्पा, सेवाग्राम	९९७	१७	७८	८८	अनुगुल, अप्रैल १९५०
४ " लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	९७३	१५१	८४	८८	हैद्राबाद, अप्रैल १९५१
५ " अजावराव मुळे, सेवाग्राम	९७२	१८११	९४	८६	सेवापुरी, नवंबर १९४९

तकली कतामी (समय अंक घंटा) बिना अदेरे गति

१ श्री. शंकर ताकचांडे, सेवाग्राम	२७२	१९११	७९	८३	अनुगुल, अप्रैल १९५०
२ " गोकुलदास वारसागडे, रायपुर	२६६	१८	८८	७९	" "
३ " रणछोडमाई, गुजरात	२४१	२०	९०	८२	" "

तकली तेज कतावी ( समय अेक घंटा ) बिना अदरे गति

१. कौडिवा तुकाराम कुकडे,

सेवाग्राम २५७ १८ ७१ ८७ हैद्राबाद, अप्रैल १९५१

ओटावी- सलाई पटरी पर ( समय अेक घंटा )

१ श्री. सिद्रामप्पा, कर्नाटक	५०   =	तोले	अनुगुल,	अप्रैल १९५०
२ ,, दानप्पन्नवर, कर्नाटक	५०	,,	,,	,,
३ ,, हल्कूप्रसाद, महाकोशल	४५  ≡	,,	,,	,,
४ ,, अरुणकुमार भट्ट, गुजरात	४४०≡	,,	,,	,,
५ ,, चैतराम, महाकोशल	३६०-	,,	,,	,,

धुनावी- मध्यम धुनकी पर ( समय दो घंटे ) पूनी बनाने सहित गति

१ श्री. कंचनगोडा पाटील, कर्नाटक	५४  =	तोले	,,	,,
२ ,, बलराम, महाकोशल	४१  -	,,	,,	,,

बुनावी- झटके करघे पर ( सूत खोलने से लेकर बुनने तक )

पुं. वार इंच घं. मि. पोत अनुगुल

१ श्री. पांडुरंग गोसावी, सेवाग्राम	१६ X ८ X ४५	१७-४७	४३	अप्रैल १९५०
२ ,, लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	,,	२२-१८	४४	,,
३ ,, अप्पना कडकोल, सेवाग्राम	,,	२३-५७	४२	,,

बुनावी- हाथ करघे पर ( सूत खोलने से लेकर बुनने तक )

१ ,, लक्ष्मण सोलंकी, कर्नाटक	९   X ६ X २७	१३-४८	४६	,,
२ ,, गणपतराव कोल्हे, सेवाग्राम	,,	१४-४५	४२	,,
३ ,, महादेवराव कोल्हे, सेवाग्राम	,,	२२-४	४२	,,



# परिशिष्ट

## [ १ ] चरखा संघ के कुछ महत्त्व के प्रस्ताव

### (१) पाठशालाओं के लिखे वांस चरखा ( ता. ४ सितंबर १९५१ )

देश के विभिन्न राज्यों में कहीं कहीं पाठशालाओं में कताभी दाखिल की गयी है, और सभी जगहों से संघ के पास सरंजाम-समस्या संबंधी सूचनाओं तथा सवाल आते रहते हैं। जिस पर चर्चा हो कर निश्चित हुआ कि पाठशालाओं के लिये वांस चरखे का ही अस्तेमाल होना चाहिये और सुझाव संघ की ओर से जाहिर किया जाय; क्योंकि संघ की राय में पाठशालाओं में हर दृष्टि से जिस चरखे का अस्तेमाल वांछनीय है। यह चरखे बना लेने का काम भी पाठशालाओं में ही होना चाहिये।

### (२) सरंजाम कार्यालयों में वांस चरखा— ( ता. ४ सितंबर १९५१ )

संघ की मौजूदा नीति के अनुसार सरंजाम कार्यकर्ताओं की शक्ति व्यापारी काम में से अधिक से अधिक निकाल कर प्रयोग, स्वावलंबन तथा सरंजाम शिक्षण के काम में लगायी जाय जिसकी आवश्यकता संघ महसूस करता है और अब तक के अनुभव से पूंजी की बचत, सरंजाम-स्वावलंबन तथा कातने की गति में वांस चरखा श्रेष्ठ पाया गया है; जिस हालत में संघ के सरंजाम कार्यालयों में पेटी व किसान चरखे के उत्पादन तथा विक्री का जो काम बड़े पैमाने पर होता है, वह जारी रखना कहां तक ठीक है, जिस पर चर्चा होकर तय किया गया कि जैसे उत्पादन का काम घटा दिया जाय और हर जगह वांस चरखे स्थानिक बनने लगे, ऐसी कोशिश की जाय।

### (३) चरखा संशोधन संबंधी प्रस्ताव— ( ता. ७ और ८ जनवरी १९५१ )

“मदुरा सरंजाम संमेलन का नीचे लिखा प्रस्ताव ट्रस्टी मंडल की सभा में पेश किया गया—

(१) “यह संमेलन जिस बात पर संतोष जाहिर करता है कि घर घर और गांव गांव कपडा बना लेने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिये अच्छा और ज्यादा सूत कत सके ऐसे सुधार चरखे में करने की कोशिश प्रयोगकारोंने की है। जिस तरह के जो चरखे यहां आये हैं, वे प्रयोगावस्था में ही हैं। मगर बिन प्रयोगों को

आगे बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न मर्यादाओं क्या क्या रहनी चाहिये उसका साफ चित्र प्रयोगकारों के सामने आना जरूरी है। जिस सम्मेलन में आये हुअे प्रयोगकार चरखा संघ से अनुरोध करते हैं कि जिस बारे में अधिक साफ मार्गदर्शन करें।”

जिस विषय के सिलसिले में नीचे लिखे विचार उपस्थित होते हैं :

कताभी दो उद्देश्यों से होती है—: (१) वस्त्रस्वावलंबन के लिये (२) रोजी कमाने के लिये। अपने कृषि-प्रधान देश की आज की दशा में दोनों काम फुरसत के समय में ही करने के हैं।

वस्त्रस्वावलंबन में भी दो वर्ग पाये जाते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो वस्त्रस्वावलंबन के उद्देश्य से ही कताभी करता है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो वस्त्र-स्वावलंबन के साथ आर्थिक बचत की भी अपेक्षा रखता है।

और एक वर्ग ऐसा है जो चरखे द्वारा रोजी की भी अपेक्षा रखता है।

चरखा संघ की राय है कि सरंजाम-स्वावलंबन, सब के हथियाने लायक सरलता, काम करने में मानसिक शांति, सहज व्यक्तिविकास, और कम से कम कीमत में प्राप्त होना, जिन दृष्टियों से मौजूदा चरखा ही उत्तम है। अधिक उत्पात्ति की दृष्टि से नया चरखा कैसा भी बनाया जाय तो भी जहाँ पैसे की आमद की दृष्टि बदलती नहीं है वहाँ नये चरखे के प्रलोभन में आज के चरखे का अवलंबन कदापि कम न किया जाय।

जिनको वस्त्र-स्वावलंबन के साथ साथ पैसे की बचत की जरूरत है उनके लिये ऐसे चरखे का संशोधन आवश्यक है कि जिसमें आज के चरखे के अधिक से अधिक गुण कायम रहते हुअे उत्पात्ति में थोड़ी ही क्यों न हो, वृद्धि हो सके।

जिनको चरखे द्वारा रोजी कमाना है उनके लिये तो ऐसे चरखे की आवश्यकता है कि जो आज के चरखे की अपेक्षा कभी गुना अधिक सूत दे सके ताकि बाजार में उस सूत के दाम मिलसूत की कीमत के आसपास पहुँच सकें।

जिसलिये ऊपर लिखे अनुसार सब बातों का खयाल रखते हुअे नये चरखे आजाद करने के प्रयोग चलने चाहिये।

रोजी की दृष्टि से अधिक उत्पादन के चरखे में नीचे लिखी मर्यादाओं आवश्यक मानी जायं।

(क) चरखा मानव शक्ति से चल सकना चाहिये, और दूसरी शक्ति से चले तो वह मानव शक्ति की कताभी का मारक न बने।

(ख) अुसके पुरजे अपने देश में आज की हालत में भी बन सकने चाहिये, भले ही वे कारखानों में बनने लायक हों।

(ग) आज की ग्रामीण जनता अुसे चला सके तथा मामूली बिगाड का सुधार करने की तालीम आसानी से हासिल कर सके।

(घ) वह घरेलू कताअी का साधन रहे। अर्थात् वह अैसा न हो कि घनी आदमी पूंजी के बल पर या कारखानों के बल पर अुसे चला कर स्पर्धा या शोषण कर सके। चरखा संघ को अैसा होने का पूरा भय है। और अिस दिशा में सरकार के कानून की मदद की जरूरत होगी। वह हरेक घर की अिकाअी में बैठने लायक साधन हो, न कि घानी की तरह ग्राम-अिकाअी के लायक साधन हो।

(ङ) अुसकी घिसाअी, अुस में लगी पूंजी पर ब्याज तथा चालू खर्च यह सब मिल कर मध्यांक के अेक रत्तल सूत के पीछे दो आने से ज्यादा खर्च न होने पावे।

(च) धुनाअी से लेकर कताअी तक फी घंटा दो गुंडी देनेवाले चरखे की कीमत ज्यादा से ज्यादा रु. १५० हो तथा अेक गुंडी देनेवाले की ज्यादा से ज्यादा रु. ५० तक हो। यह गति चरखे की साफसफाअी, माल आदि ठीक करने आदि का वक्त मिला कर समझी जाय।

(छ) अिस चरखे पर कते सूत के दाम मिलसूत की कीमत के आसपास रह सकें।

(ध) प्रमाणितों को सूतशर्त से बरी करने का प्रस्ताव (ता. २७ मार्च १९४८)

कॉंग्रेस पंचायत के अुम्मीदवारों के लिये खादी पहनना लाजमी कर के कॉंग्रेस ने अेक भारी कदम अुठाया है अैसा चरखा संघ महसूस करता है। अिसलिये सब को सहूलियत से खादी मुहैया हो अैसे खयाल से खादी को प्रमाणित करने की शर्तों में से सूत-शर्त को चरखा संघ उठा लेता है। प्रमाणित करने की बाकी की शर्तें जो कि शुद्ध खादी और मजदूरों के हित में हैं, रहेंगी। अितना करने के उपरांत चरखा संघ अपना पूरा ध्यान अिसके आगे बत्त-स्वावलंबन के काम पर देगा, याने उत्पत्ति-बिक्री का काम केवल उत्पत्ति-बिक्री के लिये वह नहीं करेगा। बत्त-स्वावलंबी लोगों की पूर्ति में अगर कुछ खादी वह दे सका तो कुछ समय के लिये यह देने की कोशिश करेगा। चरखा संघ को अिस तरह अपने को परिवर्तित करने में जो समय लगेगा अुस दरम्यान चरखा संघ के द्वारा जो बिक्री होगी वह अुसी तरह सूत-शर्त से होगी अैसी अमी हो रही है।



## (५) शरीरश्रम करने वाच्य प्रस्ताव (४ सितंबर १९५१)

चरखा संघ के कार्यक्रम में शोषणहीन समाजरचना के हेतु जब तबदीली करना मंजूर कर लिया, तब हमारी दृष्टि अर्थ-प्रधान व्यापार-मूलक कार्य से हटकर स्वावलंबन की तरफ विशेष रूप से आगे बढ़ना स्वाभाविक ही है। परिणामतः श्रमनिष्ठा या उत्पादक-परिश्रम की बात ज्यादा महत्त्व की हो गयी है। अुसी हेतु अनेकविध कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य वर्गविहीन साम्यवाद या सर्वोदय है। संघ यह महसूस करता है कि यह तभी हो सकेगा जब कि मनुष्य मात्र उत्पादक परिश्रम के तत्त्व को कार्यान्वित करने पर अुद्युक्त हो।

अतएव चरखा संघ कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा रखता है कि वे अपने यहां चलनेवाले शरीरश्रम के कार्य में श्रमिक वर्ग के साथ निग्रहपूर्वक और वर्गविहीनता के विचार से समरस होने का आग्रह रखें और संभव हो तो संस्था के बाहर दूसरे लोगों के यहां भी अुसी दृष्टि से प्रत्यक्ष मजदूरी कमाने का कार्य महीने में कम से कम २४ घंटे किया करें और अुसकी वाजिव मजदूरी संघ में जमा करें। अपने अपने केन्द्र में काम करने के बजाय बाहर जाकर मजदूरी का काम करने से वर्ग-विषमता दूर करने की दिशा में हम अधिक आगे बढ़ सकेंगे।

## [ २ ] सिप्पिपारै शिविर के निर्णय

(तामिलनाडु व केरल शाखा के चुने हुवे करीब ५० कार्यकर्ताओं का पंद्रह दिन का अेक शिविर मयी-जून १९५१ में सिप्पिपारै नामक तामिलनाडु के कोविल पट्टी विभाग के अेक छोटे से गांव में हुवा। चरखा संघ का खादी की अुत्पत्ति-बिक्री का पुराना काम वस्त्रस्वावलंबन और क्षेत्रस्वावलंबन की दृष्टि से बदलने के बारे में शिविर में बहुत तफसील से चर्चा और विचार विनिमय हुवा। शिविर के अंत में प्रत्यक्ष अमल में लाने के कार्यक्रम के रूप में कार्यकर्ताओं ने तय की हुयी बातें सारांश रूप में यहाँ दी गयी हैं।)

(१) चरखा संघ का मुख्य लक्ष्य चरखे के जरिये केवल वस्त्र-समस्या को हल करने का नहीं, बल्कि सर्वोदयी समाजरचना को नजदीक लानेवाली वस्त्रोत्पादन पद्धति को प्रस्थापित करने का है। यह पद्धति “वस्त्रस्वावलंबन प्राधान्य पद्धति” ही हो सकती है। याने जिसमें वस्त्रस्वावलंबन की मौलिकता की समझ, प्रतिष्ठा और गुंजाबिश समाज में रह सके, अैसी वह पद्धति होनी चाहिये। अिसी हेतु को सामने रख कर समझ-बूझ कर किया जाने वाला वस्त्र-स्वावलंबन देश में बढ़ाने का काम आयांदा हमारा मुख्य कार्य रहेगा। अिसके लिये वस्त्र-स्वावलंबन

च उसके पीछे रही हुयी मूल विचारधारा का अध्ययन व प्रचार करने की ओर तथा वस्त्र-स्वावलंबन को सरल व आकर्षक बनाने के तरीकों को खुद सीख कर दूसरों को सिखलाने की ओर हम ज्यादा ध्यान देंगे व अपने केन्द्र तथा तंत्र में ऐसे बदल करेंगे जो जिस हेतुपूर्ति के लिये उपयोगी हों।

(२) अगले साल देश भर में पचीस लाख वर्ग-गज वस्त्र-स्वावलंबी कपडा बने, ऐसी कोशिश करने का विचार हैदराबाद के मंत्री व संचालकों की सभा में किया गया है। उसमें तमिलनाडु प्रदेश का हिस्सा कितना रहेगा, जिसका विचार हुआ। आज वस्त्र-स्वावलंबन में भी अनेक प्रकार हैं : (१) समझ-बूझ कर और संकल्पपूर्वक कातनेवालों का, (२) मजदूरी के लिये कातनेवालों का, (३) संघ के कार्यकर्ताओं का और (४) पाठशाला तथा अन्य उसी तरह की संस्थाओं में कते सूत का। धिनमें कुछ सूत बुनवा दिया जाता है तथा कुछ के बदले में तैयार कपडा दिया जाता है। अगर ये सब आँकड़े मिलाये जायँ तो करीब आठ लाख वर्गगज का वस्त्र-स्वावलंबन काम होगा ऐसा अंदाज किया गया। लेकिन हैदराबाद की सभा में की गयी व्याख्या के अनुसार अब नये ढंग से आँकड़े रखने की कोशिशें करनी होंगी। जिसने संपूर्ण खादीधारी रहने का संकल्प किया है, ऐसे समझ-बूझ कर कातनेवालों के ही आँकड़े अंश २५ लाख वर्ग-गज में गिने जायँ, ऐसी मर्यादा वहाँ तय हुयी है। वे आँकड़े अलग निकालना कहाँ तक संभव है, यह भी देखना होगा। वह निकालने पर भी आज की कपडा कम मिलने की हालत में अपने कते सूत के नाम पर खरीदा सूत आने की संभावना सूत बुनवा देने के तरीके में है और सूत-भी बदल के तरीके में भी। धिन सबका विचार करते हुए तामिलनाडु शाखा के लिभे विभागवार लक्ष्य नीचे लिखे अनुसार तय किया गया :—

विभाग	सूत बुनायी	सूत बदल	अन्य मार्ग से	कुल वर्गगज
मद्रास	८,४००	४,८००	१,८००	१५,०००
तंजावूर	१०,०००	५,०००	६५,०००	८०,०००
मद्रै	४०,०००	६०,०००	१,५०,०००	२,५०,०००
तिरुनेल्वेली	५,०००	३५,०००	८५,०००	१,२५,०००
तिरुप्पुर	६०,०००	९०,०००	२,००,०००	३,५०,०००
<b>कुल वर्गगज</b>	<b>१,२३,४००</b>	<b>१,९४,८००</b>	<b>५,०१,८००</b>	<b>८,२०,०००</b>

अन्य आँकड़ों में कस्तिनों के आँकड़े भी लिये जायँगे, जिनमें कतायी-मजदूरी काट कर दी जानेवाली खादी अभी तो कुछ दिन गिनी जायगी, मगर शीघ्र ही वह

प्रथा ही न रह कर नयी प्रथा के अनुसार के आँकडे जिसमें शामिल रहेंगे, जिसके अनुसार कतिनें स्वयं सूत हमारे यहां जमा रख कर बुनवा लेंगी या संपूर्ण सूत के बदले में खादी लेंगी। पाठशाला आदि संस्थाओं के भी आँकडे जिसमें रहेंगे।

बुनायी व सूत-बदल के ३,१८,२०० वर्गगजों के अंदाज में कार्यकर्ताओं को डर है कि करीब पांचवाँ हिस्सा सूत खुद का या घर में कता न हो कर खरीदा हुआ हो। अब जिस ओर नये सिरे से ध्यान देना है। जिसलिये जिस साल तो बिन आँकड़ों की विशुद्धता में कुछ गड़बड़ी रहेगी।

(३) आयंदा कपास से कपडे तक के प्रादेशिक स्वावलंबन की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। जिसके लिये केवल शाखा के विभागों की ही बिकायी मान कर नहीं, बल्कि बड़े-बड़े उत्पत्ति केन्द्रों की बिकायी मान कर कपास, कतायी, बुनायी, घुलायी, रंगायी व सरंजाम-पूर्ति उसी बिकायी में हो, यह लक्ष्य रहेगा। हर विभाग कम से कम एक केन्द्र तुरंत ही ऐसा बनाने की कोशिश करेगा।

(४) कपास घरेलू तरीके से उपजाने के प्रचार के साथ-साथ कहीं-कहीं अगर जमीन मिल सकी व उस रुचि के कार्यकर्ता मिल सके, तो शरीर-परिश्रम के जरिये स्वावलंबन पर आधारित हो, जैसे चरखा संघ के कपास के नमूना-केन्द्र खोलना बिल्कुल होगा। जैसे केन्द्र में उस देहात के वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से कपास उपजाने की कोशिश की जाय और संभव हो तो गाँव के वस्त्र-स्वावलंबियों की ही मदद बोवायी, अंकरी बिनना, चुनायी आदि में लेकर उनके परिश्रम के बदले में कपास ही उन्हें दिया जाय।

(५) वस्त्र-स्वावलंबन को प्राधान्य देते हुअे भी संघ की ओर से खादी-उत्पादन का जो कुछ काम किया जाय, वह हमारे बुनियादी सिद्धान्तों की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिये। कपेन तथा घरेलू वस्त्र-स्वावलंबन, जीवन वेतन, कपडे की आयु बढ़ाने तथा असली किफायतशारी के लिये यह जरूरी है कि कपडा बनाने की क्रियाओं को जहाँ तक हो सके, नजदीक ला कर अके-दूसरे से उन्हें जोडा जाय। जिसके लिये कम से कम एक उत्पत्ति-केन्द्र ऐसा तैयार किया जाय जहाँ कपास से या रुयी से कपडे तक सारी प्रक्रियाएँ एक ही परिवार में हों।

(६) वस्त्र-स्वावलंबन को तथा खादी-अधोग को मिलों का कपडा हानि पहुँचाता है, जिसलिये दोनों दृष्टि से खादी-काम करने वालों को उस कपडे का समझ-बूझ कर पूर्ण रूप से त्याग करना जरूरी है। हमारे सारे उत्पत्ति-केन्द्रों में जिस असली सच्चायी का हम जोरों से प्रचार करेंगे तथा आगामी छः मास के अंदर सभी केन्द्रों को नियम लागू करेंगे कि-

(क) जो परिवार संपूर्ण खादीधारी बनेगा और मिल-कपड़े का पूर्ण त्याग करेगा, असीका बचत-सूत पैसे से खरीद किया जायेगा।

(ख) जो परिवार खादीधारी न बन सके होंगे, उनसे सूत लिया जायेगा, लेकिन उसके बदले में केवल कपास, रुथी, खादी या खादी-सरंजाम ही दिया जायेगा, नकद पैसे नहीं दिये जायेंगे। (आये हुये कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने विभाग में कहीं अेक मास में तो कहीं दो मास में तो कहीं छः मास में हरेक केन्द्र में यह नीति लागू करने की तारीखें भी शिबिर में तफसील से तय कर लीं।)

(७) इस काम के लिये उत्पत्ति-केन्द्रों में "कत्तिन-योलियों" का संगठन किया जाय, याने मजदूरी से कातनेवालों की योलियाँ बनायी जायं। वे सब आपस में खादी का ही आम्रह रखें, मिल-कपड़े का त्याग करें, संघ के नियमानुसार केन्द्र के केवल बचत सूत का लेनदेन ही हो आदि नीति को समझने तथा संभालने की व्यवस्था का बोझ भी अेक हृद तक अपने पर लेंवें।

(८) इस प्रान्त के विक्री भंडारों में कहीं कहीं खादी की ज्यादातर विक्री देहाती कपेयों में ही होती है। अैसे भंडारों को छोटा बना कर या बंद करके थिर्द-गिर्द के देहातों में बख्स्वावलंबन केन्द्र के रूप में विभक्त कर दिया जाय। याने आसपास के थिन देहातों में सूत शर्त के अनुसार कातने वाले खादी प्रेमी अधिक हों और थिन देहातों में भंडार के कार्यकर्ता अलग अलग बैठ कर अपना बख्स्वावलंबन केन्द्र खोलें।

(९) कपड़े की तंगी के कारण आजकल खादी की माँग अेकाअेक बढ़ गयी है। लेकिन यह माँग कितनी स्थिर रहेगी इसका कोभी अंदाजा नहीं है, इसलिये हमें अैसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे अचानक वह माँग गिरने से हमें अपने कारीगरों के साथ संबंध अेकदम से तोड़ देना पड़े और हमारे बख्स्वावलंबन के कार्यक्रम में अभी काम बढ़ाने के खातिर और बाद में अुन्हें घटाने से बाधा पहुँचे। लेकिन हमारे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कपास से कपड़े तक की क्रिया कर के हमारी कल्पना का जीवन वेतन पानेवाले परिवार बढ़ने लगे, पूर्ण खादीधारी कारीगरों का 'बचत' का सूत या कपास, रुथी, खादी व सरंजाम आदि के लिये 'बदल' का सूत ज्यादा आने लगे तो अुतना उत्पादन बल्लर बढ़ने दिया जायं।

(१०) कुछ विक्रीकेन्द्र अैसे खोले जायें, जिनमें साड़ी, घोती आदि कुछ खास आवश्यक किस्में रहें जो कि कपड़े में लगा हुआ पूर्ण सूत लेकर तथा अन्य खर्च के लिये नकद पैसे लेकर ही बेची जायें। अैसे स्वतंत्र विक्रीकेन्द्रों के अुपरांत

हमारे चालू भंडारों में भी ऐसा अेक अेक विभाग खोला जा सकता है। क्ताभी मंडलों को भी ऐसी विशेष अेवंसी के लिये प्रवृत्त किया जा सकता है। ऐसा करने से आज की कपडे की तंगी में बढ़ी हुई माँग के कारण नियमित कातने वालों को खादी प्राप्त करने में विशेष प्राथमिकता मिल सकेगी।

(११) सूत बदल कर के खादी लेने वालों को अुस सूत पर सूतशर्त के अनुसार अधिक कपडा खरीदने के लिये कूपन देने का तरीका बंद कर दिया जाय और अपना सूत बुनवा लेनेवालों को यह अधिकार सात गुना नहीं, बल्कि केवल चार गुना दिया जाय।

अन्य छोटी-मोटी बातें तय हुईं, उनमें कुछ तो पुराने निर्णय थे और कुछ नये थे, मगर रोजमर्रा की कार्यपद्धति के बारे में वे थे। उनमें हरेक अुत्पत्ति-केन्द्र में तकुवा बन सके, मजदूरी से कातनेवाले अगर हम से चरखा खरीदें तो अुन्हें बाँस-चरखा ही बनवा दिया जाय, जहाँ तहाँ छोटी थिकाभी में सूत की रंगाभी शुरू हो, हर केन्द्र में कम से कम अेक करघा तुरंत शुरू हो, सूतशर्त में कभी लोग खरीदा सूत लाते हैं अुसे रोकने की कोशिश हो, हरेक विक्री-भंडार हफ्ते में अेक या दो दिन बंद रख कर आसपास के देहातों में वस्त्र-स्वावलंबन का प्रचार व शिक्षण का काम किया जाय, भंगी का अुपयोग हमारे केन्द्र में कहीं न हो तथा खाद्य पदार्थों में मिल से बने पदार्थों का अुपयोग न हो, आदि बातें तय हुईं या तात्की की गयीं। अिसके अुपरान्त यह भी तय हुआ कि तामिलनाडु शाखा के पाँचों ही विभाग मिल कर कम से कम २० कार्यकर्ता की अैसी खडी टोली बना ली जाय, जो शिविर चलाने और अुपर्युक्त सारा नया कार्यक्रम अमल में लाने के लिये हर तरह से केन्द्रों व कार्यकर्ताओं को मदद दे सके। अिसमें शाखा के कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता भी अन्य कामों से मुक्त करके अवश्य लिये जायं।

ये सब निर्णय महत्व के हैं, कठिन भी हैं, खास कर तामिलनाडु जैसी बडी शाखा का काम बदलने में और वह भी आज की हालत में। लेकिन शिविर में कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया है कि यही हमारा असली काम है।

[ ३ ] क्रियात्मक अभ्यासक्रमों की मोटी कल्पना दर्शक विवरण पत्रक

अभ्यासक्रम का नाम	अभ्यास-क्रम की अवधि महीने-दिन	काम के दिन	अभ्यास के कुल घण्टे	विषय और काम की तादाद						आसन व तौलिया				
				चरखा कताधी		तकली कताधी गुंडी	धुनाधी सेर	तांत गज	तकुआ बनाना व दुस्त करना		धुनाधी			
				अधिकहरी गुंडी	दुव्या गुंडी						अेक सूती गज	पुंजम् गज	पुंजम्	
खादी प्रवेश	१४-२०	२९४	२०५८	६०	३६	१२	धुनाधीसे पूनी बनाना	-	३०	-	-	३०	२२॥	} २४x२४ १२ गज दौलिल
बुनाधी कार्यकर्ता	१४-२०	२९४	२०५८	-	-	-	-	-	-	२०२	२२९	-	-	
कताधी कार्यकर्ता	७-१०	१४७	१०२९	७६	२३	१४	धुनाधीसे	८०	३०	-	-	-	-	-
पाठशाला कताधी शिक्षक	७-१०	१४७	१०२९	९६	१३	१८	धुनाधीसे पूनी बनाना	-	३०	-	-	-	-	११-११ २४x२४
पाठशाला दुव्या बुनाधी या दुव्या बुनाधी	७-१०	१४७	१०२९	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२४	५७
* पाठशाला खादी प्रवेश	*१४-२०	२९४	२०५८	(सूचना देखिये)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

सूचना :- (१) पाठशाला खादी प्रवेश:- पाठशाला कताधी शिक्षक अभ्यासक्रम, पाठशाला दुव्या बुनाधी अभ्यासक्रम और मौखिक विषयोंमें खादी प्रवेश के सारे विषयों का अभ्यास धिनको मिलाकर पूरा होता है। (२) अभ्यासक्रमोंकी तफसीलवार ज्यादा जानकारी “बरला संघ खादी शिक्षा समिति अभ्यासक्रम तथा नियमावली” किस पुस्तिका में मिलेगी। मूल्य आठ आना। डाक खर्च अेक आना।

## [ ४ ] प्रमाणित संस्थाओं को पूंजी की सहायता की योजना

( ता. ६-७ अप्रैल १९५१ प्रस्ताव संख्या १५ में से अद्युद्धृत )

राज्यसरकारों से हमारी सूचना है कि वे औसती संस्थाओं को कर्ज दें और उसके कर्ज की रकम की अदायगी अन्य जरियों के साथ-साथ निम्न प्रकार से भी हो। फिलहाल तो यही दीखता है कि सरकारों का खादीकाम में पडने का अद्देश्य केवल यही है कि गरीब ब्रेकार देहातियों को काम देना अर्थात् उन्हें कुछ आमदनी का जरिया देना। इसलिये सरकार की आर्थिक मदद में मुख्य दृष्टि यह होनी चाहिये कि गरीब देहातियों के पास खादीकाम के द्वारा कितना पैसा पहुँचता है। और आज की दशा में सरकार की मदद इस पहुँचनेवाले राहत की दृष्टि से होना अचित्त समझना चाहिये। इसलिये चरखा संघ की सूचना है कि सरकार संस्थाओं ने कत्तिनों धुनियों और बुनकरों में बाँटी मजदूरी पर ४% मदद देवे और यह मदद की रकम सरकार ने दिये हुये कर्ज अदा करने में लगे। जिनको कर्ज नहीं दिया जाता है उनको भी औसती मदद मिलनी चाहिये। इस प्रकार सरकार को चार प्रतिशत के हिसाब से उसी परिमाण में मदद देनी पड़ेगी कि जितने परिमाण में राहत का काम होगा। धीरे धीरे कर्ज की अदायगी भी हो जावेगी। साथ ही संस्थाओं की पूँजी बढ़ जावेगी जिससे वे अपना काम स्थायी रूप से कर सकेंगी। अगर आगेपीछे कमी संस्थाओं को खादीकाम बंद करना पडे तो कानून और संस्थाओं के नियमों के अनुसार उस पैसे का अुपयोग वैसे ही काम के लिये होगा अथवा सामान्यतः ग्रामोत्थान में उपयोगी पडेगा। यह व्यवस्था कारगर होने के लिये आवश्यक है कि उसके अमल के लिये कुछ सख्त नियम बनाये जायें। फिलहाल यहाँ कुछ नियम सुझाये जाते हैं जिनमें दुरुस्ती और कमी-बेशी हो सकती है।

( १ ) संस्था सन १८६० के कानून नंबर २१ के अनुसार रजिस्टर्ड होनी चाहिये या ट्रस्ट रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिये। उसमें अेक नियम यह भी हो कि सरकार का अेक प्रतिनिधि उसकी प्रबंध-समिति में हो। वह प्रतिनिधि खादीप्रेमी और आदत्तन खादीधारी होना चाहिये। यह भी अेक नियम होना चाहिये कि अगर संस्था टूटे तो उसके पैसे का अुपयोग दूसरे किसी जरिये से खादीकाम के लिये और ग्रामोत्थान के काम के लिये हो।

( २ ) संस्था की चल संपत्ति सरकार की रकम के लिये सरकार के पास गिरवी रहे; अर्थात् सरकार का अुध पर पहला चार्ज रहे।

( ३ ) संस्था चरखा संघ द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। बिना चरखा संघ के प्रमाणपत्र के किसी भी संस्था को मदद देने की सरकार गल्ती न करे। क्यों कि

केवल चरखा संघ ऐसी संस्थाओं पर नियंत्रण रख सकता है और अनुके द्वारा खादी काम ठीक रीति से चला सकता है। अगर कर्ज लेने के बाद संस्था अप्रमाणित हो जाय तो उसी समय उस संस्था को सरकारी कर्ज की रकम अदा कर देनी चाहिये। और उस दशा में संस्था के प्रबंधकारी सदस्यों की सरकार का कर्ज अदा करने में अंगत जिम्मेदारी भी होनी चाहिये।

(४) संस्था की खुद की पूँजी कम-से-कम रुपये ६,००० की होनी चाहिये, जिस पूँजी में से अर्क पंचमांश से अधिक शुधारी कदापि न रहे। और पदाधिकारी, मंत्री या कार्यकर्ता की तरफ तो शुधारी विलकुल ही न रहे। पर चरखा संघ प्रमाणित अन्य संस्थाओं को माल भेजने में कभी कभी जो थोडा समय शुधारी रखनी पडती है उसमें बाधा न समझनी चाहिये।

(५) सरकार और चरखा संघ की तरफ हर महीने की दसवीं तारीख तक पिछले महीने का तलपट भेजा जाय और सालाना आखिरी हिसाब के कागजात भी साल के अंत में भेजे जायें।

(६) हर साल कामगारों की रकम और मुनाफा रिजर्व तथा अन्य रीति से संस्था की खुद की मूल पूँजी खादी के काम के लिये बढती जानी चाहिये।

(७) सरकार को संस्था की चल पूँजी पर चार गुना तक रकम कर्ज रूप से देनी चाहिये। उस पर व्याज नहीं लेना चाहिये।

(८) कत्तिनों, धुनियों और बुनकरों में बांटी गयी मजदूरी पर प्रतिशत ४ रुपये आर्थिक मदद सरकार से मिले और यह सरकारी कर्ज में अदा हो।

(९) अगर संस्था की पूँजी इस तरह बनी है कि उसके कुछ थोडेसे सदस्यों ने ही बहुत सी रकम उस संस्था को कर्ज के रूप में दी हो तो ऐसे सदस्यों की सरकार की रकम के लिये अंगत जिम्मेवारी हो।

(१०) ऐसी संस्थाओं को कर्ज सरकार केवल चरखा संघ की सिफारिश पर ही देवे।

(११) सरकारी काम कुछ बजट के आधार पर ही हो सकता है। इस लिये जो रकम कर्ज के रूप में दी गयी है उसके पेटे जो ४% की सहायता दी जावेगी वह कर्ज की अदायगी होने पर बंद हो जाय। पर जहाँ कर्ज न दिया गया हो वहाँ संस्था की परिस्थिति देख कर उसके काम के अंदाज से सालाना आर्थिक मदद की कुछ अंतिम मर्यादा भी बांधनी होगी।



अनुभव पर से नियमों में जो बदल किये जावेंगे वे संस्थाओं पर बंधन-कारक रहेंगे ।

विस योजना का ३ वर्ष तक अमल होकर फिर उसके परिणाम के बारे में सोचा जाय और जो कुछ फर्क करना मालूम हो सो किया जाय ।

## [ ५ ] प्रमाणितों के लिये रबी-संग्रह योजना

( १ ) जो संस्थायें अपनी रबी की आवश्यकता अक्टूबर १५ तक संघ को बता देंगी और रबी की पूरी कीमत के २५% दाम पहले भेज देंगी, अउनकी पूरी रबी शेष ७५% दाम लगा कर चरखा संघ खरीद करेगा।

रबी की कीमत में हेरफेर होते रहता है । विसलिये २५% दाम भेजते वक्त जो चालू भाव होगा, उसी भाव के अनुसार हिसाब कर के संस्थाओं को दाम भेजने चाहिये । प्रत्यक्ष खरीद-भाव में जो अंतर रहेगा, वह हिसाब पूरा हो जाने के बाद लिया या दिया जा सकेगा ।

( २ ) यह रबी-खरीद, जहाँ चरखा संघ की सुविधा होगी, रबी की मंडी होगी तथा पक्के गोडाअून आदि की सुविधा रहेगी, वहाँ की जा सकेगी । गुजरात, मध्यप्रदेश, हैद्राबाद, राजस्थान और तामिलनाडु प्रदेश में संघ के कार्यकर्ताओं की मार्फत रबी-खरीद हो सकेगी, परंतु रबी खरीदनेवाले केंद्र अपना प्रतिनिधि भेजना चाहते हों तो रबी-खरीद के वक्त वह उपस्थित हो सकेगा ।

( ३ ) गुजरात का रबी-खरीद का मौसम जनवरी में शुरू होता है और अन्य जगह वह दो महीने पहले यानी नवंबर में शुरू होता है । अतः उपर्युक्त २५% रकम गुजरात की रबी के लिये जनवरी १५ तक संघ के पास आ जानी चाहिये और अन्य जगह की रबी के लिये वह नवंबर १५ तक आ जानी चाहिये ।

( ४ ) रबी की कीमत निम्नलिखित बातों का विचार करके हरेक साल के लिये निश्चित की जायगी :

(अ) प्रत्यक्ष रबी-खरीद की कीमत

(आ) गोडाअून किराया

(अि) बीमा-खर्च

(अी) संघ की जितनी रकम लगी होगी, उस पर ३% व्याज

(अु) अन्य व्यवस्था-खर्च जो प्रत्यक्षमें करना पड़ेगा

(५) केन्द्रों को जैसे-जैसे रबी की आवश्यकता होगी, वैसे-वैसे वह भेज दी जावेगी। अर्थात् जितनी रबी भेजी जावेगी, उसकी ७५% कीमत नकद अदा होने के बाद ही वह भेजी जावेगी।

## [ ६ ] शाखाओं के विभाग करने के संबंध में संघ की नीति

( ता. ७।८ जनवरी १९५१ प्रस्ताव संख्या ३ में से अद्धृत । )

प्रांत में विभिन्न परिस्थिति के कारण अलग अलग क्षेत्र रहना स्वाभाविक है जिस दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम में भी कुछ भेद रहना स्वाभाविक हो जाता है। जिस विचार से अब प्रांतीय शाखा की मार्फत काम चलाने के बदले विभिन्न विभागों की योजना आजमाना अचित मालूम पड़ता है।

जिन विभागों के कामकाज के बारे में फिलहाल नीचे लिखी पद्धति रखी गयी है।

(अ) शाखा में जहाँ जितनी सुविधा हो वहाँ क्षेत्रों की अनुकूलता सोच कर शाखा का मौजूदा काम विभाग-मंडल में परिवर्तित करने की दृष्टि से जहाँ संभव हो वहाँ विभाग बनाना चालू किया जाय।

(आ) शाखा के विद्यमान मंत्री की मियाद के बाद नये मंत्री की नियुक्ति, शाखा का संपूर्ण क्षेत्र विभागों में परिवर्तित होने पर अनिवार्य न मानी जाय और उस हालत में मंत्री का काम विभाग-मंडल के संचालकगण सांघिक जिम्मेवारी से संभालें।

(अि) हरेक विभाग के लिये एक एक संचालक की नियुक्ति की जाय जो कि अपने क्षेत्र के समूचे कामकाज की तथा आर्थिक व्यवस्था के लिये जिम्मेवार रहें।

(अी) हरेक विभाग अपना कामकाज चलाने में स्वतंत्र रहेगा। फिर भी यथा संभव किसी एक शाखा या विभाग मंडल के अंतर्गत रहे हुये विभागों की सर्वसाधारण नीति एक रहेगी जो कि संघ के केंद्रीय दफ्तर की मंजूरी के साथ विभागों के संचालकगण मिल कर तय करेंगे।

(अु) आज जिस तरह से शाखा के हिसाब की व्यवस्था है उस तरह से हरेक विभाग की अपने अपने हिसाबकी व्यवस्था स्वतंत्र रहेगी। प्रधान कार्यालय में हरेक विभाग का स्वतंत्र खाता होगा। हरेक विभाग का नफा, नुकसान, हिसाब अलग अलग रहेगा। हर विभाग के बजट अपनी जिम्मेदारी से विभाग संचालक बनावेंगे। लेकिन यह बजट मंजूरी के लिये प्रधान कार्यालय को भेजने के पहले विभाग मंडल के संचालकों की बैठक में मंजूर करवा लेना होगा। जिस से हर विभाग-मंडल याने शाखा की कार्यनीति में जरूरी समानता बनी रहने में मदद होगी।

(अू) विभाग संचालकों में से हर साल बारी बारी से आमंत्रक चुना जायगा।

(अ) हरेक शाखा-मंडल के अंतर्गत विभाग संचालकों की त्रैमासिक समा हुआ करेगी। जिसमें सर्वसाधारण नीति, कार्यक्रम के बारे में विचार और अपने अपने अनुभव की जानकारी दी जा सकेगी। समा का स्थान आमंत्रक तय करेगा।

(आ) विभाग संचालक आपसी-परामर्श से कार्यकर्ताओं की तबदीली मंडल के अंतर्गत हो उस मर्यादा तक कर सकेंगे।

(ओ) विभाग आपस में अकेले दूसरे के हिसाब के निरीक्षण और जांच का काम करेगा जिस बारे में संचालकों की त्रैमासिक समा में कार्यक्रम तय किया जावेगा।

(औ) त्रैमासिक समा का अहवाल तैयार करना और अपने मंडल के विभाग संचालकों को तथा प्रधान कार्यालय को भेजना आदि कार्य आमंत्रक के जिम्मे रहेगा।

(अं) आकस्मिक विशेष घटनाओं के लिये विभाग संचालकों की समा घटना स्थल पर बुलायी जावेगी। जिस की सूचना आमंत्रक घटना स्थल के विभाग संचालक की सुविधा से सबको देगा। विभाग संचालक सर्व संमति से ऐसी घटना पर निर्णय लेंगे। संचालकों की अकेले राय न हो तो केन्द्रीय दफ्तर के मंत्री या अनु के प्रतिनिधि की राय निर्णयात्मक मानी जावेगी। विभाग संचालकों की राय अकेले होते हुये भी यदि केन्द्रीय मंत्री अचित्त समझे तो उस निर्णय को वह बदल सकेगा।

(अः) यह आवश्यक है कि हर विभाग अपने अपने काम में स्वतंत्र रहते हुये अकेले दूसरे विभागों के पूरक के रूप में काम करने का पूरा ख्याल रखें। जिस दृष्टि से अपर के नियमों में जरूरत के अनुसार बदल किये जा सकेंगे।

